Shodh Chetna

'kk/k pruk

The International Registered Research Journal

ISSN : 2350-0441

Shodh Chetna

'kk/k p r uk

The International Registered Research Journal

Year-1 Part - 3 Jul. to Sep., 2015

Editor
Shushil Kumar Kushwaha

G.H. PUBLICATION
121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

© *Publishers*

Registration Fee : Rs. 1000.00 (One Thousand)

Membership Fee :

Single Copy	Rs. 350.00 (Individual)	$ 10
	Rs. 500.00 (Institution)	$ 15
Annual (4 Issues)	Rs. 1200.00 (Individual)	
	Rs. 2000.00 (Institution)	
Life Member (15 Yrs.)	Rs. 5000.00	

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394302010996632
IFSC-UBIN 0539431

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (M) 09329225173
E-mail : ghpublication@gmail.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

Chief Advisor
Ajai Srivastava
Librarian
State Central Library, Rewa

Editor
Sushil Kumar Kushwaha

Honourary Editor
Dr. Sanjay Shankar Mishra
Professor and Head
Department of Commerce
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
Dean, Faculty of Commerce, A.P.S. University Rewa (M.P.)

Dr. Smt. Poonam Mishra
Professor
Department of History
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Managing Editor
Harsh Kushwaha

Associate Editor
Dr. (Major) Vibha Srivastava
Professor & Head, Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Narendra Kumar Gupta
Professor, Department of Law
Himachal Pradesh University, Shimla

Smt. Karuna Srivastava
Assist. Prof., Department of Sociology
Govt. College, Gurha, Rewa

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

Guidelines to the Authors

Manuscripts of research paper : It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be chekced before submission as their is not provision of sending proof. It must include Abstract, Introduction, Methods, Results and References. English manuscripts must be in Times New Roman font, font size 12 and in double spacing. Hindi manuscripts must be Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in **CD/e-mail : ghpublication@gmail.com**, with a cheque of Rs. 1000 only in favour of Sushil Kumar Kushwaha, also for Registration. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.

Editorial Board

Dr. Vinod Tiwari
Prof. & HOD of Law
Rajeev Gandhi Law College, Bhopal

Prof. Pratibha Srivastava
Prof. & Head, Department of Sociology
Govt. Girls P.G. College, Shahdol

Dr. S.N. Gautam
Vedacharya
Govt. Venkat Sanskrit Mahavidyalaya, Rewa

Dr. Umakant Mishra
Prof. & HOD (Sanskrit)
T.R.S. College, Rewa

Dr. Sudha Soni
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. Mahendra Mani Dwivedi
Prof. Department of History
Govt. Girls P.G. College, Rewa

Dr. D. N. Tripathi
Associate Professor & HOD (Sanskrit)
Dharma Samaj P.G. College, Aligarh

Contents

1. Causes of Female Foeticide & Legal position in India 11
Prof. Dr.Vinod Tiwari, Birendra kumar Tiwari

2. Social Structure in India 19
Dr. Asha Gupta, Laxmi Sitani***

3. Hospital & Bio-medical Waste & Its Impact on the Society 26
Mrs. Amita Saxena, Dr. Jyoti Sharma**, Mrs. Sangeeta Sharma****

4. Supportive : Web-based Innovation tools for
customer involvement In product development 38
Kirtika Dwivedi, Dr. Sanjay Shankar Mishra***

5. "Impact of training on employee's performance at Tata Motors" 46
Manjushri Mishra, Dr. Sunil Tiwari***

6. A New Perception to Relativity and the Processes Involved to Accelerate
Macroscopic bodies very near to the light speed 56
Amet Vikram, Student, Kirti Saxena, Student***

7. शंकर के अद्वैतवाद की प्रमुख मान्यताएँ 60
डॉ. उमाकान्त मिश्र

8. पातंजल योगदर्शन एवं योगसिद्धियाँ 65
डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी

9. भारत की विकास दर : एक मूल्यांकन 69
डॉ. आशा गुप्ता (प्राचार्य), श्रीमती गरिमा दुबे ***

10. पूर्व मध्यकालीन मुद्राएँ 75
*डॉ. श्रीमती पूनम मिश्रा * , विनय कुमार कुशवाहा ***

11. साहित्य के प्रांगण में लोक संस्कृति, लोक आस्था 79
प्रो (श्रीमती) कल्पना तिवारी

12. छतरपुर जिले की देवी प्रतिमाएँ 84
डॉ. प्रो. विभा श्रीवास्तव

13. ''कौटिलीय अर्थशास्त्र में वर्णित सप्त प्रकृतियाँ एवं
आधुनिक राज्य के तत्वों से तुलना'' 91
डॉ. संन्ध्या कुमारी

14. प्राचीन भारत में संगीत कला का विकास 96
डॉ. सुधा सोनी

15. वर्द्धमान महावीर के सिद्धान्त 102
*डॉ. आर. पी. दुबे *, डॉ. संगीता सिंह ***

16. शिव प्रसाद सिंह के लेखन में आत्मान्वेषण की प्रक्रिया : एक अध्ययन 105
*डॉ. अनिल कुमार सिंह *, डॉ. सुरेन्द्र बहादुर सिंह ***

17. बुन्देलखण्ड के बुंदेला राज्यों की स्थापत्य कला 109
डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

18. साहित्यशास्त्र के प्रथम आचार्य एवं उनका सामाजिक चिंतन 113
डॉ. अरविन्द कुमार

19. महिला विकास एवं शिक्षा 118
डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव

20. विधान मण्डल में तथा विधान मण्डल के बाहर विधायकों की भूमिका तथा उनके कार्य (एक आलोचनात्मक अध्ययन) 123
*डॉ. श्रीमती ज्योति शर्मा *, श्रीमती अमिता सक्सेना **, श्रीमती संगीता शर्मा ****

21. भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत व प्रायश्चित में मानव प्रकृति की गहरी परख एवं वर्तमान स्वरूप 134
उमेश कुमार (निराला)

22. कालिदास का नदी प्रेम एवं मानव कल्याण 140
अंजलि जाटवा

23. भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन 146
*डॉ. आर. पी. दुबे *, निशा तिवारी ***

24. ''मध्याह्न भोजन योजना का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पड़ने वाले प्रभाव'' 152
*डॉ. अंशू केशरवानी *, ऋतु सिंह परिहार ***

25. पुस्तक समीक्षा : वेदान्तसार का पुनर्व्यवस्थापन 155
डॉ. सूर्य नारायण गौतम

26. हमारे प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 158

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए
हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि
हमारी त्रैमासिक पत्रिका

''शोध-चेतना''

के जो माननीय आजीवन सदस्य हैं,
उनका आलेख प्रकाशन हेतु
पंजीकरण शुल्क जनवरी, 2016 से
निःशुल्क रहेगा एवं जो वार्षिक सदस्य हैं
उनका पंजीकरण शुल्क
मात्र 500.00 (पाँच सौ रुपया) रहेगा।

...प्रकाशक

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003
e-mail : ghpublication@gmail.com
Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

The International Registered Research Journal

Quaterly Bilingual
(English/Hindi)

We are providing a plateform

For

The Publication of
Original Unpublished Research Paper,
Summary of Research Project,
Thesis and Book

For Guidelines & Membership Fee Authors/ Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003
e-mail : ghpublication@gmail.com
Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

Causes of Female Foeticide & Legal position in India

Prof. Dr.Vinod Tiwari*
Birendra kumar Tiwari**

Female foeticide is the killing of an otherwise healthy female foetus, in order to get rid off a female child by means of medical termination of pregnancy or abortion. Female foeticide, is considered a criminal offence in India. Abortion is lawful only when the doctor believes that due to medical reasons, the continuance of the pregnancy may pose a threat to health of the mother or the unborn child. In rural areas where most people do not have access to sex determination facilities, the rate of female infanticide is alarming. Thus infanticide, is the killing of a child after birth. It is one form of human reproductive wastage, the general descriptive term for loss of embryonic and fetal lives in reproduction (1) Now a days the practice of abortion is spreading like contagious disease. The practice is to kill female feotus called female foeticide. The term foeticide is used particularly for killing, as the word "cide" mean to kill and when it is killing of female foetus, it is called as female foeticide

Keywords : Killing of Female foetus, offering Pind and Water, Shradha, Evil of Dowry, P.N.D.T. Act, 2002, MP on top account for foeticide cases.

Introduction

Abortion may be defined as termination of pregnancy before independent viability of the foetus has been attained. Generally it has shown that it is not the income or material well being that discrimination against girls child takes place, it is that cultural beliefs, patriarchal social norms. Superstition and thinking of the people that is responsible for discrimination(2) Obsession to have a son on account of pride in race results in female foeticide. There exists a common belief that bringing up a girl child is like watering neighbor's plant. The son convers the benefit upon the souls of the dead ancestors by offering "Pinda" and "Water" to them on the occasion of "Shraddha". Son is the one who conducts funeral rites. It is the sons who keep the continuity of the lineage. According to Vashistha, "when a father sees the face of his living son on his birth, the debt is transferred and he attains immortality and thus says the Revelation, there are innumerable heaven for a man who has a son and there is no place in haven for a sonless man (3) As the result parents tend to be calculative in choosing the sex of the child

* Prof. & Head (Law), Rajeev Gandhi College, Bhopal
** Asst. Prof. (Law), Rajeev Gandhi College, Bhopal

and the decision is based on the birth order, sex sequence of the previous children and number of sons(4)

1. Evils of Dowry

The prevailing practice of dowry and non implementation of dowry Act is another reason for female foeticide. It is one of the important factors for deteriorating the status of women in the society. The growing greed of the people, their high demands in marriage become too burdensome for an average man. Unable to afford it he thinks, it is better to end the life of a woman and to avoid such burden.

2. Traditional Beliefs

There is a traditional belief in the minds of rural people that woman has to perform menial jobs in the family such as cooking, carrying water and firewood, looking after kids etc. It is believed that money spent on her may be on education or on her nurturement is a wastage and this is not going to yield any fruitful result. The son not only provides economic assistance to the family but also brings in dowry at the time of marriage. Actually son is the one who looks after his old parents when they are sick or infirm. Apart from this, a girl child is considered to be burden on the parents as she is vulnerable to various kinds of sexual exploitation.

3. Modern Technology and unethical medical practices

Easily accessible and affordable procedures for sex determination during pregnancy also leads to female foeticide. These Technologies during sex of the child before its birth and if it is a girl child, people get it abort. Medical practitioners get themselves involved in such unethical practices and are minting money out of it.

4. Non-implementation of on female foeticide laws

There is not dearth of laws in this country. In fact it is rightly said that there are as many laws in this country as many babies that are born but the problem is of implementation of these law. Government is not so serious about this menacing problem. Even there is failure on the part of health authorities to check this mounting problem.

5. Two- child family norm

Poverty and population growth are the causes which have led the country to adopt family planning programme and adopt two child norm. Girl child became the target of this programme. In fact India is the first country who have officially adopted family planning programme. By adopting two child family norm, in the

garb of family planning. Sex determination is willingly made choice generally after first girl child because India families want atleast one male child(5) At Present time pre-natal diagnostic tests, sex determination clinics and cheaper ultrasound machines have been introduced. Aminocentesis tests have become synonymous with sex determination which results in sex selective abortions. Techniques which use preconception or during conception sex selection for instance the Eresson method (X and Y) chromosome separation and pre-implantation genetic diagnosis (POD) have also widened the gap in the already skewed sex ratio. These new reproductive technologies are discrimination, unethical as well as violative of the Human Rights of women programme even doctors have justified this evil practice of female foeticide.(6) The villagers perceive sex determination and abortion as part of population control Strategy of the Government According to them these ultrasound machines have been distributed by the Government for reducing the population. Dramatic reduction of birth rates in most of Indian states has also contributed to intensification of son preference in the existing patriarchal society. Parents tend to be calculative in choosing the sex of the next child and the decision is based on the birth order, sex sequence of previous children and number of sons(7)

The female ratio in the 2001 census was 933:1000, which increased to 940:1000 in 2011 census, there was a report in the Tribune (24th November 2004) that in Government hospital, 70% deliveries were of males. This would obviously lead to imbalance in society. The demographers warn that because of this adverse sex ratio there will be shortage of brides in the next twenty years, which would result in polyandry. Men would tend to marry younger women, which would lead to rise in fertility rate as a result high population would be the outcome of it. Not only this the adverse sex ratio would also result in increase of sex related crimes against women such as kidnapping, abduction, rape etc.

On the above observation the impact of female foeticide on society should not be underestimated. Rather its consequences should be taken into consideration and needful should be done to avoid such consequences.

6. Legal Position

The laws which prohibit female foeticide in India are provided under IPC, 1860 the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and the pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

The India Penal Code provides an offences affection human body and offences affecting life, law dealing with miscarriage have been covered. The relevant section are from Section 312 to Section 316 IPC.

Section 312-Causing Miscarriage(8)- Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall if such miscarriage be not caused in good faith for

the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to three years or with fine or with both and if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation - A women who causes herself to miscarry is within the meaning of this section.

Section 313. Causing miscarriage without woman's consent(9)- whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with the child or not, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for the term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Section 314, Death caused by act done with intent to cause miscarriage(10)- whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which cause the death of such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term may extend to ten years and shall also be liable to fine;

If act done without woman's consent- And if the act is done without the consent of the woman shall be punished either with imprisonment for life or with the punishment above mentioned

Explanation – It is not essential to this offence that the offender should know that act is likely to cause death

Section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth(11)- Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth and does by such act prevent that child from being born alive, or causes it die after its birth, shall if such act be not caused in good faith for the purpose for saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine or with both.

Section 316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide(12)- Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a which may extend to ten years and shall also be liable to fine).

The punishments that were provided under the Indian Penal Code were not deterrent enough and people resorted to it clandestinely, as a result death of the women rose considerably as abortions were done under unhygienic conditions by quacks. In this issues of it, Shantilal Shah Committee was appointed in 1964 The recommendation of the committee resulted in the passing of the Medical

Termination of Pregnancy Act 1971. Under Section 3 of the said Act, various grounds are mentioned under which pregnancy could be terminated. These are followings:

1. As a health measure, where the continuance of pregnancy involves a risk to the life of the pregnant woman.

2. Of grave injury to her physical or mental health.

3. One humanitarian ground, where pregnancy is a result of sexual violence.

4. On eugenic grounds, where the child to be born is likely to suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. Only registered medical practitioners were allowed to terminate the pregnancy on the above grounds. The Act has not made female foeticide an offence. Moreover during that time selective sex determination technique were not known to the people. As a result, this part was also not dealt under the Act, Those desirous of effecting female foeticide invoked this act to effect selective abortion. There was tremendous increase in the abortions of female foetuses as the number of clinics that provided sex determination test increased rabidly(13). This problem of female foeticide aggravated so much that activists and intellectuals demanded intervention of the state. The worsening situation led to the enactment of Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 which formally forbids female foeticide as well as sex determination tests. The Act came into force on january 1st 1996. The Main provisions of the Act are as follows prohibition of the misuse of pre-natal diagnostic techniques for determination of sex of foetus leading to female foeticide (S.6). Prohibition of advertisement of pre-natal diagnostic techniques for detection or determination of sex, (S.22). Permission and regulation of the use of pre-natal diagnostic techniques for the purpose of specific genetics abnormalities or disorders (S.4). Permitting the use of such techniques only under certain conditions by the registered institutions (S.18). No person conducting pre-natal diagnostic procedure shall communicate to the pregnant women concerned or her relative the sex of the foetus by words, signs or any other manner (S.5). Punishment for violation of the provisions of the Act (S. 22-88)(14)

The Act did not prove effective because of the following short comings-

1. The Act allows abortion on the ground of mental trauma. Now what constitutes mental trauma is not mentioned.

2. Various methods such as CVS (Chroion Genetic Biopsy). Amniocentesis etc, are used not only for sex determination but are also used for detecting genetic abnormalities. The Act does not prohibit these procedures but seek to regulate those clinics who carry such services. The question is how can such clinics be regulated? The answer is very effective vigilance authority is required which is not possible(15)

3. The Act provides for punishment only on the complaint made by the woman that she was forced to undergo test and kill female foetus. Negligible number of complaints are coming to the knowledge of State Governments(16)

With the advancement of science and technology, new methods have been devised like selecting the sex of the child even before conception. The Act does not talk about it. As a result, people escaped penalties that were provided in the Act 1994. Courtesy, these new techniques that were devised. Certain amendments were made in this Act and now it is called Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act 1994(17)

Foeticide MP on top account for 30% cases:

Four years down the line, maximum cases of foeticide where reported from Madhya Pradesh

In year 2014, 30% case of foeticide in country were reported from Madhya Pradesh alone going by data released by National Crime record Bureau in August. Last year, 101 cases of foeticide were reported country of these, highest 30 cases were reported from Madhya Pradesh followed by Rajasthan 24 and Uttar Pradesh 11.

Number of foeticide cases had gone up twice from 38 in 2011 to 79 in 2013, dropped to 30 next year but is still highest. In abduction cases Madhya Pradesh just behind to Uttar Pradesh.

The MP is followed by Maharastra and Uttar Pradesh with 15,209 and 12,425 cases of crime against women. According NCRB data in 2013, a total of 4,335 cases were reported in State which means average of cases of rape has risen by two incidents a day in 2014. Thus Madhya Pradesh is just behind UP in abduction cases at least 7,883 incidents of kidnapping were reported in the State, which was second highest in country after UP which registered 12,361 cases in 2014. Delhi stands third with 7143 cases.

A total of 733 dowry deaths were reported in MP making it third in the category after UP with 2,469 and Bihar 1,373 cases. At least 2 women's die of dowry harassment in the State every day 18

Suggestions

One or two child norms policy of Govt. is major factors responsible for female foeticide in India. Common people are generally confused about the fact that while the government is insisting on small family get it opposes to the conduct of sex determination tests. According to the Government policy it is desire of every family to have at least, one son and therefore conducting test for sex determination is the only choice left.

Poverty, Dowry, traditional beliefs, exploitation etc. are other cause as to why female foeticide take place. Social workers, women's group, non Govt.

Organization, Academician, Media, and Medical Practitioner should all come forward and watch that the Act is properly and strict implemented dowery prohibition act should be more stringent.

Registration of Ultrasound clinics, Nursing homes Laboratory should be made compulsory. It is a concluded that all these above points were problem is there should be pondered over and needful should be done.

Conclusion

The Government should launch a continuous campaign against these evil practices. Law alone is not just sufficient to curb and control such deeply rooted heinous practice operating in the society. This barbaric practices can be abolished only if people and government, consciously work together.

Foot Notes

1. (Encyclopedia Britannica Inc, Chicago 1996 P. 42)
2. (UNICEF report published in Nov. 1995 titled: the Progress of India States in Child Survival Health Primary Education etc. for the Year 1995)
3. (Sangeeta Cheetu, “Growing Menace of female foeticide in India”. 17 Indian Socio Legal Journal 79 1991)
4. (Health Action Sept. 2000 P. 24 quoted by Preeti Misra “Female foeticide. A violation of Human Right, Law Review (1999-2000& 2001 Vol. 21 & 22 at P. 73)
5. (Subhash Sharma and Sujan Singh “Law Banning Sex Determination – A socio – juris study” 26 Indian Socio Legal Journal 55 2000)
6. (The Telegraph, Wednesday, May 30, 2001 at 4)
7. (Supra Note 5).
8. (Section 312-Causing Miscarriage
9. Section 313. Causing miscarriage without woman’s consent
10. Section 314, Death caused by act done with intent to cause miscarriage
11. Section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth
12. Section 316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide
13. (Sangeeta Cheetu “growing means of Female foeticide in India, 17 India Socio legal Journel, 79, 1991)
14. (Reddy GB “woman and the Law, 4th Ed. Hyderabad’s Gogia Law Agency, 2001 at 128 as quoted in Preeti Mishra, Female Foeticide – A violation of Human Rights, Law Review (2000 - 2001) 21 & 22 at 74)
15. (Female in fanticided and foeticide: A Legal perspective – a Radha Krishnan Sharukh Alam, Divya Kapur on behalf of Central for Child and the Law, NLSU Banglore, P. 44)

16. (Grass roots – Reporting the Human Condition, June 2001 P. 5)
17. The Act was initially the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act, 1994 which came into force on 1/1/1996. The Act was renamed and largely amended in 2002 by the Pre – Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Amendment Act, 2002 (14 of 2003). The said amendment came into force on 14/02/2003. The Central Act is on the same lines as the Maharashtra Regulation of use of Pre-natal Diagnostic technique Act, 199. Several other State like Karnataka, Haryana and Rajasthan have also passed a similar legislation
18. National Crimes Report Bureau published on HT Times on 18 Aug. 2015

Prof. Dr. Vinod Tiwari- Professor & HOD of Law, Rajeev Gandhi Law College Bhopal MP

Birendra Kumar Tiwari – Assistant Professor of Law, Rajeev Gandhi Law College Bhopal MP

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

Social Structure in India

Dr. Asha Gupta*
Laxmi Sitani**

Indian Society is the collection of varied classes, cultures, regions, castes and languages. It has a vast and rich cultural heritage. The various kinds of people inhabiting this country and their diverse customs and traditions. Perhaps, more than in any other part of the world, India is a conutry where people have come to acquire multiple identities based on region (*e.g.* North India, North East India, Deccan and South India), Language (*e.g.* Hindi, Tamil, and Telugu), religion (*e.g.* Hindu, Muslim, Christian. Buddhist, Jain, and Sikh etc.). Each set of these and other identities corresponding to a distinct set of social relations, *i.e.,* a distinct social structure. However, there are threads which bind many of them together. Therefore understanding Indian social structure is nesessary because it explains our relations with each other in society. It tells us what kind of social institutions exist in society and how they got modified orver a period of time.

Objectives of the Study:

1. To Examine the Structure of Indian Society,
2. To Understand the evolution of the caste system and religion,
3. To Asses the role of family and marriage,
4. To Examine the role education in Shaping Indian Society.

Caste System

Definition of Caste:

"When a class is some that hereditary, we may call int caste." –C.H. Cooley

"It may be defined as an endogamous group or collection of such groups bearing a common name, having the same traditional occupation, claiming descent from the same source, and commonly regarded as forming a single homogeneous community." –Gait

Caste is associated above all the cultures of the Indian sub-continent. There is no single term for describing the caste system as a whole, the two main ones being 'Varna' and 'Jaati'. The major differentiation existed between people on the varis of 'Varna' or Colour.

---

* Principal, Girls Degree College, Sidhi (M.P.)
** Researcher (Life Long Learning Centre APFSU)

Thus, the people who did not belong to the vedic tribes worshiped different gods. They are said to have had an alien language, a dark complexion and worshiped different gods. This initial differentiation later developed into a complex 'vama system', which in place of the Tribe gad divided society into Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra cathories. the members of the Brahman 'varna' usually functioned as priests. The Kshatriyas were associated with the political functions, the Vaishyas were mostly agriculturists and the Shudras were the servile class. The first two 'varnas' exploited the most numerous and productive Vaishya varna, Whereas the therr in unision exploited the Shudras. 'Varna/Jati' system underwent further changes when new groups such as the Shakas, Kushanas, Parthians and Indo-Greeks people arrived in India. The economy was also undergoing changes. Growth of urbanisation. craft production and trade resulted in the rise of guilds or 'Shreni' which in later times became castes.

The North Indian Brahmanas are divided not only on the basis of gotra but also on the basis of their residence. Thus we have Kanyakubja, Sarayuparien and Maithila Brahmanas belonging to Kanauj, Sarayu river and Mithila respectively. A large number of Rajput sub-castes carry their earlier tribal names such as. Tomaras, Kacchavahas, Hadas and Chauhanas. These subcastes also acquired gotras for themselves. Thus the number of castes and sub-castes as well as that of the gotras kept increasing in medicval times. The Marathas also became a caste. The influence of caste syatem has been so great that even though the egalitarian religious reformers of the medieval period such as Basava, Ramanand and Kabir, tried to abolish caste among their followers, their sects soon took on the characteristics of new castes.

The concept of purity and pollution in Indian society is best reflected in the formation of a category known as untouchables (Antyajas). These People we the concept of purity and pollution in Indian Society is best reflected in the formation of a category known as untouchables (Antyajas). These people were considered as belonging outside the Brahmanical society. This notion of untouchability took during the last phase of the vedic period and became a separate social category in the age of the Buddha. Sometimes they were called the fifth varna (panchamd). Chandala is the term used loosely for many types of untouchables. They were not allowed to redside in the caste villages and had to stay in special quarters outside the main settlements. Their main task was to carry and cremate the corpses. The hunters (nishada), fishermen (kaivartas) leather workers (Charmkars), Sweeper and basket makers all became untouchables.

Family

According to Mack Iver and Page the family has the following features :

1. Universality

2. Social environment which influence the individual's early life.
3. Affective basis emotionality
4. Limited size
5. Central position in social structure
6. Sense of responsibility among the members.
7. Social regulation of behavior
8. Permanent of temporary in nature

The traditional Indian Family is a large kinship group commonly described as joint family. A joint family is one in which two or more generations love under one roof or different roofs giving a common heart. All the members own the immovable property of the line in common. These Family is generally patriarchal and patrilineal, that is, the father or the oldest male member is the head of the house and administrator of the property and the headship descends in the male line. In modern blowns a large number of nuclear families exist which consist of wife, husband and the childeren. Such families are also patriarchal and patrilineal. But there are many regions where families are matrilineal in which the headship descends in the female line such as in Kerala and the North-Eastern region of Nagaland and Meghalaya.

Whatever be the nature of the family it is the primary unit of the society. The members of the family are bound together by Sshraddha', the rite of commemorating the ancestors. 'Shraddha' defined the family; those who were entitled to participate in the ceremony. The bond between the members of the family gave a sense of social security to its members. In distress a man could rely on 'sapindas', members of the family group. The bond between the members of the family gave a sense of social security to its members. In distress a man could rely on the other members of the extended family. At the time of festivals and marriages, the responsibilities were shared reinforcing the family bond. In the post-independence period the constitution provided that religious community would be governed by their religious personal laws in matters of marriage, devorce, inheritance, succession adoption, guardianship, custody of childern and maintenance.

Marriage

Families are the result of a very important 'sanskara' ceremony known as marriage. Depending on its nature, marriage is of many kinds such as hypergamous (man of so called high caste and woman of low caste) or anuloma and hypogamous (man of low caste and woman of high caste) or pratiloma based on an alliance between different varna/caste; monogamous, polygamous and polyandrous based on the number of sporses. Examples of all kinds of marriages can be found in the Indian society. Traditionally speaking, marriages were arranged by the parents

of the couple who usually belong to the same caste, but of different 'gotras' (persons having common ancestor) and 'pravaras' (progibited degree). However, under the modern laws polygamy has been rendered illegal. Only Muslims can marry four times that too with some preconditions.

Religion and Indian Society: History of mankind proved that man is not only a social animal but also a spiritual being. From time immemorial religion is a major concern of human though. Religion is one of the oldest universal permanent interests of man. Beside Biological economic and social needs man has religious needs. He has religious quest which makes him to become restless even beyond the satisfaction of his basic physical needs. It is worth to note the Biblical saying "Man cannot live by bread alone". It is also that from the earlest times has been "incuradly religious".

Ogburn defined "Religion is an attitude towards super human powers".

In simple words we can define religion is a system of beliefs, rituals and values concerned with the sacred or divine forces.

Religion is a concrete which is associated with emotions, especially with fear. Many societies have a wide range of institutions connected with and a body of special official forms of worships, ceremonies and sacerd objects and like. Christianity, Islam, Hinduism etc. are really centers of elaborate cultural systems that have dominated whole societies for centuries religious groups in India.

SICULARISM : Secularism, along with a commitment to the ideals of democracy, equality and freedom were some of the fundamental principles that inspired a large section of our people to fight against British colonialism. After independence, these values were enshrined in the Constitution, thus enjoining the state to uphold these principles. In India, secularsm is pupularly

understood as the best philosophy that would enable people belonging to diverse religious backgrounds to live together in a harmonious manner, and create a state that would accord the same degree of respect and freedom to all religions.

Education: The level of education is one of the major indicators of walfare, prosperity and security of people in any society. Education is a process by which individuals are equipped with the skills of everyday life. Emile Durkheim conceived of education as intimately related to a society's structure. It reflects and maintains the society. In its role as an agency of social change, Eduvation in India today is noting like it was in Pre-Independence and post-Independence Era. Education System in India today went through a lot of changes before it emerged in its present form. Present education System in India is also guided by different objectives and goals as compared to earlier time. Present system of education in India, however is based around the policies of yesteryears. After

independence, it was on 29th August 1947, that a Department of Kducation under the Ministry of Human Resource Development was set up. After, 1960's the efforts were more focused to provide qualitative education facilities. The Right of Children to free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which represents the consequential legeslationenvisaged under Article 21-A, means that every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards.

Indian Society And Its Challenges: Indian social system has gone through many changes after independence. Thee social structure has been changing due to modernization, urdanizstion and westernizstion. Industrial development, education for all classes, secularism, spread of information technology have revolutionized every phenomenon of Indian society. Indian constitution has given right education, freedom of religious faith, uniform legal syatem equally to all citizens of India. All these factors changed the face of Indian social stucture.

Change in Institution of Marriage and Its Challenges: The institution of marriage has gone through a vital change. Spread of education, women education, growth of industrializstion, change in the rule women in society, lack of parental control has encouraged inter caste marriages. Divorce is not an unusual practice. Women are employed and getting financially strong. Some of them don't take marriage a necessity of life. They want to stay single whole life. Some uncommon practices such as Live-in-relationship, homosexuality, etc. are taking place of marriage in society. Thus we gave a challenge to save the pious bond that was formed between man and woman that is a prominent features of Indian society.

Change in the family and Its Challenges: Joint family has been a distinct featuures of Indian society. It has been desappearing gradually. In the changed socisl situation nuclear family is preferred. Due to development of technology and industrialization people opt to live in cities. Thus the rural areas are left with the seninor citizens only. Modern education affected joint family in several ways. It has changed the attitude, deliefs and values of people. Spread of education among females has created the individualistic feelings. All these result in the crumbling of institution of family. Everyone is concerned about his own welfare and future plans.

Caste System and Its Challenges : The caste system in its attempt to adjust itelf to the changed conditions of life has assumed new rules. Beside indutrialization and urdanization, other factors such as spread of education, socio-religious reforms, spatial and occupational mobility and growth of market economy have greatly affected the caste system. Education has made people

liberal, broad mined, rational, and democratic. Hence it was expcted that with the guowht of literacy in Indea casteism would come down. On the contrary caste consciousness is increasing. Caste has become a necessary factor of politics. Caste based organizations are formed and enforced in India.

Backawrd Classes in India: Caste based distinction do not have a place in the constitution of India. It sticks to secularism instead. Indian constitution has listed the 'untouchables' as 'Schaduled Castes' in a view to protect them exploitation. discrimination and degradation. The Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes are considered to be backward class of India and form one third of total population of India. 'there are lot of problems of SC'a and ST's that are to be solved such as poverty, land for agriculture, unemployment, lack of education, lack of mobility etc. Due to Government spcial provisions for these classes their plight has been improving. They are much more interested in facilities of education, scholarship and hostel facilities provided by the government. The still economically bachward classes have started moving to uplift themselves in the field of education, politics and administration.

Change in the Role fo women in Society : During last two decades women situation has surprisingly changed a lot. Being educated woman has a powerful role in the family. Now she has a say in the family affairs. Accrding to Indian constitution there eill be no distinction onthe basis of sex. Both male and female are equal. Still the dondition of woman in villages is not that satisfactory. In rural areas, they are confined to house and household responsibilities. Lack of education, chid marriages, suprstitions, dowry system are still prevailing there. Daughters are considered to be a burden due to dowry system. Female foeticide is a matter of great concern in our society. Social secrrity is also a burning question for women. Many provisions ae done by the government for women security and upliftment. But all these are proved to be less effective. Women's education, security, female foeticide are the different challanges before Indian Social syatem.

Growing Population and Challenges Before Indian Society : According to Census 2011, the Indian population increased to 1.21 billino with a decadal growth of 17.64%. Adult iiteracy rate increased to 74.04% with a decadal growth of 9.21%. A rapid growth is weem in the population during post independence period. Lack of education, poverty, lack of sex education etc. are the responsible factors of increasing population. Hindu social syatem is 'sun-oriented'. they still assume male child as an essential agent of 'MoKSHA'. Thus preference for male child becomes a cause of growth of population. Theis factor causes social as well as sex dixcrimination.

In Muslim society polygamy and restrictions on family planning are the few factors which ae responsible for growth of Muslim population. Thus with the growth of population many problems such as unemployment, lack of infrastrcture, housing problem, lack of medical facilities, education for all has been arising. Thus we see that Indian social structure is going through a variation due to the liberalization, broad-mindedness and spread of infornation technologies. Social reforms are possible due to the develoment of education. communication and transport facilities. Globalization is also an indispensable factor of this evolution.

References :

1. Social Structure of India-Module- VIII

2. Wikipedia

3. Indian Society And Social Change-Core Course- B.A. Sociology (Cailcut University).

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

Hospital & Bio-medical Waste & Its Impact on the Society

(A CRITICAL STUDY)

Mrs. Amita Saxena*
Dr, Jyoti Sharma**
Mrs. Sangeeta Sharma***

ABSTRACT

Judicious reuse of materials contributes towards better infection control, reduces disposables and also reduces the cost. Safe gandling of BIO MEDICAL WASTE continues to be a matter of seriors concern for gealth authorities in India. Thousands of tones of BMW originating from gospitals, nursing gomes and clinics in the form of cotton swabs and bandages infected with blood, needles, catheters, guman tissues and body parts, etc continue to be dumped in open gardage bins on the roads in most parts of the country. with apparently no machinery for granting permission to new nursing homes in any of the states, the generation of these dangerous wastes is only expected to increase in the days to come. barring a few large private hospitals in metros, none of the lther smaller hospitals and nursing homes has any efective system to safely dispose of their wastes. Such irresponsible dumping of these dangerous wastes in open bins has been promoting unauthorised reuse of medical waste by the rag pickers for some years now. After a spate of public Interest litigations, bio medical waste (Management and handling) rules were formulated and notified in july 1998. These were enforced in phased manner and are now applicable throughout the country.

Keywords:- Bio Medical Waste, catheters, human tissues, public Interest Iitigations,

INTRODUCTION

Hsital is a residential establishment which probides short term and long term medical care consisting of observational, diagnostic, therapeutic and rehabilitative services for a person suffering or suspected to be suffering from disease or injury and for partuient. But sometimes this boon becomes curse

* Asst. Prof. (Law), Rajeev Gandhi College, Bhopal (M.P.)
** Asst. Prof. (Pol Sc.), Rajeev Gandhi College, Bhopal (M.P.)
*** Asst. Prof. (Hindi), Rajeev Gandhi College, Bhopal (M.P.)

when a person gets infected from hospital itself. The treatment and disposal of biomedical waste has always been a huge cause for concern in the Country. According to a report, most gospitals aer nt dealing with their waste accwrding to the set guidelines and a substantial part of articles like used syringes are finding their way back into the market without treatment. This problem gas now become a serious therat for the public health and. ultimately. the Central Govenment had to intervene for enforcing proper gandling and disposal of hospital waste and an act wsa passed in july 1996 and a bio-medical waste (handling and management) rule was introduced in 1998.

Rag pickers in the hospital, sorting out the garbage are at a risk of getting tetanus and HIV infections. The recycling of disposable syringes, needles. IV Sets and other article like glass bottles without proper sterilization may be responsible for Hepatites, HIV, and other viral diseases. It becomes primary responsibility of Health administrators to manage hopital waste in most safe and eco-friendly manner.

According to Rajiv Nath (President of the All India Needle and Syringe Manufacturers Association): "We though the situation gad probably improved orer the years but it is clear that there are several loopholes in the system. The syringe market is all the more active since prices of plastic have gone up substantially."

For gloves, fo the 15,640 discarded daily, only 10% are autoclaved and then shredded. The remaining 90% are washed, repacked and sold in the market to either small nursing homes, or for use in households and gardening.

In exercise of the powers conferred by 6, 8 and 25 of the Environment (protection) Act, 1986 the Central Government hereby notifies the rules for the management and handling of bio-medical waste.

These rules apply to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, despose, or handle bio medical waste in any form.

According to the notification some definitions are as follows;

Bio-medical waste means any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunisation of human beings or animals or in research activties pertaining thereto or in the production or testing of biological, and including categories mentioned in Schedule I;

Biological means any preparation made from organisms or micro-organisms or product of metabolism and biochemical reactions intended for use in the diagnosis, immunisation or the treatment of human beings of animals or in research activities pertaining thereto;

Bio-medical waste treatment facility means any facility wherein treatment. disposal of bio-medical waste of processes incidental to such treatment of disposal is carried out;

History of hospital waste management

Waste management is one of the important public health measures. If we go into the gistorical background, before discovery of bacteria as cause of disease, the priciple focus of preventive medicine and public health has been on sanitation. The provision of potable water, disposal of odor from sewage and refuse were considered the important factors in prevention of epidemics.

Coming back to modern age, on the eve of 21st century with increased use of disposable material and the presence of dreaded disease like Hepatitis - B and AIDS, it is utmost important to take care of the infected and hazardous waste to save the mankind from disaster,

What is hospital waste?

Hospital waste refers to all generated, discarded and not intended for further use in the hospital. It is broadly categorized into the following categories:

Non-medical waste (or non-hazardous waste)

General or non-medical waste poses no additional risk of injury or infection to staff, to patients, to visitors, or to the community at large. It is similar in composition to household trash,

Medical wast (hazardous waste)

Medical waste consists of several different sub categories such as:

Infections waste

potentially infections waste includes all waste items that are contaminated with or suspected of being contaminated with body fluids Examples include; Blood and blood products, used catheters and gloves, cultures and stocks of infectious agents, waste from dialysis and dentistry units, from isolation units, wound dressing, nappies, discarded diagnostic samples, infected animals from laboratories, and contaminated materials (swabs, bendages, and gauze) and equipment (disposable medical devices, e.g., IV Fluid lines and disposable spatulas).

Anatomic wastes

Anatomic wastes consist of body parts and tissues (e.g., placenta), waste from clinical labs, and animal carcasses.

Sharps waste

Sharps waste consists of used syringes, needles, scalpels and blades, etc.

Chemical waste

Waste containing chemical substances e.g., laboratory chemicals, empty bottles of lab or pharmacy chemicals, disinfectants that have expired or are no

longer needed solvents, diagnostic kits, poisonous and corrosive materials, and cleaning agents and others.

Pharmaceutical waste

Waste containing pharmaceutical substances. Examples include: Expired, unused & contaminated pharmaceuticals, e.g., expired drugs, vaccines etc.

Genotoxic waste

Geotaxis waste consists of highly hazardous, mutagenic, teratogenic, or carcinogenic waste containing substances with genotoxic properties.Examples include: Cytotoxic, neoplastic drugs used in cancer treatment, their metabolites and genotoxic chemicals.

Examples include: Unused liquids from radiotherapy or laboratory research; contaminated

Glassware, packages, or adsordent paper; urine and excreta from patients treated or tested with radioactive substamces.

Liquid biomedical waste: a serious threat

Biomedical waste in solid form is noticed by everybody but hospitals also generate liquid waste daily in hrge quantity. For an example a 150 bedded hospital generating 15/20 thousand liters of liquid biomedical waste from all the departments i.e. OT to canteen, every where the wather using is rolling down to a main drain of the hospital finally. This water is a mixed solution of all potential toxic substances discharged by various departments, including the residential area of the hospital, Nrses quarters, canteen etc.

If hospitals are not doing the treatment of effluent they are contaminating the River through drains. UItimate destination of waste water is drein to River via many other wather bodies. From river it will go further to any of the rivers or tributaries. This unnoticed pollution is causing various helth hazards and some new infection, which are puzzligh to the doctors.

Radioactve Waste Management in a Hospital

Most of the tertiary care hospitals use radioisotopes for diagnostic and therapeutic applications. An important objective in radioactive waste mangement is to ensuer that the radiation exposure to an individual (pubilc, Radiation worker, patient) and the environment does not exceed the precribed safe limits. Disposal of Radioactive waste in public domain is uvdertaken in accordance with the Atomic Energy (Safe disposal of radioactive waste) rules of 1987 promulgated by the Indian Central Government Atomic Energy Act 1962. Any prospective plan of a hospital that intends using radioisotopes for diagnostic and therapeutic procedures needs to have sufficient infrastructural and manpower resources to

keed its amdient radiation levels within specified safe limits. Regular monitoring of hospital area and radiation workers is mandatory to assess the quality of radiation worders is mandatory to assess the qrality of radiation safaty. Records should be maintained to identify the quality and quantity of radioactive waste generated and the mode of its disposal.

The management of radioactive waste involves two stages: collection and disposal. The radeoactive waste should be identified and segregated within the area of work.

Rationale of hospital waste management

Hospital waste management is a part of hospital hygiene and maintenance activities. In fact only 15% of hospital waste i. e. " Biomedical waste" is hazardous. not the complete. But when hazardous waste is not segregated at the source of generation and mixed with nongazardous waste, then 100% waste becomes hazardous. The question then arises that what is the need or rationale for spending so much resource in terms of money, man power, material and machine for management of hospital waste? The reasons are:

1. Injuries from sharps leading to infection from poor infection control practices and poor waste handler.
2. Nosocomial infections in patients from poor infection control practices and poor waste management.
3. Risk of infection outside hospital for waste handlers and scavengers and at time general public living in the vicinity of hospotals.
4. Risk associated with hazardous chemicals, drugs to persons handling wastes at all levels.5
5. "Disposable" being repacked and sold by unscrupulous elements without even being washed.
6. Drugs which have been disposed of, being repacked and sold off to unsuspecting buyers.
7. Due to waste or defective incineration emission and ash risk of air, water and soil pollution have been increased.

Final Disposal of Solid Medical & General Waste

There are two different ways of final disposal at a facility: Burn and Non-Burn techniques.

1.Non-burn techniques:

The waste is buried inside the earth. Some precautions have to be taken in burying. Burial should be at least 50 meters from the nearest water source, located downhill from any wells, free of standing water, and in an area that does not flood. Burial pit should be 1-5 meters deep. The bottom of the pit should be at

least 1.8 meters above the water table. Erect a fence or a wall around the site to keep out animals. Every time solid medical waste is added to a the pit, cover it with 10-30 cm of dirt. When the level of waste reaches to within 30-cm of ground level, fill the pit with dirt, seal it with concrete, and dig a new pit.

2. Burn technique

Incineration of sokid medical waste Incinerating is the best option for solid waste disposal, since the high temperature (1300 ^{o}c) destroys incineratoe or oil drum is recommended. Facilities that generate low levels of solid medical waste can use a small drum incinerator. A drum incinerator can be made from a 200 liter or 55 gallon oil drum.

Using a drum incinerator:

The drum incinerator should be sited downwind from the the facility. Put a fence around the incinerator or never leave the fire unattended in order to ensure the safety of staff, patients, visitors, and the community at large. place the incinerator on hard earth to prevent grass or vegetation from catching fire. The drum incinerator should have Sufficient air inlet to allow for efficient and complete burning of medical waste.

Only medical waste to minimize the amount of waste to be burned.

Use kerosene as an accelerant. To avoid an esplosion add kerosene before ignition.

Treat ash from incineration as general waste and dispose of it properly. Liquid medical waste should be buried.

Final Disposal of Liquid Medical Waste

Liquid medical waste can be poured down a sink, drain, and flushable toilet, If none of these are available, in a pit. points to remember when disposing of **Iiquid medical waste:** Always wear heavy utiliy gloves and shoes when handling or transporting liquid medical waste. Afrerwards, wash bwth gloves and shoes. Consider where the sind, drain or toilet empties. It is hazsrdous to have medical waste folwing through open gutters or ecptying onto the grounds of the facility. When carrying or disposing of liquid medical waste, avoid splashing the waste on yourself, on others or on surfaces. After disposal rinse the sind, drain, or toilet to remove residual at the end of each day or more often if heavily soiled. Decontaminate the container that held the liquid medical waste by filling it with a 0.5% chlorine solution and leaving it for 10 minutes before washing.

Final Disposal of Hazardors Chemical Waste

Always wear heavy urility gloves and shoes when handling or transporting hazardous chemical waste. Afterwards, wash both gloves and shoes if they become contaminated. Dleaning solutions and disinfectants should be handled as liquid

medical waste. After disposal, rinse containers thorouhgly with water, wash glass containers with detergent and water. Do not reuse plastic containers. Disposing of cytotoxic and radioactive waste should be done in accordance with all local and national laws and regulations.

Waste Management-Sharps (Safa sharps Disposal)

The term "sharps" refers to any object that can cut or puncture the skin including, but not limited to, needles (hypodermic and suture) scalpels, lancets, broken vials or glass, broken capillary tubes, slides and cover slips, and exposed ends of dental wires. The primary cause of occupationa; exposure to blood-borne pathogens in all health care personnel (HCP) is injury from needle sticks or other sharp objects. At least 20 pathogens have been known to be transmitted following percutaneous exposure to blood. The most important of these pathogens are hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and HIV. Infections with each of these pathogens are potentially life threatenint and no preventable.

Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of India:

This national apex regulatory body was constituted in 1983 to perform certain regulatory and safety functions. The main mission of AERB is to ensure that the use of ionizing radiations and nuclear energy in India does not cause undue risk to health and environment. The Atomec Energy Act of 1962 governs the use of radioactive materials and radiation generating equipment. Under section 30 of thes Act; the Central Government has issued The Atomic Energy (Safe disposal of radioactive waste) Rules, GSR-125, 1987. The ACRB safety code includes salient recommindations on disposal of radioactive waste (SC/Med/4). The employer, which may be the Head of the institution, shall obtain an authorization from the Competint Authority for disposal of radioactive waste either locally or through authorized waste disposal agency. The Chairman, AERB may issue surveillance procedures, codes, standards, and guides which elaborate the provision of Rules for implementation.

Developing a national policy and legislation

A national policy is the first and key step in creating a sustainable healthcare waste management system for any country. First, the policy should be desiged to take account of all international agreements that the country has signed up to; and secondly, it should address the international principles decreed for environmintal protection as wall as of the health and safety issues that are required to protect human health and the environment.

The policy should to ensure that informed decision making is available at a political level, and to require that the policy is carried out at all levels in the community. The policy should be reviewed at regular intervals and should also

take into account the stage of development that has been reached and the progress that should be taken into account are as follows:

The 'polluter pays' principle implies that all producers of waste are legally and financially responsible for the safe environmentally sound disposal of the waste they produce.

The 'precautionary' principle is a key principle governing health and safety protection. It is defined and adopted under the Rio Declaration, Principle 15, as: 'Where there are threats of serious or irreversible damage to the environment, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmenal degradation.

The 'duty of care' principle stipulates that any person producing or managing hazardous substances, or related equipment, is ethically responsible for using the utmost care in that task.

The 'proximity' principle recommends that treatment and disposal of hazardous waste takes place at the closest possible location to its source in order to minimize the risks involved in its transport.

The 'prior informed consent principle' requires that all parties involved in the production, storage, transport, treatment and final disposal of hazardous and infectious wastes, are to be licensed or registered to produce, receive and handle named categories of waste. In addition, only kicensed organizations and sites are allowed to receive and handlw the waste.

In addition, there are two important conventions which the country (when creating its policy) will have to take account of, particularly if the are a dignatory to that convention. They are:

The Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - The Basel Convention regulates the trans-boundary movements of hazardous and other wastes applying the 'prior informed comsent' procedure (shipments made without condent is illegal). This convention is the most comprehensive global environmental treaty on hazardous and other wastes.

The Stockholm Convention on persistent Organic Pollutants (POPs) - The Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and the environment from POPs. POPs are chmicals which remain intact in the environment for long periods; they become widely distributed geographically, accumulate in the fatty tissue living organisms, and are toxic to humans and wildlife.

Sustainable development

In addition to these Conventions, the Agreements on Sustainable Development (decided on at the World Summit in Johannesburg in 2002) will

have to be taken into account. The principle of sustainable development have not been fully addressed by international and national organizations when advising upon best practice for healthcare waste management . This is now a priority, and focus worldwide on the management or resources and the issues of sustainability has begun to concentrate attention on this issur.

For example, in the UK, ecological foot printing and a mass balance analysis has been carried out in the National Health .In the NHS the rates for recycling are very low, on average at 1.8%, compared with the potential of 62% for

hiusehold-type waste produced in medical establishments.

The paper, Guidelines for the evaluation and assessment of the sustainable use of resources and of wastes management and Research (2005: 23: 398-408) sets out guidelines and a toolkit that can be used by managers of heslthcare facilities to evaluate and assess the quantity of resources and wastes at their facilities - enabling the principles of sustainable development to be improved.

Legal Aspects And Environmental Concern

Indiscriminate disposal and hazardous waste from hospitals, Nursing homes and pathological laboratories has led to significant degradation of the environment, leading to spresd of diseases and putting the people to great risk from certain highly contagious and transmission prone disease vectors. This has given rise to considerable environmental concern. The first standard on the subject to be brought out in India was by the Bureau of Indian Standards (BIS), IS 12625 : 1989, entitled 'Solid Wastes Hospitals-Guidelines for Management' but it was unable to bring any improvement in the situation. In this scenario, the notification of the 'Biomedical waste (Management & Handling) Rules, 1998' assumes grest significance.

Bio-medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998

The Central Govt. has notified these rules on 20th july, 1998 in exercise of section 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1997 and public suggestion / comments werw invited within 60 days. These suggestions were condidered before finslising the rules.

Scope and application of the Rules

These rules apple to all those who genrate , collect, receive, store, thansport, treat, dispose or handle bio-medical waste in any form. According to these rules, it shall be the duty of every occupier of an institution generating bio- medical waste, which includes hospitals, nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institution, animal houses,pathology laboratories, blood banks etc., to take all steps to ensure that such wastes are handld without any adverse effect to human health and the environment. The have to either set up their own faciliy within the

time frame or ensure requisite treatment at a common waste treatment facility or any oter waste treatmemt faciliy.

Every occupier of an institution, which is gnerating, collecting, storing, transporting, treating, disposing and\or handling bio-medical waste in any other manner, except such occuier of clinics, dispensaries, pathological laboratories, blood banks etc., which provide treatment/ service to less than 1000 (one thousand) patients per month shall make an application in prescribed form to the prescribed authority grant of authorisation to carry on the work. whenever an accident occurs concerning bio-medical waste, it has to be reported to this authorituy. Each state and Union territory (UT) Government shall be requirted to establity authority for this purpose. The respective governments would also constitute advisory committees to advise the Governments with respect to implementation of these rules. The occupier or operator can also appeal against any order of the authority if they feel aggrieved to such other authority as the Govt. of the State/UT may think fit to constitute. Prescribed Authorities, so far established by various State Governments are listed at 'Bio-Medical (Management & Handling) Rules, 1998.

Landmark decisions to streamline hospital waste management

With increasing awareness in general population regarding hazards of hospital waste, public interest litigations was filed against officials. Some landmark decisions to streamline hospital waste management have been made in the recent past. These are:

1. Supreme Court judgment dated 1st March 1996 in connection with safe disposal of hodpital waste ordered that

(a) All hospitals with 50 beds and above should install either their own incinerator or an equally effective alternative method before 30th November 1996.

(b) The incinerator or the alternative method should be installed with a necessary Pollution control mechanism conforming to the standard laid down by Central Pollution Control Board(CPCB).

(c) Hazardous medical waste should be segregated as source and disinfected before final disposal.

2. Ministry of Environment & Forest, Govt. of India issued a notification for Biomedical Waste(Management & Handling) Rules 1998 in exercise of powers conferred by Section 6, 8 & 25 of the Environment (Protection) Act, 1998 that was published in the Gazatte of India Extraordinary, Part-11, Section 3-Sub-Section (ii) Niw Delhi, July 27, 1998.

3. The Delhi Pollution Control Committee has been designated as Prescribed Authority to implement these rules in the National Capital Tarritory of Delhi. The Financial Commissioner has been designated as appellate authority in Delhi.

4. In exercise of the Powerd conferred by Rule 9 of Delhi has constituted an (Management & Handling) Rules, 1998 the Lt. Governor of Delhi has constituted an Advisory committee Vide No. F. 23 (322)/95/EN/99 to act such authority under the said Rules.

The composition of the Advisory Committee has 10 members with Pr. Secreta as Member Secretary/Convener. Under Chairmanship of principal Secretary (Health & Family Welfare) thes Committee meets from time to time to discuss and decide about various Issues connected with these rules. It is primary responsibility of the government to implement the recommendations and direction of the Supreme Court and Biomedical Waste (Management & Handling) Rules 1998 in public interest, so that Bio-medical waste does not cause any harm to men, animal and environment.

Conclusion and suggestions

The hospitals and bio medical facilities meant to ensure better health have unfortunately become a potential health risk due to mismanagement of the infectious waste. BMW from gospitals, nursing home and other health centers composed of variety of wastes like hypodermic needles, scalpls blades, surgical cottons, gloves bandages, elothes, discarded medicine, blood and body fluids, human tissues and organs, radio-active substances and chemicals etc. Thes area of waste management is grossly neglected.

The researcher, there needs to be requisite emphasis on the following which could be done through a program that includes;

1. Updated Guidelines for the segregation, management and disposal of infectious or potentially infectious biomedical wastes should be properly given.

2. Reduce the incidence of health care worker and the public from contacting a desease or injuty from biomedical waste.

3. Provide guidanee to the health care system on the opportunities for waste minimization and the reduction of air contamination from incineration of biomedical waste.

4. Strategies and appropriate handling techniques for bio-medical waste management.

5. Create awareness about Hospital acceditation with focus on guidelines related to healthcare safety issues related with disposal of Bio-Medical waste.

6. Understand the new technologies available for Safe disposal of Bio-medical waste from Environment friendliness point of view & infection control in hospitals.

7. Economic issue involved in Management of Bio-Medical Waste & Role of publecpricate partnership also, it should be made mandatory for the following to be a part of the above mentioned programme in order to increase the awareness

among them so as to ensure better treatment of the bio-medical waste in the hospitals.

REFERENCES

1. Hem Chandra, Hospital Waste an Environmental Hazard and Its Management. (1999)
2. Govt. of India, Ministry of Environment and Forests Gazette No 460 dated july 27. New Delhi: 1998: 10-20
3. The Bio Medical Waste (Management and Handling) Rules, (1998).
4. Mandal S. K. and Dutta J. , Integrated Bio-Medical Waste Management Plan for patna City. Institute of Town Planners, India Journal 6-2:01-25 (2009)
5. Wikipedia, the free encyclopedia
6. Indian Standards 'Solid Wastes-Hospitals-Guidelines for Management: IS
7. 12625:1989. Bureau fo Indian Standards, New Delhi.
8. 7.A Hand Book on Health Care Waste Management-a guide for Developing Countries.
9. A WHO Publication
10. Impleminting Hospital Waste Management
11. CEET: Biomedical Waste Management-Burgeoning issue (2008)
12. Dr. Saurabh Sikka. Biomedical Waste inlndian Contex

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

SUPPORTIVE : Web-based INNOVATION tools for customer involvement IN product development

Dr. Sanjay Shankar Mishra*
Kirtika dwivedi**

ABSTRACT

Customer involvement in new product development has recently become a major issue in management literature. Underlying all innovation activities is the particular attention progressively being focused on regarding consumers as partners in the learning process, even discriminating between the contribution made by advanced users and ordinary users compared to professional developers. Companies have new opportunities to improve their innovation processes by applying the knowledge and competence of their own customers rather than just accumulating knowledge about them through traditional marketing research. Companies can thus create value by working with their own customers rather than just working for them. This mutual collaboration allows a company to improve its external fit by reinforcing its competitive edge, since it can better anticipate market changes and satisfy not only its customers' desires but also their potential needs.

Keywords— customer, innovation, development process Service Interaction Patterns, Collaboration, Services Science, Web tools,

Introduction

New forms of collaborative production and innovation are based on voluntary and uncompensated participation of autonomous actors rather than on contracts. The specifics of participation differ fundamentally from the way employees participate in intra- firm production or innovation processes, even when the external actors take on tasks that previously had been handled by employees. Autonomous factors that contribute to collaborative production processes are outside companies' hierarchies, and they are not subject to their instructions or assignment of tasks, nor are they under any obligation to perform or provide a particular service. In fact it is assumed to be unlikely that they would voluntarily subject themselves to hierarchical controls or central coordination. Rather, the

* Prof. & Head, Department of Commerce, Govt. T.R.S. (Auto) College, Rewa
** Research Scholar, E-Mail : kirtikadwivedi87phdwork@gmail.com

actors themselves choose what contribution to make, based on their own interests and intrinsic motives.

Contributions to collaborative production processes are not driven by market exchange either. Usually the products created from the voluntary contributions of external actors are public goods, available free of charge over the Web, rather than commodities. Contributions to the production of these products are not stimulated by financial rewards, neither by sharing of product sales, nor by direct payments for the underlying work or reciprocal contributions by others.

In new forms of collaborative production, in cases such as Wikipedia, open source software, YouTube, and social media, large numbers of actors are involved. Thus voluntary contributions here are not on a small scale, nor sporadic or exceptional, but on a very large scale, systematic, and with lasting returns. Moreover, they produce core components of highly knowledge-intensive products that originate in sophisticated, innovative and creative activities of professional quality. The fact that products compete successfully with products from leading commercial firms is emphasizing the high professional standard of the volunteers.

Collaborative Production and Value Creation by Firms

Collaborative production is possible with and without companies, as the wide range of successful cases from Wikipedia and open source software to YouTube and Facebook, Spreadshirt and Crytec shows. In the previous sections we discussed how autonomous actors work together without firms, making voluntary contributions to the development of large public goods. In this final section we look at constellations with companies. As has been argued frequently, firms are interested in integrating external actors into production and innovation processes for many reasons. The critical question here is how firms are able to attract voluntary contributions from a large number of external actors. Or to put it in our line of argumentation more specifically: Can collaborative production mechanisms as we have described above be made consistent with firms' value creation strategies.

As a starting point we will address the most likely inconsistencies between firms business models as well as their production and innovation strategies on the one hand and mechanisms of collaborative production as described in the previous section on the other hand.

(1) Value creation strategies might conflict with the provision of public goods.

(2) Firm-driven hierarchically organized production strategies might conflict with the principles of autonomously defined tasks. And

(3) Firms strategies to control production and innovation processes might conflict with the principles of community-based collective self-organization.

First, there are good reasons for external actors to expect that their contributions are freely available for the use of others even if they collaborate

within firm-driven constellations. As voluntary co- producers they intend their contributions to be used without restrictions by others within the community and not for the profit of the company. Furthermore, the transparency of the collaborative product, which is necessary for collective self-coordination, demands open access to the contributions made by all others. The external factors see themselves as part of a community in which the product is created through collective action. The shared goals that keep the community together are focused on the collective product, and the social structure evolves from contributions. So, without public and open goods, social embedding of the productive activities in a community could fail and uncompensated contributions from large numbers of external actors become un-likely.

Second, interests and motives of external factors may be neglected or suppressed when possible tasks are predetermined and planned by the firm. As autonomous actors voluntary co-producers are used to self-selecting the tasks they address and the contributions they make. They presumably would not wish to follow companies' instructions. However, firms' strategies for organizing production and innovation processes rely at least to some extent on firm-centered planning and predefinition of tasks. If the company does not allow the externals sufficient room to maneuver in implementing their own interests and self-organizing their voluntary activities, the company may find that no voluntary contributions are made.

Third, firms' hierarchically planned production and innovation processes with their inherent rules of decision-making conflict with basic principles of community based collective self-organization. Communities of external actors are the locus of decision in the way we have described collaborative production and innovation. Here, rules for contributions and the basic design of the collaborative product are discussed in the community according to their rules and the structure. Decisions about the selection of contributions must be widely accepted in the community and are strictly observed.

To come back to the question of how firms are able to attract voluntary contributions from a large number of external actors, one possible answer is, by mitigating those inconsistencies. However, as far as conventional business models of firms are assumed, it may be difficult to cope with this challenge. And if we look at some of the best known cases of firm-driven collaborative production far-reaching changes in conventional business strategies and production models are made in order to attract voluntary contributions on a large scale. These adjustments can be seen as specific answers to challenges that result from inconsistencies between conventional business strategies on the one hand and the preconditions for collaboration of external actors we described above.

Review of Literature :
Chesbrough et al, Reichwald and Piller et al. (2006)

The perhaps most elaborated approach firms follow to combine collaborative production patterns with value creation strategies is to search for new business models and new strategies to co-create value. A typical model in the software industry is to create value not by selling (OS-) software, but by offering open-soure-software-based services. In the media sector firms typically draw on advertising as a common business model that deal in public or free products. It can easily be combined with the collaborative production of free and open content on a web platform. But, in contrast to the conventional advertising models, the content here is provided by voluntary contributions of external actors (user-generated-content), while the company organizes the infrastructure services. From the perspective of the company this approach requires a (new) strategy. The offered product or service is split into two parts one remains firm-organized, but the other is self-organized by a community of external actors. Although the firms' commercial service provision relies entirely on the contributions of externals, the firm has no control over the community-managed part of the production. Therefore risks and uncertainties in this model are high, in particular in its initial stage, when there is no critical mass of content. On the other hand the initial investment of firms may be low, as long as the service is not used on a large-scale.

Pattern of Co-Production Based on Collaborative Technologies

As fore mentioned, Web 2.0 tool exploitation is becoming more and more common in service provision, to the point that it can be viewed as a common pattern that the authors name "co-production based on collaborative technologies". The rationale is that Web 2.0 tools support collaborative work (especially knowledge work) and collaboration is a key component of co-production. Web 2.0 tools are well suited for information and knowledge management, which are also important themes in Service Science. Knowledge and information management have several implications in the service world, but we only wish to consider the knowledge aspects affecting the customer/provider relationship. As reported in knowledge sharing among providers and customers is a problem in the service framework. The intangible nature of services lacks of the coordination support that a product can provide among customer and producer, therefore, an alternative knowledge sharing process has to be carried out among service costumers and providers. The Web 2.0 tools provide an easy and cost effective way to support collaboration and knowledge sharing among a producer and a customer. Furthermore, it can exploit the "Community economy of scale". Web 2.0 tools connect not only a customer with her/his provider, but also allow all customers and providers to contact each other creating a virtual community of

people with similar problems in which knowledge about problems and solutions can circulate.

Lakhany and Wolf (2005), Benkler (2006)Bitzer, Schrettl and Schröder (2007), Ghosh and Glott et. al. (2010)

But who are these actors and why do they make voluntary contributions? As empirical studies show, motives include fun, gratification, self-fulfillment, an interest in the specific issue or activity, and the enhancement of knowledge and abilities. Such motives are most likely to be answered by creative, innovative and challenging activities; in other words, tasks with these characteristics are most likely to stimulate contributions of this kind. If the aim is to attract as many participants as possible and gain a large number of contributions, providing a wide selection of possible activities would be an advantage, especially as the interests and abilities of the contributors are quite heterogeneous.

Furthermore, as Benkler notes, it is the Internet that has enabled individuals to do more for and by themselves1. The means of production required for innovations and knowledge-based production processes (computers, Internet access, software) are widely available today. Many tasks that formerly required a lot of cost-intensive equipment – generally only available within companies – can now be carried out easily by individuals thanks to the Internet and inexpensive information technology. As a result, distributed production and extensive division of labor are no longer restricted to bureaucratic organizations.

Raymond, Weber and von Hippel (2005)

In many cases, independent producers are simultaneously users of the products and vice versa. Open source software production is a typical and frequently cited example. Here, the initiators and main producers are generally developers who feel the need of a particular software product that does not yet exist, or to which they have no access. They first develop an idea for a product, and then begin with the initial programming steps. If other developers find the idea useful, a project emerges and eventually leads to a software product that is available free of charge; one that specifically targets the need of the users, who are simultaneously the producers. Eric von Hippel has generalized this model of "user-centered" or "user-driven" innovation and production processes. He argues that users' roles are unique because they "expect to benefit from using a product or service, while manufacturers, by contrast, expect to benefit from selling it". Users are thus to a certain extent the "better", more competent product developers because they know from their own experience exactly what features the product should have. Returning to our initial question as to why these external actors are voluntarily involved in production, in these cases the answer is: Because they want to use the products. Von Hippel expands this argument further by pointing out that mass products do not satisfy individual needs. Their manufacturers, he

states, "tend to follow a strategy of developing products that are designed to meet the needs of a large market segment. But users' needs for products are highly heterogeneous in many fields" That is why users often do not get exactly what they want and, ac-cording to von Hippel, why they are so willing to develop, modify or otherwise customize products for their own use.

In this context it might be of interest to look at new ways of mixing self-organized collaborative production with firm-based activities. Firms may provide, for instance, critical infrastructure that enable collaborative production of autonomous co-producers. YouTube and most of the social networks are such cases in which companies operate infrastructure platforms. While operating a web platform is less complex than building a factory, large collaborative projects do require large global infrastructures, which often is expensive and difficult to organize (as seen in Wikimedia). Therefore, firms may play a critical role in particular for the emergence of forms of collaborative production that need complex and costly plat-forms. However, although firms can afford to continue providing an expensive infrastructure even if it is under-utilized, providing an enabling infrastructure is no guarantee for its usage by voluntary co-producers.

Objective

- To establish suitable effectiveness criteria for web based collaboration.
- To describe the extent to which the effectiveness criteria for web based collaboration.
- To determine the factors associated with the effectiveness criteria for web based collaboration.
- To determine whether some of those factor are more influential than other.
- To understand the power of this Internet-based distributed innovation platform, consider an example of an innovation challenge

Research Methodology

Research can be defined as executing an investigation to acquire an additional knowledge or idea to add to an existing understanding and knowledge of a particular discipline. Furthermore he explained that research could also be seen as the act of creating an activity that contributes to producing a new idea or knowledge. The knowledge is classified as new due to the fact that the theories used in the findings and interpretation of the research might be different from the existing information or literature in other way.

The process for this study has involved a combination of research, synthesis and analysis. In answering the research questions, the research work is predicated on primary and secondary source of information. With the primary source, an email interview was con-ducted on three companies with the relevant interview questions regarding their experience and view on working with a multicultural workforce. The secondary source of information was gathered from the Internet regarding workplace web based collaboration on two companies.

CONCLUSION

In this paper we presented a research focusing on the role of collaborative technologies supporting co-production in services. We have identified a pattern that can be observed in services for managing knowledge. The pattern is based on Web 2.0 tools supporting the value co-production during the service process. We analyzed Wikipedia as a special kind of service where the creation and sharing of knowledge are supported by collaborative tools and the users have the role of value co-producers. We verified the soundness of the pattern in several service types, considering not only Web 2.0 and technology oriented services. We realized that the pattern could be observed in several categories of knowledge-based service. We believe that collaborative technologies can play an important role in knowledge-embedded services too, however, the impact in such cases still has to be monitored. Finally, we explored the role of co-production in the service life cycle grounding in some well known frameworks and models of service design and classification.

To face the typical problems caused by the steady qualitative change of consumer characteristics, companies have to react with commensurate business standards and practices. Thus, it can be assumed that a new type of company will emerge. The fact that companies so often make mistakes in their web 2.0 communications suggests that companies either have not noticed the change of consumer culture, do not want to face the challenges it presents, or do not take it seriously enough. We might suppose that negotiations take place within companies about adequate standards for reacting to different online situations, but the conventional customer is still the predominant focus of planning and strategy. Consequently, inadequate forms of interaction with the new type of internet customer can serve to aggravate or bring out the negative side effects that are already inherent in web 2.0 customer integration. Reichwald and Piller (2006) indicate that a company's ability to integrate customer knowledge in its entrepreneurial value chain should be embedded in management training, organization, and infrastructure as a matter of routine. But apart from gaining customer input proactively, companies operating in web 2.0 have to develop and implement permanent organizational resources and practices in order to harness consumers who are adept internet users.

The phenomenon of customer or user involvement in the value creation of companies is central to this research project. The review of the existing literature revealed clear distinctions between the materiality of the phenomenon, its specifications, its evaluation and its varying foci. The original sociological approach of the "working customer" predicts a rise in the companies' dominance over the customers, as well as an increasing economization and capitalistic takeover of the private realm. In contrast, researchers investigating innovation and the internet assume there will be a loss of relevance of the private company as an institution and an increase in relevance of collaborative community building.

The economists cited here – and also some sociologists studying consumption – take up an intermediate position between these two extremes: They assume that companies as well as customers or user communities will be able to benefit from each other and will create a win-win situation for all participants. Collaborative practices show up as a rich field for future research: Living in an age in which individuals show an increasing willingness to offer their skills to companies without a financial reimbursement – but are still full of personal motivation– seems to become a regular pattern with considerable reach. In terms of the theoretical approaches it can be said that they have all been validated within their specific context. Nevertheless, in the future theoretical approaches need to be developed that allow for a better understanding of the reciprocity of the relationship between customers and companies

References :

1. Benkler, Y. (2006). The wealth of networks. How social production transforms markets and freedom. New Haven: Yale University Press.
2. Bitzer, J., Schrettl, W. and Schröder, P. (2007). "Intrinsic motivation in Open Source Software development." In: Journal of Comparative Economics, 35(1), 160– 169.
3. Chesbrough, H. and Appleyard, M. (2007). "Open Innovation and Strategy." In: California Management Review, 50(1), 57-76.
4. Frost, I. (2006). Zivilgesellschaftliches Engagement in virtuellen Gemeinschaften? Eine systemwissenschaftliche Analyse des deutschschprachigen Wikipedia-Projektes. München: Herbert Utz Verlag GmbH.
5. Fueller, J. and von Hippel, E. (2008). "Costless creation of strong brands by user communities: Implications for producer-owned brands."
6. Luhmann, N. (1964). Funktionen und Folgen formaler Organisation. Berlin: Duncker & Humblot.
7. Piller, F., Reichwald, R. and Christopher Ihl. (2007). "Interaktive Wertschöpfung – Produktion nach Open-Source-Prinzipien." In Open Source Jahrbuch 2007, pp. 87-102.
8. Postigo, H. (2007). "Of Mods and Modders. Chasing Down the Value of Fan-Based Digital Game Modifications." In : Games and Culture 2(4): 300-313.
9. Reichwald, R. amd Frank Piller. (2009). Interaktive Wertschöpfung: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung. 2., komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Gabler.

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

"Impact of training on employee's performance at Tata Motors"

Dr. Sunil Tiwari*
Manjushri Mishra**

Abstract

Organizing training programme is a subsystem of an organization. It ensures that randomness is reduced and learning or behavioral change takes place in structured format. On bases of above study and after critical analysis of the data collected. I said that Tata Motors ltd. is organizing training program according to the need of organization. The organizing training program given in the Tata Motors ltd. is having the average satisfaction to employee of the organization.

The present conclude that the majority of the employees are interesting in the attending training programs and most of them agree that they could transfer the learning by implementing now knowledge, skill, abilities, and technology that they got from the training programs.

In general company provides a very well desired and winding shared training policy to its employees however; there could be improvement in the case of conducting feedback rewards so as to analyze the status of the employees after training. Hence, I would like to conclude that their is given much importance to organizing training program's .because it increase efficiency it provide skills of product, increase the profit of the company which is prime requirements.

The organizing training program given in the Tata Motors ltd. is have the average satisfaction to employee of the organization

INTRODUCTION

Organizing training programme is a subsystem of an organization. It ensures that randomness is reduced and learning or behavioral change takes place in structured format.

Training means equipping the employee with the required skill. It is the process of learning a sequence of programmed behaviour it is application of knowledge. It makes people aware of the rules & procedure to guide their behaviour. It improves the performance of employee in current Job & prepares them for indented job.

---

* Prof. Incharge M.B.A. (H.R.D.), A.P.S. University, Rewa (M.P.)
** Research Scholar, email : munjushri.mishra@gmail.com

Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job it is concerned with importing specific skill for particular purpose. It is necessary to raise the skill levels and increasing the versatility and adaptability of employees for their efficient performance to all new and old employees.

According to - Dunn and Stephens

"Training refers to the organization's efforts to improve an individual's ability to perform a job or organization role, whereas development refers to the organization's efforts (and the individual's won efforts) to enhance an individual's ability to advance in his organization to perform additional duties."

According to - Bill Bardly

"Becoming number one is easier than remaining number one"

Training is an organized procedure which brings about a semi permanent change in behavior for definite purpose. The three main area involved are skill knowledge and attitude (some time call social skills) but always with a definite purpose in mind training is aimed at specific job based objective rather than the broader society based aims of education it is important that due attention is paid to training right from the training when one first starts doing a job.

The job will be really learned satisfactorily by making an individual repeat and demonstrate step by step during instruction by keeping a watch fledge of close intervals in the initial stages and by checking progress periodically later on one can ensure that job will be all done for all time to come.

Need of Training

The need for training in part depends upon the company’s selection and promotion policies .Companies that attempt to employee only people who already have the neede3d skills, place less emphasis on training. On the other hand, firms that stress promotion from within may have to take special steps to ensure that employee develop the skill which will be needed.

- People must be interested in learning and be willing to learn before they will accept training.
- Training must be done either by a supervisor or manager or by an agency acting within pattern fully understood and approved by the supervisor or manager and which he will subsequently maintain and reinforce.
- People can learn by being told or shown how to do work but best of all from the personal involvement of doing work to accepted standards under skilled coaching.
- Training should be planned, executed and evaluated systematically in the context of organization needs.

Importance of Organizing Training Program

- Optimum Utilization of Human Resources – Organizing training program helps in optimizing the utilization of human resource that further helps the employee to achieve the organizational goals as well as their individual goals.
- Training of Human Resources – Organizing training program helps to provide an opportunity and broad structure for the development of human resources' technical and behavioral skills in an organization. It also helps the employees in attaining personal growth.
- Training of skills of employees – Organizing training program helps in increasing the job knowledge and skills of employees at each level. It helps to expand the horizons of human intellect and an overall personality of the employees.
- Productivity – Organizing training program helps in increasing the productivity of the employees that helps the organization further to achieve its long-term goal.
- Team spirit – Organizing training program helps in inculcating the sense of team work, team spirit, and inter-team collaborations. It helps in inculcating the zeal to learn within the employees.
- Organization Culture – Organizing training program helps to develop and improve the organizational health culture and effectiveness. It helps in creating the learning culture within the organization.
- Organization Climate – Organizing training program helps building the positive perception and feeling about the organization. The employees get these feelings from leaders, subordinates, and peers.
- Quality – Organizing training program helps in improving upon the quality of work and work-life.
- Healthy work-environment – Organizing training program helps in creating the healthy working environment. It helps to build good employee, relationship so that individual goals aligns with organizational goal.
- Health and Safety – Organizing training program helps in improving the health and safety of the organization thus preventing obsolescence.
- Morale – Organizing training program helps in improving the morale of the work force.
- Image – Organizing training program helps in creating a better corporate image.
- Profitability – Organizing training program leads to improved profitability and more positive attitudes towards profit orientation.
- Organizing training program aids in organizational development i.e. Organization gets more effective decision making and problem solving. It helps in understanding and carrying out organizational policies

- Organizing training program helps in developing leadership skills, motivation, loyalty, better attitudes, and other aspects that successful workers and managers usually display.

The more future oriented method and more concerned with education of the employees. To become a better performer by education implies that management training activities attempt to instill sound reasoning process.

Concept Of Training

1. The purpose of training is to help employee to meet company objectives by providing opportunities for employee at all organizational level.
2. Employee in work organization tends to be most responsive to organizing training programmes when they feel the need to learn.
3. In the long run award is more effective for changing behaviour than punishment.
4. Reward for the application of learned behaviour is most useful when they quickly follow the desired performance.
5. Larger the reward given for good performance greater will be the reinforcement of the new behaviour.
6. Negative reinforcement result in adequate performance.
7. Training that request the employees to make change in his value, altitudes and social belief usually achieve better results. If the employees are encouraged to participate, they tend to be more fruitful for the company.
8. The employee should be provided with feedback on the process he utilizing training he has received.

Objective Of Training

1. To prepare the employee both new and old to meet the present as well as the changing requirement of the job and the organization.
2. To prepare employee for higher level.
3. To ensure smooth and efficient working of a department.
4. To develop potential of employee for next level job.
5. To increase productivity.
6. To improve quality
7. To meet future heaven resources requirements of the organization.
8. To improve organization climate.
9. To improve safety & health.
10. To promote individual and collective morale.

Advantages of organizing training programme

A systematic organizing training programme offers the following advantages to the organization.

1. It makes the worker committed and loyal to the organization by educating him about the culture, philosophy and policies of the organization.

2. It helps in improving the quality and quantity of a worker's output.

3. It enables the worker to make the most economical and best use of materials and equipment. This reduces spoiled work and damage to machinery.

4. It gives a sense of satisfaction to the worker and makes him feel that he is being properly cared for. So that, a worker's morale and his relation with superior improve.

5. It develops in the worker effective work habits and methods of work, there by reducing the accident rate and the need for close supervision.

6. It instructs the worker toward better job adjustment and reduces the rate of labour turnover and absenteeism.

7. It helps the bright but dronish employee to formulate his goals.

8. It facilitates promotion of workers to higher jobs and increases their market value and earning power.

9. It helps in creating pool of trained personnel from which replacement can be drawn to fill the loss of key personnel at any time.

Tata Motors Limited (formerly TELCO, short for Tata Engineering and Locomotive Company) is an Indian multinational automotive manufacturing company headquartered in Mumbai, Maharashtra, India and a subsidiary of the Tata Group. Its products include passenger cars, trucks, vans, coaches, buses, construction equipment and military vehicles. It is the world's seventeenth-largest motor vehicle manufacturing company, fourth-largest truck manufacturer and second-largest bus manufacturer by volume.

Tata Motors has auto manufacturing and assembly plants :-

In Jamshedpur, Pantnagar, Lucknow, Sanand, Dharwad and Pune in India, as well as in Argentina, South Africa, Thailand and the United Kingdom. It has research and development centres in Pune, Jamshedpur, Lucknow and Dharwad, India, and in South Korea, Spain, and the United Kingdom. Tata Motors' principal subsidiaries include the British premium car maker Jaguar Land Rover (the maker of Jaguar, Land Rover and Range Rover cars) and the South Korean commercial vehicle manufactuer Tata Daewoo. Tata Motors has a bus manufacturing joint venture with Marcopolo S.A. (Tata Marcopolo), a construction equipment manufacturing joint venture with Hitachi (Tata Hitachi Construction Machinery) and a joint venture with Fiat in India.

The Tata Management Training Centre (TMTC) was set up by Mr. JRD Tata on 1966. Located at Pune, awarded with the Golden Peacock National Training Award for 2007-08 in the field of Training & Development, focuses on Management Development, enabling the Tata Group of Companies to collaborate and participate on a vibrant learning platform.

Set up with the mission of creating and grooming leaders for the future, TMTC is Tata Group's centre for learning and development. It aims to provide training to high performers within the group and act as a catalyst of change for Tata executives.

Over the years, it disseminated over 50 publications which include Management briefs, manuals, research papers, case studies.

Dr. Shubhro Sen, Director, says TMTC as ' it is not purely an academic institution. But it functions at the intersection of learning and practice'.

Training

Offering around 250 programmes a year, conducted by in house senior faculty from academics and business, supported by experts from the best of Indian and international B schools. TMTC started its e-learning programs in 2009.Every year, more than 4000 Tata Managers and Leaders go through the training programs.

Leadership development programmes include

- Tata Group Strategic Leadership seminar
- Tata Group Executive Leadership seminar
- Tata Group eMerging Leaders seminar

E-learning programmes include

- Live e-classroom
- Live video broadcast and
- Self-paced e-learning programmes

A Unique self-paced programme is conducted named 'TATA - Harvard Manage Mentor self-paced e-learning program' by Harvard Manage Mentor, in association with Harvard Business School Publishing, providing 44 different programmes for Tata employees.

Objectives of Tata Motors

TMTC objectives include

- Improvement of organisational performance through dissemination of the latest knowledge and skills among practicing managers
- Facilitation of attitudinal and behavioural changes
- Facilitation of solutions for organisational issues

Development of learning organisations

Founded in 1945 as a manufacturer of locomotives, the company manufactured its first commercial vehicle in 1954 in a collaboration with Daimler-Benz AG, which ended in 1969. Tata Motors entered the passenger vehicle market in 1991 with the launch of the Tata Sierra, becoming the first Indian manufacturer

to achieve the capability of developing a competitive indigenous automobile.[6] In 1998 Tata launched the first fully indigenous Indian passenger car, the Indica, and in 2008 launched the Tata Nano, the world's cheapest car. Tata Motors acquired the South Korean truck manufacturer Daewoo Commercial Vehicles Company in 2004 and purchased Jaguar Land Rover from Ford in 2008.

Tata Motors is listed on the Bombay Stock Exchange, where it is a constituent of the BSE SENSEX index, the National Stock Exchange of India and the New York Stock Exchange. Tata Motors is ranked 314th in the 2012 Fortune Global 500 ranking of the world's biggest corporations.

Objective of the study

- The role of HR Department in Tata Motors Ltd. Rewa
- To understand function of HR Dept & its interface with other departments.
- To understand the policies & procedures of the organization and their application.
- To know about the organizing training programme provided to the employee.
- Understanding Organizing training program system and its analysis.

RESEARCH METHODOLOGY

According to Yoder, "research is a shortcut to Knowledge and understanding which can replace the slower, more precarious road of trial and error in experience…."

In other words, research is purposive; that is, it seeks to answer specific questions and is not merely an accumulation of unstructured observations. 'Research' is different from 'casual observation' in that it uses systematic investigation and objective analysis instead of any casual or informal means. The essential characteristic of research is its method or point of view. Its other characteristics are:-(a) It is a planned and designed investigation and analysis.

Various methods and tools may be used in the conduct of personnel research. Of the various alternatives available, a choice has to be made of research designs. The general practice is to choose the technique, which promises to yield quality with the least difficulty. Effort and cost. Usually, the techniques/methods or tools.

DATA COLLECTION

This study is conducted by using primary & secondary data. Primary data was collected from the respondents of "Tata Motors Ltd.", by serving presented questionnaires. The secondary data was collected in the designed schedule from the training details; maintained training & development programme in respective "Tata Motors Ltd.".

Q.1 The objective of training in your organization is?

Response	No. of Respondent	Percentage
Yes	42	70%
No	12	20%
Can't say	6	10%
Total	60	100%

Interpretation

The figure interprets that most of the people i.e. 70% of them believes that the needs of training of employees is required, 20% say no requirement of training and 10% can't says.

- Profit of the Company
- Skilled employees and best production.
- To achieve the brand of the company.

Q2. The purpose and philosophy of training in your Organization?

Response	No. of Respondent	Percentage
Yes	36	60%
No	18	30%
Can't say	6	10%
Total	60	100%

Interpretation

The figure interprets that most of the people i.e. 60% says yes, 30% says no and 10% can't says.

- To trained the employees as per the need of the company.
- To produced as per demand of the market.
- To Insure the bare minimum wastage of the raw material

Q3. Does your organization have a well-defined policy for training programme?

Response	No. of Respondent	Percentage
Yes	38	63%
No	15	25%
Can't Say	07	12%
Total	60	100%

Interpretation

The figure interprets that most of the people i.e. 63% says the quality of training imparted by the organization is good, 25% say very good and 12% says bad.

- As per the survey report the finding are very appreciative .

FINDINGS

1) 72% of the employees says that organising training programme is necessary in an organisation, while 28% do not agree on this. So as per the demand company is providing it.

2) 60% of the total employees are aware about the training programme in Tata Motors Rewa. 40% are not aware about the role of HR deptt. In Tata Motors.

3) 56% employees says that training programme programme increases their confidence 24% employee's says that sometime and only 20% employee says that it does not increases their confidence.

4) 54% of the employees have attended the training given to them during last 2 yrs. & 46% have not attended at all.

5) 44% are not satisfied with the facilities (like place, faculty) and with the training system only 56% are satisfied.

Suggestions

Training system of the Tata Motors ltd. has not yet reached an adult stage. It lacks many things on execution part.

1. Training need assessment process is not scientific and effective. The company is using interview and observation methods for skill gap analysis.

2. Most of the executive training is self identified and there is no gap analysis for executives.

3. Company requires more information on faculty identification and methods of training to be used.

4. Designed course modules are found to the mark. It can be more scientific and systematic. Picture, graphs and other visual presentation should be used in course module to clarify the concept.

5. The company does not have an approved vendor list that is experts and providing training on various organizational aspects. The company should explore the market and must develop an approved vendor list after evaluation of various such faculties for various aspects where the company requires training.

Conclusion

On bases of above study and after critical analysis of the data collected I concluded that Tata Motors Ltd. has organized the training program according to the need of organization.

It has been found that some groups of employees are not satisfied with the training place & the facilities which they are getting during training.

The organizing training program given in the Tata Motors Ltd. is have the average satisfaction to employee of the organization

Hence, I would like to conclude that their is given much importance to organizing training programs, because it increases efficiency, provides skilled employees & increases the profit of the company which is prime requirements.

BIBLIOGRAPHY

BOOKS:

- Alliger, G. M., & Janak, E. A. (1989). Kirkpatrick's levels of training criteria: Thirty years later. Personnel Psychology, 41, 331–342
- Blum M.L. and Naylor J.C., (1998) Industrial Psychology
- Memorai C.B., Personal Management
- Kirkpatrick, D. L. (1976). Evaluation of training. In R. L. Craig (Ed.), Training and development handbook.
- Chhabra T.N., Human Resource Management, revised eddition ,Delhi
- Ashwathappak., 2006, Human Resource Management, forth eddition

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

A new perception to relativity and the processes involved to accelerate macroscopic bodies very near to the light speed

Amet Vikram, Student*
Kirti Saxena, Student**

Abstract

This paper, while its nature purely theoretical, describes the limitations of technology and the lack of experimental proofs to test out the theory that has been explained in this paper. In thes paper, we discover the basic concepts of general relativity that we often fail to take into consideration while accelerating bodies to the speed of light, and also, its relation to Quantum Field Theory(QFT). We also highlight the role of dark energy in framing the concept of the behavior of universe and vice-versa.

Keywords- Antimatter, Quantum Entanglememt, Time Dilation, Spacetime, Quantum Field Theory(QFT).

1. Preliminaries

1.1 Antimatter- In particle physics, antimatter is msterial composed of antiparticles, whish have the same mass as particles of ordinary matter but have opposite charge and other particle properties such as lepton and baryon number. Encounters between particles and antiparticles lead to the annihilation of both, giving tise to varying proportions of high-energy photons is a pelease of energy available to do work, proportional to the total matter and antimatter mass, in accord with the mass-energy equivalence equation, $E = mc^2$

1.2 Quantum entanglement- It is a physical phenomenon that occurs when pairs(or groups) of particles are generated or in ways such that the quantum state of each member must subsequently be described relative to each other.

1.3 Time Dilation- In the theory of relativity, time dilation is an actual difference of elapsed time between two events as measured by observers either moving relative to each other or differently situated from gravitational masses.

An accurate clock at rest with respect to one observer may be measured to tick at a different rate when compared to a second observer's own equally accurate clocks. This effect arised neither from technical aspects of the clocks nor from

* E-mail : nikearchie@gmail.com
** Saxena Kriti1@gmail.com.

the fact that signals need time to propagate, but from the nature of spacetime itself.

1.4 Spacetime- In physicd, spacetime(also space-time, space time or space-time continuum) is any mathematical model that combines space and time into a single continuum. Spacetime is usually interpreted with space as existing in three dimensions and time playing the role of a fourth dimension that is of a different sort from the spatial dimensions. In nonrelativistic classical mechanics, the use of Euclidean space instesd of space-time is appropriate, as time is treated as universal and constant, being independent of state of motion of an

observer. In relativistic contexts, time cannot be separated from the three dimensions of space, object's velocity relative to the observer and also on the strength of gravitational fields, which can slow the passage of time .

2. Introduction

In the beginning of 20^{th} Century, it was believed that nothing, absolutely nothing can even get close to the speed of light.

According to Einstein's special theory of relativity, as an object moves faster, its mass increases, while its length contracts. At the speed of light, such an object has an infinite mass, while its length is zero- an impossibility. Thus, no object can reach the speed of light the theory goes.

Now, we see subatomic particles racing around the particle accelerators at 99.99996% of the ultimate speed.

A large, but a finite force is required to accelerate these particles to such high velocities and it is not a miracle that we are able to provode these particles with such large amount of energy. And, it will not be a coincidence that, in the coming years we able to reach such high-belocities with macroscopic bodies(such as space shuttles or rockets).

Therfore in this paper, a difference is shown between the acceleration of high speed microscopic particles and macroscopic bodies and also, if it is really possible to accelerae macroscopic objects to such high speeds.

Presently, the highest speed attained by man (Speed relative to the sun) is 252,792 km\h or 157,078 mph by Helios 2 probe. This velocity is indeed very high . But it is too small to be even compared with the speed of light.

Coming back to the subatomic particles, the high-speed close to that of light might be well within our reach. Protons, whose rest energy is about 1 GeV(Giga electron volt)or more precisely 938 MeV, are accelerated and are made to collide at energies of the order of 2 TeV(Tera electron volt)-8 TeV, which is about 2000-8000 times their rest energy in mdern day particle accelerators and their velocity at those energies is 670,616,603 miles-per hour.

We observe that it just might be possible to accelerate the macroscopic bodies to such high velocities if, the energy accelerating them is as near as their rest mass energy (exactly half of it).

This energy can be tapped directly from the energy liberated by annihilation of matter and antimatter.

3. Beyond the speed of light

"There are several potential exceptions to the idea that nothing can go faster than the speed of light. For example, right after the Big Bang occurred it appears that the universe expanded at a rate faster than the speed of light. However, this doesn't necessarily violate the mass energy paradox of light-speed travel, since the empty space that was (and still is) expanding has zero mas. Many physicists also believe in faster-than- action at a distance on the quantum scale-for instance quantum entanglemlent shows that subatomoc particles can react to the information about one anothe instantly, even if they are separated by a long distance."

- Michio Kaku, Physics of the Impossible

An argument is strongly is strongly supported that the universe has been ezpanding, at an ever accelerating lpace due to the presence of dark energy. This means that means that since the expansion of dark energy started at a pace faster than the speed of light, the expansion of the universe has always been going on at faster-than-light pace and that too, is accelerating. For an object which reaches this threshold,the time flows as

t = <>

Here, t_0 = time interval on clock at rest relative to an observer (proper time).

t = time interval on clock in motion relative to an observer.

v = speed of relative motion.

c = speed of light.

Here, as the quantity <> (for v>c) obtains an imaginary value, the object is said to enter a hyperspace where it becomes a field, pervading the space, instead of just being an object.

Therefore, According to Relativistic Theory of mass

m = <>

Where m_0 = rest mass of the body

m = relativistic mass of the body

And v=Velocity of the body

When VC

Then, 1 -<> <0

<>$(m)^{2\cdot}(-x^2) = (m_0)^2$

$(m.x)i=m_0$

Here, 'x' represents the calculated qantity ofLorentz factor (after applying the value of v>c). Also, a body approaching the speed of light will clock out at 0.99999996c and, if we did manage to provide it with further energy, ;we will observe it to be accelerating at an ever slowing pace and while getting closer to the 'c', the acceleration will become infinitesimall. This means that the body will appear to reach 'c', never quite gtting to it. But, in reality, the body would have already surpassed the speed o light and transcended the four dimensions which, issupported by the equation and 'i' or iota pepresents the extra dimensions which indicates, that a body will no longer be present in the same physical form but in the form of a field where, a vibration in that field would make the object appear gagain anywhere in the universe according to the Quantum Field Theory (QFT). Moreover, a vibration in that object's field prior to the event, when the object has been accelerated to the speed of light , can trigger the existence of that obkect. It means that once a body has reached and crossed the speed of light, it will become a field, which can be used to trigger the existence of that object at any point of space and time whether it is in the past, the present or the future.

4. Discussion and Results

According to Eindtein's General Theory of Relativity, 'gravitation and acceleration are equivalent'. This means that if we observed to be approaching 'C', the effects will be the same as if the body is observed to be approaching a body of infinite mass. This means that the object will approach 'C' of course, but its acceleration will occur at an infinitesimal rate as it gets closer to the speed of light. But, we know that for the object itself, the time will pass at a usual rate as we know that in general relativity, clocks at a position with lower gravitationl potential-such as in closer proximity to a planet-are found to be runing more slowly, in thes case, insted of a planet, we may consider a body of infinite mass.

5. Conclusion

Therefore, we know that it might be possible for the macroscopic bodies to get to the speeds, very close to thet of light and also, bread the ultimate speed limit (although they might not appear to).

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

शंकर के अद्वैतवाद की प्रमुख मान्यताएँ

डॉ. उमाकान्त मिश्र

उपनिषदों ने जगत् के विषय में दो प्रकार से वर्णन किया है। एक ओर सृष्टि का वर्णन करते हुये इसकी यथार्थ सत्ता को स्वीकार किया गया है जबकि दूसरी की ओर नाना विषयात्मक जगत् को मिथ्या कहा गया है। ये दोनों बातें एक-दूसरे की विरोधी जान पड़ती हैं; क्योंकि सृष्टि का सत्य स्वीकार कर लेने पर इसके नाना विषयों को मिथ्या नहीं माना जा सकता और इन्हें सत्य मान लेने पर सृष्टि को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। उपनिषदों में वर्णित इन दोनों प्रकार के मतों में शंकर ने अपने अद्वैतवाद द्वारा सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया है—

(1) जगत् मिथ्या है— उपनिषदों में ब्रह्म को निर्गुण निर्विकार कहा है। यदि यह सत्य है तब उसमें सृष्टि कर्तृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सृष्टि कर्तृत्य के होते हुये उसे निर्विकार नहीं कहा जा सकता और कर्तृत्य एक गुण है इसलिए वह निर्गुण भी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्ति शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आत्मज्ञान हो जाने पर यह नानात्व नष्ट हो जाता है। यदि सृष्टि सत्य है तो ब्रह्मज्ञान होने पर इसका तिरोधान नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने पर केवल मिथ्या ज्ञान ही नष्ट हो सकता है इन सब समस्याओं के समाधान के लिए शंकर को एक कुंजी मिल गई है। जगत की तुलना स्वप्न से या भ्रम से कर देने पर सृष्टि और ब्रह्मज्ञान होने पर इसका तिरोभाव-दोनों का समाधान हो जाती है। इस प्रकार शंकर ने जगत् को भ्रम, मिथ्या या माया कहा। उन्होंने कहा कि अज्ञान के आवरण के कारण ब्रह्म का स्वरूप आच्छादित होकर जगत् की प्रतीति होती है। इस तरह शंकर ने 'माया' नामक शक्ति का आश्रय लेकर अद्वैतवाद[2] की स्थापना की है।

(2) माया[3]— शंकर के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है जिसके द्वारा वैचित्र्य लीला कैसे की इसको शंकर एक दृष्टांत द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि जैसे बाजीगर अपने जादू के खेल से एक ही सिक्के के अनेक बनाकर दर्शक को भ्रम में डाल देता है और इसमें न तो वास्तव में अनेक सिक्के ही बनते हैं और नहीं स्वयं बाजीगर ही उस भ्रम में पड़ता है उसी प्रकार ईश्वर द्वारा सृष्टि की लीला से हम अज्ञानवश प्रभावित होकर उसकी प्रतीति करते हैं। यह भ्रम हमें माया के दो गुणों के कारण होता है, वे गुण हैं—

(I) आवरण[4]— आवरण का अर्थ है 'सत्य को छिपाना' अर्थात् ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को छिपा देना।

(II) विक्षेप[5]— विक्षेप से तात्पर्य 'सत्य की मिथ्या व्याख्या' करने से है अर्थात् माया ब्रह्म के सत् स्वरूप को छिपाकर उसे संसार के रूप में भासित करती है। दूसरे शब्दों में वह सत् (ब्रह्म) को मिथ्या जगत रूप में भासित करती है।

---

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)—शा.ठा.रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

माया की अनिर्वचनीयता— शंकर ने इस माया को अनिर्वचनीय कहा है क्योंकि इसे न सत कहा जा सकता है और न असत्। माया को सत् इसलिए नहीं कहा जा सकता, सत् त्रिकाल-बाधा रहित होता है अर्थात् जिसका तीनों कालों में कभी तिरोभाव नहीं होता वही सत कहा जा सकता है और माया का ब्रह्मज्ञान होने पर तिरोभाव हो जाता है इस कारण इसे सत् नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत इसे असत् भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि असत् उसे कहा जाता है जिसकी प्रतीति सभी कालों में न रहे और क्योंकि इसमें भी सत्ता है जो नाना रूप में भासित होती है। इस प्रकार 'माया' को सत् और असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय[6] कहा गया है।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर शंकर ने जगत् की व्याख्या किस आधार पर की है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सर्वप्रथम शंकर के अद्वैत में निम्न मान्यताओं को समझना आवश्यक है—

(3) जगत् ब्रह्म का विवर्त[7] है— भारतीय दर्शन में कार्य-कारण के सम्बन्धों के विषय में दो प्रकार की विचारधारा पायी जाती है जिन्हें असत्कार्यवाद तथा सत्कार्यवाद कहा जाता है। इनमें असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य का अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके विपरीत सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत् रूप में विद्यमान होता है। सत्कार्यवाद के भी दो रूप प्रचलित हैं जिन्हें परिणामवाद तथा विवर्त्तवाद[7] कहा जाता है। परिणामवाद के अनुसार कार्य अपने कारण का वास्तविक विकार होता है; जैसे—दूध का दही, बन जाना। इसके विपरीत विवर्त्तवाद उस सिद्धान्त को कहा जाता है जिसके अनुसार कार्य अपने कारण का वास्तविक विकार न होकर केवल आभास मात्र होता है इसमें सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है जबकि शंकर ने विवर्त्तवाद को स्वीकार किया है। उन्होंने जगत् को ब्रह्म का वास्तविक विकार न मानकर ब्रह्म का विवर्त्त माना हैं।

अध्यास[8]— जगत को ब्रह्म का विवर्त्त मानते हुये उन्होंने अध्यास को परिभाषित करते हुए कहा कि जहाँ जो वस्तु नहीं होती वहाँ उसकी प्रतीति होना ही अध्यास कहलाता है। इस प्रकार अध्यास भ्रम ज्ञान पर निर्भर करता है अर्थात् जहाँ-जहाँ भ्रम ज्ञान होता है वहीं-वहीं अध्यास होता है; जैसं—अन्धेरे में पड़ी रस्सी को सर्प समझने में जो सांप की प्रतीति होती है वहाँ वास्तव में सांप न होकर सांप का अध्यास हो रहा है। इस प्रकार रज्जु में सर्प अध्यस्त होता है। उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत् अध्यस्त हो रहा है।

अद्वैतवाद के समर्थन युक्तियाँ

शंकर के अद्वैतवाद के माया, अविद्या, अध्यास तथा विवर्त्तवाद के पक्ष में दी गई युक्तियों का प्रबल यौक्तिक आधा है। यद्यपि अद्वैत का मूल आधार अपरोक्षानुभूति है इसलिए वे ज्ञान प्राप्ति में तर्क का प्रधानता नहीं देते वे इतना अवश्य मानते हैं कि जब तक किसी मनुष्य की तर्क बुद्धि सन्तुष्ट नहीं होती तब तक वह केवल दूसरे की अपरोक्षानुभूति के आधार पर किसी बात को नहीं मानता। इसलिए शंकर सामान्य अनुभव को तर्क की कसौटी पर कसकर अपने मत की स्थापना निम्न प्रकार करते हैं—

(1) परिणामवाद का खण्डन—उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट किया गया है कि सत्कार्यवाद के दो रूप हैं। उनमें परिणामवाद सांख्य को मान्य है जबकि शंकर ने परिणामवाद का खण्डन करके विवर्त्तवाद को स्वीकार किया है। उन्होंने सांख्य के इस मत की कि कार्य अपने कारण का वास्तविक विकार होता है, यह कहकर आलोचना की है कि सांख्य ने अपने सत्कार्यवाद में यह माना है कि हालांकि कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है किन्तु वह कार्य अपने उपादान कारण का वास्तविक विकार होता है क्योंकि वह एक नया रूप धारण करता है। इससे यह अर्थ निकलता है। कि जो आकार पहले असत् था वह सत् हो जाता है यह मान लेने पर तो सत्कार्यवाद का सिद्धान्त ही भंग हो जाता है क्योंकि इसमें तो कारण में कार्य के आकार का अभाव मान लिया गया है तथा आकार की एक पृथक् सत्ता मान ली गई है किन्तु यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाये तो यही स्पष्ट होता है कि आकार उपादान की एक अवस्था मात्र है जो उस पदार्थ से अविच्छिन्न होता है। इस प्रकार की वस्तु या पदार्थ से अलग कल्पना नहीं की जा सकती। अतः जब वस्तु का वास्तविक परिवर्तन नहीं माना जाता तब आकार को भी वास्तविक परिवर्तन नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त सामान्य अनुभव में भी यही देखा जाता है किसी वस्तु में आकारिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु वही कही जाती है; जैसे—यज्ञदत्त सोते, जागते, उठते, बैठते भी यज्ञदत्त कहा जाता है। इस प्रकार आकारिक परिवर्तन को वस्तु का वास्तविक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। अतः परिणामवाद की धारणा उचित नहीं है। इसमें यह स्पष्ट कर देना भी अभीष्ट है कि इस विषय में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि द्रव्य की गुण या आकार से पृथक् सत्ता मान लेने में क्या आपत्ति है? इसका उत्तर अद्वैतवादी यह देते हैं कि यदि ऐसा माना जाये तब तो एक समस्या यह उत्पन्न हो जायेगी कि फिर पृथक्-पृथक् द्रव्य और गुण में सम्बन्ध किसकी सहायता से होता है? क्योंकि इसमें सम्बन्ध स्थापित करने वाली किसी तीसरी वस्तु को माना जाये तब उस तीसरी वस्तु के इन दोनों से सम्बन्ध स्थापित करने वाली चौथी वस्तु माननी पड़ेगी। इस प्रकार इसमें अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा। अतः गुण और द्रव्य में पार्थक्य मानना भी युक्तियुक्त नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तब द्रव्य में कोई विकार न आने से उसे कारण का वास्तविक विकार नहीं माना जा सकता इसलिए समस्त कार्यों को प्रत्यक्षाभास ही समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्यक्षगत जगत् की प्रतीति अज्ञान अविद्या या माया के कारण ही होती है।

(2) मूलतत्व या सत्ता सब वस्तुओं में सामान्य है—संसार को एक प्रतीति मात्र मानने पर यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब संसार प्रतीति मात्र है तब इस प्रतीति या आभास का आधार क्या है? इसका समाधान अद्वैतवादी इस युक्ति से करते हैं कि हम सामान्यतः उसी को द्रव्य कहते हैं जो कुछ गुणों का आश्रय होता है। इस रूप में विचार करने पर हम यह पाते हैं कि द्रव्य से पृथक् उसके गुणों की कोई सत्ता नहीं होती जैसे मिट्टी से पृथक् घर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस उदाहरण में मिट्टी ही वास्तविक द्रव्य है और घट उसका आकार है। इसका यह अर्थ हुआ कि मिट्टी स्वयं ही विकार को प्राप्त होने वाली वस्तु है और जब वह विकार को प्राप्त होती है तब उसका मिट्टी भाव नष्ट हो जाता है इस कारण इस परिवर्तनशील होने से सत् नहीं कहा जा सकता। इस विषय में यह भी स्पष्ट है कि मिट्टी भी किसी अन्य द्रव्य का एक रूप मात्र है और वह द्रव्य मिट्टी

के सभी विकारों में विद्यमान रहता है। उसी का नाम सत्ता है। इस प्रकार सत्ता सभी विषयों में सामान्य है तथा वही विषय जगत का उपादान कारण या मूल द्रव्य है। वह ब्रह्म ही है।

(3) सत्ता स्वयं प्रकाश है—सत्ता को संसार के सभी कार्य द्रव्यों का उपादान या मूल कारण मानने पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्रह्म चेतन सत्ता है या अचेतन? इस प्रश्न के उत्पन्न होने का यह कारण है कि ससार में चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार के विषय हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अद्वैतवादियों का यह कहना है कि चेतन्य से हमारा तात्पर्य मन की वृत्ति से होता है क्योंकि उसका ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। इसी रूप में बाह्य वस्तुओं को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व भी अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है। इस प्रकार बाह्य और आभ्यान्तरिक दोनों ही प्रकार के विषयों में 'भांति' या प्रकार की शक्ति पाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाह्य और अभ्यान्तरिक दोनों ही प्रकार के विषयों में जो सामान्य सत्ता है उसमें स्वयं को प्रकट करने का स्वाभाविक गुण है। इसलिए ब्रह्म को स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप मानना ही अधिक समीचीन है। इस विषय में अद्वैतवादियों ने असत् पदार्थों के जगत् में दिखाई देने का यह कारण बताया है कि जब हमें कोई भ्रम होता है जिसे हम असत् कहते हैं उसमें भी सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है और हमें उसी का अयथार्थ रूप में आभास होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्ता स्वयं प्रकाश है।

(4) शुद्ध सत्ता या ब्रह्म का स्वरूप शुद्ध चैतन्य है—सत्ता को शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश सिद्ध करने के लिए एक अन्य युक्ति यह दी गई है कि सत्ता के स्वयं प्रकाश का एक लक्षण यह है कि जहाँ-जहाँ सत्ता का प्रकाश रहता है वहाँ तद्विषयक बुद्धि भी रहती है जैसे मिट्टी को घड़े के रूप में परिणत देखते हैं तब हमारी मृद्बुद्धि घट बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है अर्थात् 'यह घट है' ऐसी बुद्धि बन जाती है। इस प्रकार इन दोनों ही स्थितियों में काल्पनिक विषय केवल मात्र बुद्धि ही है। इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ सत्ता रहती है वहाँ बुद्धि भी अपश्य रहती है। इस लिए सत्ता स्वयं प्रकाश ही है।

(5) अनिर्वचनीयता—शंकर ने संसार के परिवर्तनशील विशेष विषयों की परीक्षा करके उनके दो रूप देखे हैं। जिसके आधार पर उन्होंने इन्हें सत् तो इसलिए नहीं माना क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं या विशेष विकारशील हैं। इसके विपरीत क्योंकि इनमें सत्ता है इसलिए इन्हें बन्ध्या पुत्र के समान सर्वथा समत् भी नहीं माना इस कारण संसार के समस्त विशेष विषय न तो सत् हैं और न असत् ही हैं अपितु सत्-असत् विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। इस प्रकार समस्त विषय जगत् एवं इनकी जननी माया भी सत-असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय है।

सन्दर्भ सूची

1. शङ्कर अद्वैतवाद का मूल सिद्धान्त है— ''ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः'' ''एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म'' ''तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि''

6. ''अव्यक्ता ही माया तत्त्वाऽन्यत्वनिरूपणस्याऽशक्यत्वात्'' (ब्र.सू.शां.भा. 1-4-3)

4. सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोतित्यावरणशक्तिः। (सुबोधिनी टीका)

5. ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगत् जलबुद्बुद्वत् नामरूपात्मकं विक्षिपति सृजतिति विक्षेपशक्तिः। (सुबोधिनी टीका)

3. सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाऽप्याभिन्नाऽप्युभयात्मिका नो।
साङ्गाऽप्यनङ्गाऽप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिर्वचनीयरूपा।। (विवेकचूडामणि-शङ्कराचार्य)

8. ''अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम' तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते (1-1-1 उपोद्घातः)

7. सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः।
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः।। (वेदान्तसार, 138, सदानन्द)

2. ''ततो ब्रह्मैवाऽविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावदेयितव्यम्, तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पद्यते तया चाऽविद्या बाध्यते, ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्नप्रपञ्चवत् प्रविलीयते'' (ब्र.सू.शां.भा. 3-2-21)।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

पातंजल योगदर्शन एवं योगसिद्धियाँ

डॉ0 द्वारिका नाथ त्रिपाठी

विविध भारतीय दर्शनों मे योगदर्शन का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत मे श्री शुकदेव जी ने कहा कि, 'न तु योगमृते प्राप्तुं शक्या सा परमा गतिः'। यह एक सुविदित तथ्य है कि, भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य प्राणियों को त्रिविध दुःखों से सदा के लिए छुटकारा दिलाना ही है। दुःखों की यह शाश्वतिक निवृत्ति मुक्ति, मोक्ष कैवल्य, अपवर्ग निःश्रेयस्, निर्वाण और परमपद इत्यादि पदों से अभिहित की गई है। इसकी सिद्धि के लिए प्रायः सभी भारतीय दर्शन (चार्वाक् और मीमांसा के अतिरिक्त) पदार्थों के शुद्ध ज्ञान को किसी–न–किसी प्रकार से अपरिहार्य उपाय मानते हैं। श्रुतियों ने भी 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' का तथ्य स्वीकृत किया है। पदार्थों के इस शुद्ध ज्ञान का एक रूप तो वह है, जो बुद्धि की शुद्ध सात्त्विक–वृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है और दूसरा तथा उत्तम रूप वह है, जो वृत्तिहीन स्थिति में आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होता है।[1]

महर्षि पतंजलि विरचित योगदर्शन के विभूतिपाद मे योग की विभूतियों अर्थात् सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तदनुसार योगसिद्धि प्राप्त योगी भूत एवं भविष्य की बातों को जान सकता है।[2] वह समस्त प्राणियों की बोली को सुनकर उसके अभिप्राय को समझ सकता है।[3] पूर्व जन्म का ज्ञान कर सकता है।[4] वह दूसरों के चित्त की बातों को जान सकता है।[5] वह स्वेच्छानुसार अपने आप को गुप्त कर सकता है। वह अपनी आयु को भी जान सकता है। वह उसी शरीर में हाथी आदि के शारीरिक बल को भी प्राप्त कर सकता है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तु को भी देख सकता है। दूरातिदूरस्थित वस्तु का भी ज्ञान कर सकता है। वह भूमिस्थ वस्तुओं का ज्ञान कर सकता है। किसी प्रकार की चीड़फाड़ किये विना हीं शरीर की आन्तरिक स्थिति का ज्ञान कर सकता है। भूख–प्यास को जीत सकता है, आदि।

उपरोक्त समस्त सिद्धियाँ किस रूप मे कहाँ तक सम्भव अथवा असम्भव हैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ कोई योगी हीं बता सकता है। इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि पातंजल योगदर्शन मे वर्णित सिद्धियों से सम्बन्धित सूत्रों का वह अर्थ है ही नहीं जो सामाजिकों के मध्य प्रचलित है। वे लोग उपरोक्त सिद्धियों का ऐसा अर्थ करते हैं जिनमें असाधरणता नहीं रहती। वे तो इन सूत्रों का अर्थ सर्वसाधारण जन की बुद्धि से आंकलन करते हुए निर्दिष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि, उपरोक्त कही गई समस्त सिद्धियाँ सत्य हैं। वे अपने पक्ष को प्रबल बनाने के लिए तर्क देते

---

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ0प्र0)

हुए कहते हैं कि, आज भी ऐसे योगी हैं जो अपने प्राणों को रोककर महीनों तक भूमिस्थ हो जाते हैं। इस विषय में उनका कथन है कि, सतत् अभ्यास से इस क्रिया की अवधि और अधिक भी की जा सकती है। योग के ऐसे अनेक उदाहरण आज भी समाज में हैं जिनके आधार पर योग की सिद्धियों पर विश्वास करना आवश्यक हो जाता है।

कथाओं और किंवदन्तियों में तो योगियों की आश्चर्यजनक सिद्धियों की चर्चायें प्रायः सुनने में आती हीं रहती हैं। महाभारत में उस योगी की कथा जिसमें वृक्ष मे बैठे हुए पक्षी ने वृक्ष के नीचे बैठे किसी योगी के सिर में बीट कर दिया तो उस योगी ने क्रोध करते हुए उस पक्षी को देख लिया। जिससे वह पक्षी तत्काल ही उस योगी के योगबल से भस्म हो गया। इस घटना को एक पतिपरायणा योगिनी अपने घर से देख रही थी। उस योगी ने भिक्षाटन करते हुए उसी पतिपरायणा योगिनी के घर जब आया तो उस योगिनी के किसी कार्यवश भिक्षा देने में विलम्ब कर दिया तो वह योगी उस योगिनी के ऊपर कोधित होने लगा। उस क्रोधित योगी को देखकर उस योगिनी ने उसको तपाक् से उत्तर देते हुए बोली कि मैं वह पक्षी नहीं हूँ जिसे तुमने अपने तेज से जला दिया है।

आधुनिक योगियों में महर्षि दयानन्द सरस्वती के विषय में भी एक घटना प्रसिद्ध है कि, जालन्धर के राजा विक्रम सिंह ने महर्षि को यह कहा कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव तो आप में कुछ दिख नहीं रहा तो उन्हें प्रभाव दिखाने के लिए स्वयं महर्षि ने अपने सम्पूर्ण शरीर के बल को अपनी भुजाओं में करते हुए अपने योगबल से एक हाथ से ही रथ को पकड़ लिया था जब राजा रथ पर आरूढ़ होकर चलने लगे तो रथ में जुते हुए घोड़े रथ को खींचने में असमर्थ हो गये थे। राजा आश्चर्य में थे कि, चार घोड़ों की शक्ति और महर्षि का एक हाथ। दोनों में बराबर बल यह सब योग का हीं परिणाम था।

महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में यौगिक सिद्धियों को स्वीकार किया है। योगवेत्ताओं का कथन है कि योगाभ्यासियों के मार्ग में योग सिद्धियाँ विघ्नरूप होती है। जो किंचित सिद्धियों की प्राप्ति से स्वयं हीं प्रभावित होकर तथा योगाभ्यास से विरत होकर संसारी लोगों के मध्य कौतुक करने लग जाता वह योगभ्रष्ट योगी होता है तथा वह जीवन के अन्तिम सोपान को कथमहिप प्राप्त नहीं कर पाता। अतः योगियों ने सिद्धि के उपरान्त कौतुक की निन्दा की है। योग की सिद्धि वही दिखाता है जिसने दिखाने के लिए हीं योगाभ्यास किया है किन्तु जो वास्तविक योगी है वह तो योगाभ्यास के द्वारा अपना उद्धार करता है अथवा बहुत ही विनम्र शिष्य के प्राप्त हो जाने पर उसके कल्याणार्थ वह उसे शिक्षित करने के लिए दिखाता तथा उपदेश करता है।

योगदर्शन में सिद्धियों को समाधि में बाधक बताया गया है।[6] अतः ऋषियों ने सिद्धियों को संसार कल्याणार्थ प्रदर्शन को तो श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु स्वयं की प्रसिद्धि के लिए इनके प्रदर्शन की निन्दा भी करते हैं।

अब हम सीधे वेदों मे वर्णित योग सिद्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद मे योग से सम्बद्ध सूक्त मे सात मन्त्र हैं जिन्हें क्रमशः जूति, वातजूति, विप्रजूति, वृषाणक, करिक्रत,

एतस तथा ऋष्यश्रृंग ने साक्षात्कार किया[7] और इन मन्त्रों की सिद्धियों को प्राप्त कर सामान्य जन तक उनके कल्यार्थ पहुँचाया। अतः उन्हें इन मन्त्रों को मन्त्रदृष्टा कहा गया।

उक्त सूक्त का देवता केशी है। निरुक्त शास्त्र के अनुसार केशी सूर्य का नाम है। आचार्य यास्क ने रश्मिरूपी केशोंवाला होने के कारण सूर्य शब्द का निर्वचन करते हुए केशी कहा है। यथा–

''केशो केशा रश्मयः, तैः तद्वान् भवति,काशनाद् वा''[8]

ऋग्वेद मे अग्नि तथा वायु को भी केशी कहा गया है। क्योंकि वायु धूल रूपी तथा अग्नि धूम्र रूपी केशों वाले होते हैं–

''अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते,

धूमेन अग्निः रजसा च मध्यमः''9

केशी शब्द का ही बहुवचनान्त केशिन पद वनता है। उपरोक्त सन्दर्भानुसार केशी शब्द की प्राकृतिक व्याख्या की गई है किन्तु उक्त सूक्त में तीन मन्त्रों के अलावा समस्त मन्त्रों में केशी के स्थान पर मुनि या मुनयः शब्द का प्रयोग किया गया है जो मानवी अर्थ की प्रतीति कराता है। जिसका अर्थ जटाजूटधारी तथा अध्यात्म्यज्ञान से प्रकाशित है। जिसकी प्रशंसा में ही कहा गया है कि ''योगी मुनि आग्नि को धारण कर सकता है, योगी मुनि विष को धारण कर सकता है, योगी मुनि आकाश–पृथिवी को धारण कर सकता है अर्थात् आत्मा और शरीर को धारण कर सकता। अथर्ववेद में भी कहा गया है–

''अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्''[10]

योगी मुनि अनुभव करने के लिए समस्त दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर सकता है, योगी के शरीर में विद्यमान यह आत्मज्योति केशी ही केशी है।''[11] इसी बात की पुष्टि करते हुए योगदर्शन मे कहा गया है–''तद्धर्मानभिधातश्च''[12] इन समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के परिणामों के अनन्तर प्रश्नोत्तर रूप से यह बताया गया है कि, ये समस्त सिद्धियाँ योगी की आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। आगे पुनः योगी के विषय में कहा गया है कि जिन्होंने वायु को रस्सी की भाँति पकड़ लिया है, ऐसे योगी मुनिजन पिंगलवर्ण के मटमैले केशों को, जटाजूट को धारण करते हैं। जब उनमें दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं तब वे वायु की गति के साथ–साथ उड़ने लगते हैं।[13]

महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन मे योगबल से आकाश मार्ग मे चलने की सामर्थ्य आ जाने की बात कही है कि, जैसे कोई नट निरन्तर अभ्यास के द्वारा भूमि के ऊपर दो बाँसों पर बँधी हुई रस्सी पर चल लेता है उसी प्रकार योगी वायु रूपी रस्सी को साधन बनाकर आकाश में गमनागमन कर सकता है।[14] योगदर्शनकार के कथन का अभिप्राय यह है कि जहाँ शरीर है वहाँ आकाश अवश्य है। यह शरीर जिन पंच महाभूतों से निर्मित है उसमे आकाश तत्त्व भी समाहित है। उसी आकाश तत्त्व और शरीर के साथ विशेष संबंध में संयम करने से शरीर आकाशचारी हो जाता है।

योग के विषय में महर्षि दयानन्द का मत है कि, योग की सामर्थ्य योगी के मन में होती है उसके शरीर में नहीं। योगी का शरीर योगाभ्यास से स्वस्थ्य होता ही है उसकी आत्मा

उन्नत होकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों तथा स्थूलातिस्थूल पदार्थों का परिमाप कर सकने में समर्थ्य हो जाता है।

अतः सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि, ''मानव जीवन को उन्नत करने के लिए उसे सुख के सोपान द्वारा परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने के लिए योग ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। योग से न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है वल्कि निःश्रेयस की भी प्राप्ति होती है। योग मनुष्य का सर्वविध अभ्युदय करने की सामर्थ्य रखता है। अतः मनुष्य का परम कर्त्तव्य होना चाहिए कि, वह अपने दैनिक जीवन में योग को अवश्य ही अपनाये जिससे उसकी पारिवारिक, सामाजिक, अर्थिकादि उन्नति हो सके तथा वह इस संसार में जीवन पर्यन्त सुखी रहे हुए अन्त में सुखपूर्वक देह का परित्याग कर जीवन के परम पुरुषार्थ स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर सके।''[15]

सन्दर्भ

1. पातंजल योग दर्शन की भूमिका पृष्ठ 01 हिन्दी व्याख्याकार–श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव।
2. परिणामत्रयसंयमादतीनागतज्ञानम्। (विभूतिपाद सूत्र–16)
3 शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्। (विभूतिपाद सूत्र–17)
4. संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्। (विभूतिपाद सूत्र–18)
5. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। (विभूतिपाद सूत्र–17)
6. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। (योगदर्शन विभूतिपाद सूत्र–37)
7. ऋग्वेद 10/136/1–7
8. निरुक्त 12/25
9. निरुक्त 12/26
10. अथर्ववेद 5/9/7
11. केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी।
    केशी विश्वं स्वदृशे केशींद ज्योतिरुच्यते।। (ऋ0 10/136/1)
12. योगदर्शन 3/45
13. मुनयो बात रसनाः पिशंगा बसते मलाः।
    वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत।। (ऋ0 10/136/2)
14. योग दर्शन 3/42
15. वैदिक चिंतन मंजूषा, डा0 सूर्य नारायण गौतम, प्रकाशक जी.एच. पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ0 50।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

भारत की विकास दर : एक मूल्यांकन

[illegible]*
[illegible]**

[illegible]

[illegible]

[illegible] 600 [illegible] 300 [illegible]

[illegible] 1500 [illegible]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संदर्भ सूची

1. Macro economics analysis (MA Final Year)
2. Macro economics : V.K. Ohri, Siddique, Sandeep Garg, K.C. Verma, G.S. Mittal.
3. N.D. T.V. News Channel update & website
4. Dainik Bhaskar Addition (July to August 2015)

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

पूर्व मध्यकालीन मुद्राएँ

डॉ. श्रीमती पूनम मिश्रा*
विनय कुमार कुशवाहा**

भारतीय इतिहास का छठी से 12 वीं शताब्दी ई तक का काल पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। जिसमें भारत के अलग–अलग भागों मे. विभिन्न राजवंशों का शासन चल रहा था इस समय युद्ध मे लगातार व्यस्त होने की वजह से राजाओं को अपने सिक्के जारी करने का समय और संसाधन दोनो की कमी रहती थी। इन परिस्थितियों मे जो सिक्के जारी किए गए वे मिश्रित धातु के थे। युद्ध खर्च, आभूषण प्रचलन, मंदिर निर्माण व्यय, दान आदि के कारण सोने चॉदी की कमी सी हो गई जिसकी वजह से इस समय के कई शासको की मुद्राएं कम मात्रा में मिली या नही मिली। भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हमें तत्कालीन सिक्को से होती है पूर्व मध्यकाल के सिक्को के संबंध में निम्न बाते पता चली है– मिश्रित धातुओं के सिक्को से बाहरी आक्रमण से पैदा आर्थिक संकट पता चलता है, सिक्को पर उत्कीर्ण देवी देवताओं या उनके वाहनो की आकृतिओं के अंकन से शासको का धार्थिक झुकाव पता चलता है संख्याओं से तिथि संबंध ी जानकारी होती है साथ ही कला का ज्ञान भी होता है।

गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया और विभिन्न वंशों ने अपने शासन के दौरान सिक्के जारी किए। मौखरि वंश ईशान वर्मा द्वारा स्थापित हुआ। अवंतिवर्मन द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए। इनका बड़ा ढेर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से मिला है। यह सिक्के नवीन शैली के न होकर गुप्तो के मध्यदेशीय रजत मुद्रा शैली का अनुकरण मात्र है। हर्षवर्धन सातवी शताब्दी के कन्नौज का शाासक बना उसके चांदी के सिक्के भिटौरा से प्राप्त हुए है। जिस पर शिलादित्य अंकित है। शिव के वाहन नंदी कर आकृति से शैव धर्म में श्रद्धा का पता चलता है। नवीं शताब्दी में कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। जिसके सोने के सिक्के पंजाब व उत्तर प्रदेश से मिले है। अग्र भाग पर यशोवर्मन और पृष्ठभाग पर किदार शब्द अंकित है। गुर्जर प्रतिहार शासको में मिहिर भोज के सिक्के प्राप्त होते है। उत्तर प्रदेश के चांदी के सिक्के आदिवाराह कहलाते थे तावे का मिश्रण ज्यादा होने से पता चला कि आर्थिक स्थिति सही नही थी। एक अन्य शासक विनायकपाल की रजत मुद्राएं लखनऊ से मिली जिन्हे विनायक मुद्रा

* प्राध्यापक (इतिहास), शा0 ठा0 रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
** शोध छात्र (इतिहास), शा0 ठा0 रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कहा गया। द्रव्य परीक्षा नामक ग्रंथ मे भी वाराह मुद्रा एवं विनायक मुद्रा का उल्लेख मिला है तथा यह भी पता चला कि जनता में कौड़ियों का प्रचलन था। गहड़वालो ने 11–12वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार किया। इस वंश के मदन पाल एवं गोविंन्दचंद्र के सिक्के क्रमशः गढ़वाल एवं बहराइच से बड़ी मात्रा में मिले है। ये सोने एवं चांदी की घहिया एवं मिश्रित धातु के बने है। गोविंद चन्द्र के स्वर्ण सिक्के शुद्ध देशी कलचुरी शैली मे बने है।

7वीं से 11वीं शताब्दी ई. तक काकुल, पश्चिमोत्तर भारत एवं पंजाब शाही नामक वंश का शासन था इस क्षेत्र से वर्कदेव, स्पलपतिद एवं सामंतदेव नामक शासको के सोने, चांदी के सिक्के मिले है। यह सभी नागरी भाषा में लिपि बद्ध है कुछ समय बाद महमूद गजनवी ने इन्ही सिक्के का अनुकरण कर अपने सिक्के जारी किए। परमार काल के अभिलेखों एवं साहित्य में रूपक, अर्द्धरूपक, दम्म जैसी मुद्राओ के नाम मिलते है। पर ये सिक्के बहुत कम मिले हैं। केवल उदयादित्य के समय के कुछ स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के मिले है जो गांगेयदेव शैली के है। चंदेल शासको के सिक्के अभी तक प्राप्त नही हुए है बाद के शासको कीर्तिवर्मा, जयवर्मा, मदन वर्मा के सिक्के मिले है। सोने एवं चांदी के सिक्को पर देवी एवं तॉबे के सिक्के पर हनुमान की आकृति उत्कीर्ण की गई है। कलचुरीवंश के 15 शासको ने लगभग 900 से 1200 ई तक राज्य किया जिनमें सर्वाधिक सिक्के गांगेयदेव के मिले है। इसके सोने के सिक्के मिश्रित धातु के है। इसीलिए ये नवीन गांगेयदेव शैली के कहलाए। जिसका अनुकरण चंदेल, गहड़वाल, चाहमान एवं तोमर आदि वंशीय राजाओं ने किया।

अजमेर के चौहान शासको में सबसे पहले अजयराज ने सिक्के जारी किए व अजमेर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय में रूपक नामक चांदी के सिक्के का उल्लेख मिलता है। लेख पद्धति नामक ग्रंथ मे चौहानो द्वारा जारी विषल प्रिय नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है। 1192 ई. तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद मुहम्मद गोरी ने ऐसे सिक्के जिनके अग्र में पृथ्वींराज एवं पृष्ठभाग पर अपना नाम मुहम्मद साम खुदवाया। तोमरवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी ई. तक दिल्ली और उसके आस–पास के क्षेत्रों पर शासन किया। शासक महीपाल ने सोने के सिक्के जारी किए अन्य शासको के चांदी, ताबे व मिश्रित धातु के सिक्के मिलते है। महीपाल की कुछ मुद्राएं काबुल से भी मिली है। जो संभवतः व्यापारी या तुर्क आक्रमणकारियो द्वारा वहॉ ले जायी गई होगी। बंगाल के शासको ं में धर्मादित्य एवं समाचार देव के मिश्रित धातु के सिक्के मिले है सातवी शताब्दी ई. के पूर्वाद्ध में उत्तरी बंगाल पर शशांक का शासन था। इसके सिक्के गौड़ क्षेत्र से मिले है गुप्त शैली के इन सिक्को पर शिव एवं नंदी की आकृतियां खुदी है। सिक्को से उसका शैव मतावलम्बी होना सिद्ध होता है। 8वीं शताब्दी में पालो के समय बंगाल में दीनार एवं द्रम प्रचलित थे। संभवतः लगातार युद्धो ंमे ंव्यस्त रहने के कारण पाल शासक बहुत कम सिक्के जारी कर सकें। केवल देवपाल के कुछ सोने के सिकके मिले है। सेन शासको का अभी तक कोई सिक्का नही मिला है।

सातवीं शताब्दी में कश्मीर मे दुर्लभवर्मन द्वारा कार्कोट वंश की स्थापना की गई। इस वंश के ललितादित्य एवं जयापीड विनयादित्य ने बड़ी मात्रा मे सोने के सिक्के जारी किए।

यह पूर्व किदार शैली का अनुकरण है। 9वीं शताब्दी ई. में कश्मीर पर उत्पन्न वंश का शासन था इस वंश के अवंतिवर्मन, शंकर वर्मन्, क्षेमगुप्त, अभिमन्यु, त्रिभुवन आदि शासको की तांबे की मुद्राए प्राप्त हुई है। उत्पलो के बाद 11वीं शताब्दी ई. के आरम्भ से कश्मीर में लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ इस वंश के शासको के सिक्के तीन धातुओं में निर्मित किए गए।

दक्षिण भारतीय सिक्को के प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप अधिक महत्व के नही है। ये आकार में इतने छोटे है कि इनके अक्षर पढ़े नही जा सके। बादामी के चालुक्य वंश के सिक्के वाराह की आकृति के होने के कारण वराह कहलाए यह ठप्पो की सहायता से बनाए जाते थे। इसी प्रकार राष्ट्कूटो ने द्रम, सुवर्ण, कलंजु एवं कासु नामक सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए जिनका उल्लेख अभिलेखों में हुआ। 12वीं शताब्दी ई. में द्वारसमुद्र में होयसलो का शासन प्रारंभ हुआ जिनके सिक्को पर सिंह आकृति एवं कन्नड़ भाषा में लेख उत्कीर्ण है। पल्लवों के सिक्के आंध्र शैली के पगोदा एवं फणम नामक सिक्के मिले है इन पर शेर की आकृति उत्कीर्ण है। पांडय शासको ने छठवीं से 13वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक कभी स्वतंत्र शासक के रूप में तो कभी सामंत शासको के रूप मे सिक्के जारी किए। इनके अधिकांश सिक्के सोने एवं तांबे के है। प्रारंभ में इन पर हाथी की आकृति खुदी थी बाद में मछली की आकृति उत्कीर्ण की जाने लगी। पांडयो की भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राए 1211 ई. में खिलजी सेनापति मलिक काफूर लूट कर ले गया था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य तक चोल शासको ने दक्षिण भारत की एक बड़े भू भाग पर शासक किया। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण उनके द्वारा बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। चोलों के स्वर्ण सिक्को का एक बड़ा ढ़ेर धवलेश्वरम से मिला है। राजाधिराज प्रथम के कुछ सिक्के श्रीलंका से भी मिले है। जिससे पता चलता हैं कि वहां पर भी इसके अधिकार की पुष्टि होती है। चोलो के शेर मछली के आकृति वाले सिक्को का अनुकरण वाद में दक्षिण के नायक एवं लंका के शासको द्वारा किया गया।

पूर्व मध्यकाल के शासको के सिक्को का विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सोने चांदी एवं तांबे के सिक्को का प्रयोग 12वीं शताब्दी तक होता रहा वहीं पूर्वी भारत में सिक्को की अत्यधिक कमी परिलक्षित होती है। वेतन के रूप में भूमिदान की प्रथा के चलन के कारण भी सिक्के कम मात्रा में जारी हुए। पाल एवं सेन शासको की मुद्राएं लगभग प्राप्त नही हुई है। इस काल में अधिकांश शासको के परस्पर युद्ध या मुस्लिम आक्रमण से बचाव में व्यस्त रहने के कारण वित्तीय संसाधन की कमी होने से प्रायः सोने चांदी के मिश्रित धातुओं के सिक्को का निर्माण हुआ। पूर्व मध्यकाल के कई राजवंशों के संबंध में सिक्को की खोज किया जाना अभी भी बाकी है। यदि इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो यह भारतीय इतिहास के लिए गौरव की बात होगी।

संदर्भ–

1. वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत भाग–1, दिल्ली वि.वि. 2006
2. मजूमदार राय चौधरी, भारत का वृहद इतिहास, मद्रास 1990
3. शर्मा, डॉ. बृजकिशोर, भारत का इतिहास, राज. हि. ग्रं. अका. जयपुर
4. मित्तल.ए.के., भारत का इतिहास, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा
5. सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास, यूनीक पब्लिकेशन 2008

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

साहित्य के प्रांगण में लोक संस्कृति, लोक आस्था

श्रीमती कल्पना तिवारी

साहित्य समाज और संस्कृति के अन्तर्सम्बन्धों की अवधारणा, मानव के शाश्वत उन्नयन के लिए लोक आस्था, लोक परम्परा एवं संस्कृति से अवतरित चेतना का ही परिमाण है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य और सांस्कृति मूल्यों और लोक में व्याप्त विभिन्न रीतियों, परम्पराएँ, आस्था, तंत्र-मंत्र, जीवन सत्य के पहलुओं का विवेचन है। जिसका लाभ आज के युवा पीढ़ी को अवश्य मिलेगा।

आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं साहित्य को दूषित करने की नीतियाँ और उनके प्रयोग नियोजित तरीके से चल रहे हैं। आज साहित्य एवं संस्कृति को उदारीकरण एवं विकास के नाम पर आरोपित किया जा रहा है। ऐसे समय में हमारा दायित्व बनता है कि हम साहित्य के मूल स्वभाव उसके धर्म को समझें। क्योंकि साहित्य का हमारे जीवन में, समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है, और व्यापक स्तर सनातन मूल्यों को संज्ञान में लायें।

साहित्य वस्तुतः जोड़ने का काम करता है। ''सहितस्य भावः इति साहित्यम्''[1]। वह हमारे हृदय एवं विवेक को निर्मल बनाता है एवं आकाश जैसा विस्तार और समुद्र-सी गहराई देता है। साहित्य, कोमल अनुरागवृत्ति का भाव जगाता है, वह राग तत्त्व के सहारे संसार का कल्याण चाहता है।

''साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः''[2]। साहित्य का केन्द्र बिन्दु समाज और व्यक्ति है। बिना व्यक्ति के और समाज के कोई भी साहित्य रचा नहीं जा सकता। समाज के सुख-दुःख, दर्द, समाज का वैभव, समाज का ऐश्वर्य, समाज का चित्रण, समाज का विचार, समाज की जीवन दृष्टि, ये सब साहित्य के भीतर आता है।

किसी देश समाज की संस्कृति का, उसकी भाषा साहित्य, इतिहास, कला, वास्तुशिल्प, रहन-सहन, खान-पान आदि पर प्रभाव पड़ता है, और उनके मूल में लोक विश्वास और विधि-निषेधों की परम्परा क्रियाशील रहती है।

'लोक' शब्द हमारी दृष्टि का सूचक था। छोटी-छोटी बातों को लोक निन्दा, लोक स्तुति, लोकेषणा, लोक अपवाद, लोक प्रशंसा कहते हैं।

यहाँ तक लोकधर्मी परम्परा की बात है वियुत्पत्ति की दृष्टि से और यों भी 'लोक' और 'वेद' या शास्त्र–दोनों का अर्थ एक ही है। दर्शनार्थ लोक धातु से निष्पन्न लोक शब्द का अर्थ दर्शन या साक्षात् अपरोक्षानुभूति है। इस प्रकार विद् धातु से निष्पन्न वेद शब्द का धर्म भी ज्ञान ही है। सत् और अल्हाद के साथ दोनों ही हमारी परम्परा में प्रमाण माने गये हैं। 'वेद' की समय-समय पर युगोचित व्याख्या होनी चाहिए जिसके न होने उसे तोड़ता आ जाती है। फिर सर्जन प्राकृतिक लोक

प्रो. एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी), शा0 वेंकट संस्कृत महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

आत्मवाद, नवअहंकार मूलक होकर जड़ता ग्रस्त हो गया तथा बुद्ध और द्रव्यमय यज्ञ के रूढ़ ग्रस्त होने से ज्ञान यज्ञ परायण महावीर के माध्यम से लोक चेतना (इच्छा शक्ति) क्रान्ति कर उठी। इतिहास में नया मोड़ लिया बौद्ध सिद्ध और नाथों में यही लोक चेतना अपनी समृद्ध भावनाओं के साथ मुखर हो उठी। अधिकांश सन्त और भक्त भी इसी के फल हैं जिनका व्यवहारिक ज्ञान पोथियों का बंधा हुआ ज्ञान नहीं था।

यहाँ तक की संत 'कबीर' तक ने लोक वेद की चर्चा करते हुए कहा कि—

''आगे लागा जाइ था, लोक वेद के साथ।
पाछे ते सतगुरु मिला, दीपक दीया हाथ।।'[3]

'तुलसी' ने जिस सुखमय सत्ता का स्वप्न देखा, वह अवधीवाद अयोध्यावाद के बजाय ''राम राज्य बैठे त्रइलोका'' की विराट कल्पना की। वैदिक वाङ्मय में भी लोक का वर्णन आया है। ऋग्वेद के विख्यात पुरुष सूक्त में स्थान और जीव दोनों अर्थों में लोक का प्रयोग हुआ है।

''नाभ्या असीदंतरिक्षं शीष्णों द्यौः समवर्तत्।
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतान्तथा लोकांऽ अकल्पयन्।।[4]

संसार में जितनी भी सभ्य-असभ्य कही जाने वाली जातियाँ हैं उन सभी में 'लोक विश्वास' के प्रति आस्था किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं। तुलसीदास लोक और वेद को एक साथ लेकर चलते हैं। शकुन-अपशकुन सम्बन्धी विश्वासों के सन्दर्भ में तुलसी ने रामचरित मानस में दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भर कर भविष्य की आशंका से भयभीत कराया, तब कैकेयी ने कहा था—

'सुनि मंथरा बात फुरि तोरी!
दाहिनी आँख नित फरकइ मोरी।।'[5]

महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम् में भुजा फड़कने वाली संबंधी लोक-विश्वास का वर्णन किया है। अंगों का स्फुरण शुभ और अशुभ कार्यों की सूचना देने वाला बताया है—

'वचोभिरासा जनैर्भवानिव गुरुव्यथम्।'[6]

भारतीय संस्कृति को हम हिन्दू संस्कृति का पर्याय मानते हैं, मनवाने का प्रयास करते हैं। किन्तु स्वचालित कुचक्र से निकल कर बाहर आने का द्वार 'लोक संस्कृति' में निहित है। लोक संस्कृति और साहित्य एक वचनीय शब्द न होकर बहुवचनीय शब्द है। जहाँ उनमें विस्मृति करने वाली विविधता और पारस्परिक दृष्टि विरोध है वहाँ आच्छादित करने वाली एकरूपता भी है।

डॉ. रामविलास शर्मा ने भी कहा है— ''लोक संस्कृति का निर्माण और प्रसार लोक भाषाओं के माध्यम से ही समभव था।''

'लोक गाथा' एक लोक महाकाव्य होता है। उसमें महाकाव्य के समान विशेषताएँ भी प्राप्त होती है। कुछ लोक गाथाएँ भारत के विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। बुन्देलखण्ड में प्रचलित ढोला मारू गाथा पाण्डवा तो सारे उत्तर भारत में प्रचलित है।

'झांसी की रानी' का इतिहास लोकधर्मी परम्परा से सर्वथा भिन्न था। जबकि बुन्देखण्ड के हर बोलों ने ताकतवर हाँथों से लिखे इतिहास के गाल पर मानो थप्पड़ मारकर लोकधर्मी परम्परा का ऐसा निर्वाह किया कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को लिखना पड़ा—

''बुन्देले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।'[7]

बाबा नागार्जुन लोक जीवन के कवि है। लोक से जुड़ी सारी चीजों पर उन्हें आस्था और विश्वास है। इस सच्चाई का उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा—

कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास,
दाने आये घर के अन्दर कई दिनों के बाद।
धुँआ उठा आँगन के ऊपर कई दिनों के बाद,
कौएँ ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।।[8]

मुन्शी प्रेमचन्द्र ने अपनी रचनाओं 'पूस की रात', 'कफ़न', 'गोदान' में उत्तर मुख्यतः काशी जनपद की मानसिकता है, पर मुन्शी जी ने उसे लोक, सामाजिक एवं वैयक्तिक मूल्यों से ऐसा जोड़ दिया है कि वह देशातीत व कालातीत हो गई है।

लोक भाषाओं से संचित लोक साहित्य में समस्त जीवन पद्धति और उसकी समस्त कला संरचनाओं में आत्ममुक्ति के आनंद को प्राप्त करना होता है तथा मूल लक्ष्य के करीब पहुँचना होता है।

लोक साहित्य में अपनी भावनाओं को विस्तार के लिए, प्राकृतिक उद्दीपनों को अपनी काव्य चेष्टाओं में व्यक्त किया है। बसंत, वर्षा, शरद, ग्रीष्म आदि में अनुभवों ने उसके भीतर जो संवेदनाएँ जागृत की उन्हीं संवेदनाओं के परिणामस्वरूप उसने लोक कलाओं में स्फुरणों को समेटा है।

आज के वैश्वीकरण के युग में, हमारी लोक संस्कृति सलिला है, जिस पर मानव जाति का अधिकार है। सारे देवता लोक देवता है। *''हमारे बघेलखण्ड में सावन में नागपंचमी त्योहार से सारे त्योहार शुरू होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग को दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं।''* हालांकि यह यह परम्परा वैज्ञानिकता के विरोध में है'' ''पयः पानं भुजांगानां, केवल विष वर्धनम्''[9] शास्त्रों में भी कहा गया है।'' लेकिन लोक संस्कृति जगी हुई नागपूजा हमारी आस्था व हमारे विश्वास को निर्बल नहीं बल्कि सबल बनाती है और यह भी मान्यता है कि— अर्थात् जिस दिन नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक उसी दिन तीजा (भादों में) तथा होली-फाग का त्योहार पड़ता है। ऐसा विश्वास लोक जीवन में व्याप्त है—

''जेहि दिन दूध पिअत है नाग।
ओहि दिन होत हइ तीजा फाग।।[10]''

डॉ. सोहनदास चारण लिखते हैं कि लोकवार्ता का क्षेत्र व्यापक है। ''इसमें सभी धर्मकथायें, लोक-गीत, जादू-टोना जैसे विषयों को बीच में उल्लेखित करना पूर्णरूप से भारतीय संस्कृति को समझने का अनुसंधान है।

इस प्रकार संस्कृति बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। 'लोक संस्कृति' का लोक संस्कृति एवं लोकधर्मी परम्परा एवं तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना जैसे विषयों को बीच में उल्लेखित करना पूर्णरूप से भारतीय संस्कृति को समझने का अनुसंधान है।

आज व्यवहार जगत में जैसे विज्ञान छाया हुआ है, उसी तरह धार्मिक जगत में ''तन्त्र-मन्त्र।'' तन्त्रों के विषय में अनेक भ्रम फैले हुए हैं। अशिक्षित जन-साधारण की बातें ही सिर्फ नहीं शिक्षित लोगों में भी तन्त्र सम्बन्धी अनेक भ्रान्त धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। मन्त्र का नाम सुनते ही कितने लोग नाक भी सिकोड़ते लगते हैं। यह सब तन्त्रों की उदात्त भावनाओं और विशुद्ध आचार पद्धति को न जानने का विषम परिणाम है। तन्त्रों के दार्शनिक विचार उतने ही उदात्त तथा प्राञ्जल हैं, जितने षड्दर्शनों में इनकी साधना पद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है, जितनी वेदों की।

सब सम्प्रदायों में साधना दो प्रकार की मानी जाती है। 'बहिरंग' और 'अंतरंग' प्रथम प्रकार की साधना का प्रकाशन ग्रन्थ है— वह जिस प्रकार का नियम का आश्रयण करती हैं उसी प्रकार आगम का भी अवलम्बन करती है। फलतः वह निगमामूलक है।

''तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्।।[12]

'तन्त्र' का दूसरा प्रख्यात नाम आगम है। वाचस्पति मिश्र ने योगभाष्य की अपनी तत्ववैशारदी व्याख्या में आगम शब्द की व्युत्पत्ति की है—*'आगच्छन्ति बुद्धिमारो—हन्ति यस्मात् अभ्युदयनिः श्रेयसोपायाः स आगम'*[13] अर्थात् जिससे अभ्युदय (लौकिक कल्याण) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) के उपाय बुद्धि में आते हैं वह ''आगम'' कहलाता है।

मन्त्रों की अलौकिक शक्ति को तो भारत के साधक हमेशा से मानते चले आये हैं। राम, शिव, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मन्त्र पढ़े जाते हैं, किन्तु इन सबमें मनुष्य मात्र की कल्याण कामना छिपी होती है।

मन्त्र, तन्त्र और यन्त्र की चर्चा इस देश के लिए नई नहीं है। वैदिक मन्त्र और ज्योतिष के मन्त्र, आज भी समाज में प्रचलित है। ''ॐ'' का उच्चारण का महत्त्व आज बड़े-बड़े वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं।

कलयुग में मानवों की अध्यात्मिक शक्ति में क्षीणता दृष्टिगोचर होती है। जितना त्याग, धैर्य प्राचीनकाल में था उतना आज कहाँ दिखाई देता है। आगम-शास्त्र में यह निर्देश है कि आत्मा के नित्य शुद्ध होने पर भी उसकी अप्रबुद्ध अवस्था श्रेष्ठ है। अतएव उदात्त स्वर में तान्त्रिक घोषणा करती है। कि सुप्त रहने से काम नहीं चलेगा, उसे जगाना चाहिए।

वैज्ञानिकता और आधुनिकता के समन्वय में भी आज लोक प्रचलित टोटके महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। टी.वी. का पूरा एक चैनल ही हमेशा सुख-समृद्धि बुरी नजर के टोटके से बचने के लिए विभिन्न तन्त्र-मन्त्र से अवगत कराता रहता है। इन्हें हम ढोंग या ढकोसला कह कर नकार नहीं सकते क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में लौकिक तन्त्र है।

हमारी संस्कृति हमारा साहित्य विविध लोक-विश्वासों तन्त्र-मन्त्र जादू-टोना, लोक-परलोक, स्वर्ग-नरक एवं पुनर्जन्म पर निहित है। लोक संस्कृति में सामूहिक सामाजिकता की चेतना का काम करती है जो पारस्परिक सहानुभूति या प्रेम के आधार पर सबको जोड़ती है। उसमें आर्य, द्रविड़ निषाद, किरात और अनेक जनजातीय संस्कृतियों के तत्वों का संपादन मिलता है।

जो लोक के लिए उपयोगी हो या लोक संस्कृति बन गया है। लोक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की जड़ है जिसके इससे भारतीयता का पौधा हरा-भरा रहता है, फलता-फूलता है।

साहित्य और समाज एक-दूसरे के सृष्टा हैं, रचयिता हैं, और इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य रूपी आइने में समाज का अक्स अपने गुण-दोषों सहित दिखाई देता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते साहित्यकार का दायित्व है कि वह समाज के गुणों को सुन्दरतम् स्वरूप प्रदान करे तथा खामियों को दूरकर समाज के नव-निर्माण में साहित्य का योगदान सुनिश्चित करे *''क्योंकि मानव समाज को सुन्दर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है।''*[14]

साहित्य और संस्कृति एक दूसरे में समाहित, पूरित, एक लम्बी परम्परा से जुड़े जिन्हें आज और कल से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन संस्कृति और साहित्य का एक गौरवशाली अतीत तो है, पर उतना ही क्षत-विक्षत खण्डित वर्तमान है। जरूरत है फिर संस्कृति और लोक परम्पराओं के निखरे, ताने-बाने को जोड़कर समन्वित रूप देवे ताकि हमारी संस्कृति लोक संस्कृति की विशिष्टता के साथ उभरे पहचान बना पायें।

''युग-युग संचित संस्कार ऋषि मुनियों के उच्च विचार।
धीरों-वीरों के व्यवहार, है जिन संस्कृतियों के श्रृंगार।।''

''मैथिली शरण गुप्त''

संदर्भ ग्रन्थ–

1. साहित्य दर्पण
2. चाण्क्य नीति
3. 'बीजक'-कबीरदास
4. ऋग्वेद 10/90/15
5. 'रामचरित मानस' तुलसीदास
6. 'मेघदूत' (उत्तरमेघ) कालिदास
7. 'झांसी की रानी' - सुभद्रा कुमारी चौहान
8. नागार्जुन-अकाल और उसके बाद
9. विन्ध्य भारती जुलाई 1993 पृ. 145
10. विन्ध्य भारती जुलाई 1993 पृ. 145
11. 'समानुभूति' शोध पत्रिका पृ. 72
12. 'मन्त्र और मन्त्रिकाओं का रहस्य' - डॉ. शिवशंकर अवस्थी, चौखम्बा प्रकाशन
13. 'मन्त्र और मन्त्रिकाओं का रहस्य' - डॉ. शिवशंकर अवस्थी, चौखम्बा प्रकाशन
14. मध्यकालीन हिन्दी संत विचार और साधना - के. पी. चौरसिया

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

छतरपुर जिले की देवी प्रतिमाएँ

डॉ. प्रो. विभा श्रीवास्तव

मानचित्र के अनुसार यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। आधुनिक बघेलखण्ड में 6 जिले रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले आते हैं। यह 22030′ और 25012′ उत्तरी अक्षांश तथा 80032′ और 82051′ पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश के बॉदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर जिले पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर एवं मध्य प्रदेश का अम्बिकापुर जिला दक्षिणी भाग में बिलासपुर एवं अंबिकापुर जिला एवं पश्चिम में पन्ना, जबलपुर, मण्डला जिले भी हैं। क्षेत्र के दक्षिण भाग से 23–1/20 पर कर्क रेखा गुजरती है।

पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो–खजुराहो में संग्रहालय की स्थापना सर्वप्रथम 1910 ई. में बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल एजेण्ट डब्ल्यू0ई0 जार्डिन के द्वारा की गयी थी। जिसने समीपस्थ क्षेत्रों की सभी मूर्तियों एवं मंदिरों के वास्तु अवशेषों को पश्चिमी समूह के मंदिरों जहॉ मातंगेश्वर मंदिर है, के पास एकत्र किया, इसीलिये उसे जार्डिन संग्रहालय नाम दिया गया था। 1952 ई0 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने जब इसे अपने अधिकार में लिया तो इसका नाम पुरातत्व संग्रहालय, खजुराहो रखा गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में अत्यंत सुन्दर और संग्रह की गई प्रमुख मूर्तियों को इस संग्रहालय भवन में प्रदर्शित किया गया है जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। यहाँ पर संग्रहित अवशेष चन्देल काल का प्रदर्शन करते हैं।

उमा महेश्वर (प्रतिमा क्रमांक 2172)

खजुराहो संग्रहालय में प्रदर्शित उमा–महेश्वर की प्रतिमा उल्लेखनीय है। शिव की भुजायें क्रमशः वरद् खण्डित, सर्प स्तनावलम्बित एवं उमा को और पद्मयुक्त बनाया गया है। दोनों पारम्परिक आभूषणों से अलंकृत है। उभय पार्श्व में त्रिभंग द्विभुज कट्यावलम्बित, बीजपूरकधारी पुरूष और उपासक उपासिकाओं का अंकन है। प्रभामण्डल के दोनों ओर खण्डित ब्रम्हा, विष्णु की प्रतिमायें हैं। इनका निर्माण 11–12वीं शती में हुआ है।

उमा महेश्वर (प्रतिमा क्रमांक 514)

10वीं शती की उमा महेश्वर की इस प्रतिमा में शिव चतुर्भुज हैं। हाथ क्रमशः खण्डित, त्रिशूल, सर्प, स्तनावलिम्बित हैं। प्रभामण्डल युक्त हैं। द्विभुजी उमा का दाहिना हाथ शिव स्कंध पर एवं बाँया खण्डित है। नीचे वाहन नन्दी और सिंह हैं। उभय पार्श्व शूलधारी कार्तिकेय एवं ऊपर त्रिदेवों की आकृतियाँ भी अंकित हैं।

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास), शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा

अर्धनारीश्वर (प्रतिमा क्रमांक 550)

अर्धनारीश्वर की चतुर्भुजी प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो में प्रदर्शित है। हाथों को क्रमशः अभय, त्रिशूल, दर्पण युक्त दर्शाया गया है जो खण्डित अवस्था में है। दाहिना भाग शिव का एवं वामार्ध पार्वती का बना है। शिव जटाधारी किन्तु पार्वती धम्मिल केश रचना में है। वक्ष पर बांयी ओर एक स्तन भी बनाया गया है। देवी का वाहन सिंह प्रदर्शित है। अन्य आकृतियों में मालाधारी विद्याधर और सिंह व्यालों का प्रदर्शन है।

लक्ष्मी (प्रतिमा क्रमांक 560)

लक्ष्मी की भुजाएँ खण्डित हैं। संभवतः वे पैरों को दबाने की मुद्रा में रही होंगी। उनका बाँया पैर कुछ अधिक मुड़ा शेषशैया पर रखा है। उनके दाहिने कटि के पास की भुजा में गदा है जो शैया के नीचे लटक रही है। दूसरी भुजा सिर को सहारा देते दृष्टव्य है। शेष बायीं भुजायें खण्डित हैं। नाभि से उद्भूत पद्म पर दाढ़ी मूँछ एवं जटामुकुट युक्त त्रिमुख ब्रम्हा की आसीन चर्तुभुजी प्रतिमा है जिनकी भुजायें क्रमशः खण्डित, सूव, पुस्तक, कमण्डल युक्त है। विष्णु के चारों ओर अनेक स्थानक पार्श्व पर चित्रित हैं। लक्ष्मी चरणों के निकट गरूड़ की मानवाकृति स्थानक प्रतिमा है जिसका दाहिना हाथ ऊपर उठा एवं बांया कट्यावलम्बित उत्कीर्ण है। सबसे ऊपरी भाग की पीठिका पर आसीन नवग्रह एवं उनके पीछे दशावतारों का चित्रण है। शेषशैया के नीचे का भाग रोचक है। यहाँ विष्णु मस्तक की ओर झुका चक्र पुरूष दो अनुचर संभवतः कार्मण्डेय और भृगु हैं। इन दोनों के मध्य अश्व का अंकन है, जिसके सामने खड्गधारी की एक आकृति है। पैरों के पास खड़गधारी मधु और खड्ग खंटक युक्त कैटभ असुर का चित्रण है। इनके सामने कोने में खड़ा आयुध पुरूष अंकित है। विष्णु के सिर की ओर स्थानक वीणाधारिणी पुष्टि (सरस्वती) और चरणों की ओर पद्मासीन गजलक्ष्मी का प्रदर्शन है।

लक्ष्मी नारायण (प्रतिमा क्रमांक 46)

लक्ष्मी नारायण आलिंगन मुद्रा में खड़े हैं। विष्णु किरीट मुकुट युक्त बैजयन्ती माला एवं अन्य आभूषणों से अलंकृत हैं। लक्ष्मी भी धम्मिल केश रचना युक्त सभी आभूषणों से सुशोभित हैं। चर्तुभुजी विष्णु को क्रमशः शंख, गदा, चक्र और स्तनावलम्बित दर्शाया गया है। द्विभुजी लक्ष्मी की दाहिनी भुजा विष्णु के गले में एवं बायीं भुजा खण्डित है। पार्श्व मूर्तियों में दाहिने द्विभुज सर्पयुक्त गरूड़ किरीटधारी चक्र पुरूष एवं बायें पार्श्व में शंख पुरूष का चित्रण है। प्रभामण्डल के ऊपर दोनों ओर मालाधारी युगल एवं विष्णु चरणों के समीप उपासक उपासिका का चित्रण है।

सरस्वती (प्रतिमा क्रमांक 824 ए)

संग्रहालय में सरस्वती की अर्धपर्याकासीन अष्टभुजी मूर्ति प्रदर्शित है। जिसमें दो भुजाओं को वीणा बजाते हुये दिखाया गया है एवं अन्य भुजायें खण्डित हैं। प्रतिमा अलंकृत

है। वाहन हंस भी उत्कीर्ण है। करण्डधारिणी सरस्वती के प्रभामण्डल के ऊपरी भाग में अभिषेक गजों का अंकन है।

गजलक्ष्मी (प्रतिमा क्रमांक 824 बी)

खजुराहो संगहालय में सिंहवाहिनी गज लक्ष्मी की एक प्रतिमा संग्रहीत है। यहॉ देवी को समपाद जटामुकुट और अन्य अलंकरणों से युक्त चर्तुभुज क्रमशः वरद् पद्म, कमण्डल युक्त दर्शाया गया है। पद्मधारी हाथों के सहारे पद्म पर स्थित प्रभामण्डल के दोनों ओर एक–एक गज अभिषेक करते उत्कीर्ण है। पार्श्व प्रतिमाओं में उपासक–उपासिका का चित्रण है। चरणों के समीप दो सिंह वाहन दिखाये गये हैं।

पार्वती (प्रतिमा क्रमांक 994 सी)

खजुराहों संग्रहालय में पार्वती की दो प्रतिमायें सुरक्षित हैं। प्रथम समपाद स्थानक द्विभुजी वरदाक्ष एवं खण्डित जटामुकुट युक्त पार्वती अलंकरणों से अलंकृत हैं। समीप ही वाहन ने वला और सिंह का अंकन है। परिकर के दोनों पार्श्वों में चामधारिणी सेविका एवं उपासक उपासिका है साथ ही सरस्वती सहित अन्य खण्डित सप्तमातृकायें भी हैं। दाहिने पार्श्व में खप्पर खडवों महधीभैरव खां बायें पार्श्व में त्रिमूल कट्यावलम्बित कार्तिकेय और लशधारी देवियाँ उत्कीर्ण है। प्रभामण्डल के ऊपर क्रमशः ब्रम्हा, सावित्री, उमा महेश्वर और लक्ष्मी नारायण की युगल मूर्तियाँ बनी हैं। अन्य आकृतियों में मालाधारी विद्याधर युगल वेदवाचक स्थानक प्रतिमा एवं व्यालों का चित्रण है।

पार्वती (प्रतिमा क्रमांक 1009)

यहॉ की दूसरी प्रतिमा के दोनों हाथों में पद्म है, जिस पर क्रमशः गणेश तथा कार्तिकेय की लघु आकृतियाँ आसीन हैं। देवी के साथ वाहन नेवला और सिंह का प्रदर्शन है। दाहिने पार्श्व में स्थानक, खप्पर और खड्गधारी भैरव एवं बायें शूल एवं कट्यावलम्बित कार्तिकेय की प्रतिमा है। भैरव के समीप श्वान समान वाहन दर्शाया गया है। भैरव एवं कार्तिकेय के समीप पद्मधारिणी देवियॉ संभवतः उनकी पत्नियाँ हैं। प्रभामण्डल के ऊपर त्रिदेव क्रमशः ब्रम्हा, शिव एवं विष्णु की प्रतिमाऍ और मालाधारी विद्याधर है।

महिषासुरमर्दिनी (प्रतिमा क्रमांक 1220)

महिषासुरमर्दिनी की अष्टभुजाओं में तीन भुजाएँ खण्डित हैं। अन्य भुजाओं में क्रमशः खड्ग, खेटक, घण्टा, धनुष प्रदर्शित है। आठवीं भुजा द्वारा महिष के पैर को खींचते हुये अंकित किया गया है। वाहन खण्डित किन्तु महिष पर आक्रमण करने की मुद्रा में उत्कीर्ण है। देवी का दाहिना पैर उल्टे महिष के उदर पर है।

वैष्णवी (प्रतिमा क्रमांक 821)

यहाँ की वैष्णवी देवी अष्टभुजी हैं। इसमें सामने की दो भुजाओं में क्रमशः शिरीष फल एवं शंख है। शेष अन्य भुजाएँ खण्डित हैं। किरीट मुकुट युक्त देवी गरूड़ारूढ़ अर्धपर्याकासीन

मुद्रा में है। पार्श्व आकृतियों में क्रमशः पद्म और चक्रधारिणी सेविकाएँ उत्कीर्ण हैं। अन्य आकृतियों में मालाधारी विद्याधर, वंशी एवं वीणाधारी वादक और उपासक उपासिका का अंकन है।

वाराही

खजुराहो में वाराही की चर्तुभुजी प्रतिमा प्रदर्शित है यहाँ पर देवी को अर्धपर्याकासीन सर अलंकृत उत्कीर्ण किया गया है। तीसरी भुजा में कपालपत्र दर्शाया गया है जिससे देवी रूधिर पान कर रही है। शेष तीन भुजाएँ खण्डित हैं। देवी के साथ महिष वाहन भी अंकित है। प्रभामंडल के ऊपरी भाग में त्रिदेवियॉ ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी की चर्तुभुजी खण्डित आकृतियाँ हैं।

चामुण्डा (प्रतिमा क्रमांक 1283)

खजुराहो संग्रहालय में चामुण्डा की सोलहभुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। शीर्ष पर गज को छत्र स्वरूप फैला दिया गया है। दो हाथ छत्रधारी गज को उठाये हुये उत्कीर्ण है। शेष हाथ खण्डित है। कृशकाय उदर में यहॉ भी बिच्छू का अंकन है। देवी का वाहन आपस्मार का अंकन है। दाहिने एवं बायें पार्श्व में खड्.गयुक्त राक्षस–राक्षसी दर्शाये गये हैं। प्रभामण्डल के ऊपर दोनों ओर त्रिदेवियों त्रिमुख अर्धपर्याकासीन उत्कीर्ण है।

सप्तमातृका (प्रतिमा क्रमांक 458)

संग्रहालय के एक शिलापट्ट में एक ओर वीणाधारी नृत्यरत वीरभद्र एवं दूसरी ओर गणेश है। सप्तमातृकाएँ में ब्राह्मी जटामुकुटयुक्त त्रिमुखी अभय कमण्डलधारी हैं। इसी प्रकार महेश्वरी प्रतिमा अभययुक्त है। कौमार्य शिखण्डक केश वाली अभयशूलधारी हैं। वैष्णवी किरीट मुकुट युक्त प्रदर्शित है जिनका प्रथम हाथ अभय मुद्रा और दूसरे में बालक है। वाराही खप्पर एवं बज्रयुक्त है। इन्द्राणी वैष्णवी के समान है। चामुण्डा की प्रथम भुजा खण्डित एवं दूसरे में खड्.वांग है। सभी सप्तमातृकाऍ नृत्यरत प्रदर्शित हैं।

यक्षी (प्रतिमा क्रमांक 940)

यक्षी का अश्व वाहन पीठिका पर उत्कीर्ण है। इसकी एक अवशिष्ट भुजा में सनाल पद्म का अंकन है। यक्षी के पार्श्व में दो स्त्री सेविकाओं और उपासकों का चित्रण है। प्रभामण्डल के दोनों ओर अर्धपर्यक मुद्रा में चर्तुभुजी देवी को क्रमशः अभय, पद्म बीजपूरक युक्त प्रदर्शित किया गया है।

कुबेर अंबिका (प्रतिमा क्रमांक 1609)

खजुराहो संग्रहालय में कुबेर अंबिका की दो प्रतिमायें संग्रहीत है। जैन युगल का अंकन किया गया है। प्रथम प्रतिमा में कुबेर अंबिका पद्म एवं बालक युक्त है। दूसरी प्रतिमा में कुबेर द्विभुज खण्डित, पद्म एवं अंबिका बीजपूरक और बालक युक्त है।

पुरातत्व संग्रहालय, धुबेला, छतरपुर

यह संग्रहालय जिला मुख्यालय छतरपुर से 17 कि0मी0 दूर छतरपुर–झांसी रोड पर स्थित मऊसहनियाँ तहसील नौगाँव कस्बे से दो कि0मी0 दक्षिण धुबेला ग्राम के छत्रसाल महल में स्थित है। यह महल तीन पहाड़ियों से घिरा विशाल सरोवर के किनारे निर्मित है। जहाँ कभी महाराज छत्रसाल का दरबार लगा करता था। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ध्रुवबेला में महाराज इसी महल से अदृश्य हो गये थे, तभी से यह महल धुबेला (अपभ्रंश धुबेला) कहा जाने लगा। धुबेला, विन्ध्य क्षेत्र का प्राचीनतम संग्रहालय है। इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 सितंबर 1955 में किया गया था।

लक्ष्मी नारायण (प्रतिमा क्रमांक 2)

राजकीय संग्रहालय धुबेला में गरूड़ासीन लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा शिल्पांकित है। विष्णु की भुजायें क्रमशः शंख, पद्म, गदा युक्त एवं स्तनावलम्बित है। लक्ष्मी का प्रथम हाथ विष्णु के गले पर एवं दूसरे में कुण्डलित सनाल पद्म है। वाहन गरूड़ उड्डीयमान दर्शाये गये हैं। प्रतिमा सभी पारम्परिक आभूषणों से अलंकृत है। इसका निर्माण 11वीं शती है।

सरस्वती (प्रतिमा क्रमांक 724)

11वीं शती की सरस्वती की प्रतिमा अर्धपर्यकासीन, करण्ड मुकुट धारिणी, हंसवाहन युक्त चर्तुभुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। देवी के हाथों में क्रमशः अक्षमालसहित, वरदाक्ष, पद्म पुस्तक एवं कमण्डल युक्त दर्शाया गया है। दोनों पार्श्वों में त्रिभंग सेविकाओं का चित्रण है।

लक्ष्मी (प्रतिमा क्रमांक 801)

इस संग्रहालय में 12वीं शती की लक्ष्मी का द्विभुज स्वरूप प्रदर्शित है। केन्द्र में अंजलिबद्ध मानव देवधारी नाग कन्याओं का प्रदर्शन है। नाग कन्याओं के दोनों ओर केश सँवारती स्त्रियाँ एवं शोकाकुल नायिकायें अंकित हैं। इसी फलक में दो सिंहों को पीठ सटाये उत्कीर्ण किया गया है। सिंहों के पूँछों को धारण किये पंख युक्त अप्सरा की मूर्ति दर्शनीय है। इसके बाद फिर एक शोकाकुल नायिका दर्शायी गई है।

गजलक्ष्मी (प्रतिमा क्रमांक 373)

12वीं शती की गजलक्ष्मी की अर्धपर्यकासीन प्रतिमा शिल्पांकित है। प्रतिमा चर्तुभुजी है जिनके हाथों में क्रमशः वरद, पुस्तक, कमण्डल एवं आयुध हैं। अभिषेकरत हस्तियों का अंकन है।

गजलक्ष्मी (प्रतिमा क्रमांक 625)

11वीं शती की यहाँ की दूसरी प्रतिमा ध्यानी गजलक्ष्मी की प्रतीत होती है। सामने की दो भुजायें ध्यान मुद्रा में दर्शायी गई है। ऊपरी भुजा खण्डित है जिसमें पद्म का अलंकरण शेष है। पद्म अवस्थित अभिषेकरत गजों का अंकन है। अन्य प्रतिमाओं में खण्डित मालाधारी विद्याधरों का अंकन है।

पार्वती (प्रतिमा क्रमांक 745)

संग्रहालय की देवी की चर्तुभुजी प्रतिमा के दूसरे हाथ में पद्‌म का अंकन है जिसमें शिव की चर्तुभुजी लघु मूर्ति उत्कीर्ण है। शेष तीन भुजायें खण्डित हैं। चरणों के समीप मकर का अंकन है। परिकर के दाहिने पार्श्व में द्विभुज चामरधारी, कट्यावलम्बित, चामरधारिणी सेविकायें एवं बायें पार्श्व में त्रिभंग स्थानक द्विभुजी बीजपरक चामरयुक्त दुर्गा वाहन सिंह सहित दो चामरधारिणी सेविकायें प्रदर्शित हैं। इसका निर्माण 11वीं शती में हुआ है।

देवी (प्रतिमा क्रमांक 733)

10वीं शती की इस प्रतिमा को कृष्ण भगवती अभिधान से दर्शित किया गया है। साथ ही इसे दुर्गा का सौम्य रूप बताया गया है। जिसे उन्होंने महिषासुर का शीर्ष काटने के बाद धारण किया था। इस प्रतिमा की भुजायें खण्डित हैं किन्तु एक भुजा शेष है जो महिष के कटे भाग से प्रकट हुये दैत्य के केशों को धारण किये हैं। सिंह महिष पर आक्रमणरत है। पार्श्व चित्रणों में खड्‌गधारी एक योद्ध उत्कीर्ण है।

महिषासुरमर्दिनी (प्रतिमा क्रमांक 736)

देवी की प्रतिमा अर्धपर्यकासीन मुद्रा में दसभुजी प्रदर्शित है। हाथों के आयुध क्रमशः कटार, त्रिशूल, तरकस से बाण निकालते, डमरू, खड्‌ग, खेटक, धनुष वरद्, खड्वांग खण्डित है। समीप ही अपस्मार देव उत्कीर्ण हैं।

चामुण्ड (प्रतिमा क्रमांक 720)

10वीं शती की चामुण्डा देवी की नृत्यरत दसभुजी प्रतिमा संग्रहालय में संरक्षित है। हाथों में क्रमशः लघु खड्‌ग, त्रिशूल, बाण, डमरू, चक्र, धनुष, खटवांग शान्त मुद्रा एवं भिक्षापात्र उत्कीर्ण है। जटामुकुटधारिणी देवी कृषकाय उदर, उभरी पसलियों एवं नसों वाली हैं, पैर खण्डित हैं। दाहिने पार्श्व में रक्त पिपासु असुर, लघु खड्ग एवं खप्पर लिये देवी से रक्त मॉगते उत्कीर्ण है।

तरला (प्रतिमा क्र. 751)

तरला देवी अर्धपर्यकासीन मुद्रा में जटामुकुट एवं अन्य आभूषणों से अलंकृत अष्टभुजी प्रदर्शित है। देवी के सभी हाथ खण्डित है। मानव विग्रह में शुक दर्शाया गया है जो गरूड़ प्रतीत होता है। परिकर में चामरधारिणी सेविका चित्रण है। अन्य पार्श्व आकृतियाँ खण्डित है। इसका निर्माण 10वीं शती में किया गया है।

इतरला (प्रतिमा क्रमांक 731)

इस 10वीं शती की देवी को सिंहवाहिनी अर्धपर्यकासीन मुद्रा में आभूषण युक्त अष्टभुजी प्रदर्शित किया गया है। सभी हाथ खण्डित हैं। देवी का मुख अश्व का है। परिकर मूर्तियों में चामरधारिणी सेविका में एवं पुरूष टोकरी लिये उपासकों का उत्कीर्णन है। यह वैदिक उषा या सूर्या अर्थात् देवी का स्वरूप प्रतीत होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्नि पुराण : आनन्द आश्रम, पूना 1900.
2. अथर्ववेदः विश्वबंधु (स.) होशियारपुर.
3. अर्थशास्त्र कौटिल्यः गणपति शास्त्री (स.) त्रिवेन्द्रम 1921–25
   (अनु.) आर. शामशास्त्री, मैसूर, 1956.
4. अपराजित पृच्छाः भुवनदेवकृत गायकवाड़, ओरिएन्टल सिरीज, बड़ौदा–1950.
5. अग्रवाल, वासुदेव शरणः भारतीय कला, वाराणसी, 1964.
6. अवस्थी, रामाश्रयः खजुराहों की देव प्रतिमा आगरा, 1967.
7. उपाध्याय वासुदेवः प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान पटना, 1977.
8. चतुर्वेदी परशुरामः वैष्णव धर्म, इलाहाबाद, 1953.
9. जोशी, नीलकंठ पुरूषोत्तमः प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पटना, 1977.
10. मिश्र इन्दूमतीः प्रतिमा विज्ञान, भोपाल 1972.

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

''कौटिलीय अर्थशास्त्र में वर्णित सप्त प्रकृतियाँ एवं आधुनिक राज्य के तत्वों से तुलना''

डॉ. संन्ध्या कुमारी

एक निष्णात अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ के रूप में आचार्य कौटिल्य का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में सर्वत्र विश्रुत है।

आचार्य कामन्दक ने अपने ग्रन्थ नीतिसार की भूमिका में अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त को नमन करते हुये लिखा है—

नीतिशास्त्रामृगं धीमानर्थशास्त्रमहोदधेः।
समुद्द्ध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे।।[1]

कामन्दक के इस उद्धरण से आचार्य कौटिल्य एवं उनके महान ग्रन्थ अर्थशास्त्र की प्रमाणिकता प्रकट होती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 150 अध्याय एवं 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र एक विश्वकोशात्मक रचना है। उसमें धर्म, अर्थ, नीति, शासन, व्यवहार और न्याय आदि विषयों पर गम्भीर एवं प्रौढ़ विवेचन हुआ है।

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने राज्य का स्वरूप सप्तांग मानते हुये सात अंगों के संयोग से राज्य के निर्माण की कल्पना की है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र इन सात प्रकृतियों का संयुक्त समूह ही राज्य है।[2] अर्वाचीन विचारकों के अनुसार जनसंख्या, भूमि, सरकार और सम्प्रभुता राज्य के आवश्यक तत्व हैं, इनमें से एक की भी अनुपस्थिति उसे राज्य नहीं रहने देती। आचार्य कौटिल्य द्वारा मान्य सप्त प्रकृतियों का विवेचन इस प्रकार है :—

स्वामी—प्राचीन भारतीय राज्य विषयक सभी ग्रन्थों में स्वामी[3] का तात्पर्य राजा से समझा गया। राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत राजा प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता था। उसी के व्यक्तित्व तथा कार्यक्षमता पर राज्य का भविष्य निर्भर करता था। अतः उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आचार्य कौटिल्य ने स्वामी के गुणों को चार भागों में विभाजित किया है—(क) आभिगामिक गुण[4] अर्थात वे गुण जिनके कारण लोग राजा के पास जाते हैं अर्थात् जिनसे राजा का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, (ख) बुद्धि के गुण[5], (ग) उत्साह गुण[6], (घ) आत्मसम्पद्[7]। इन गुणों के अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा के लिए इन्द्रियों को वश में रखना आवश्यक बताया है।

अमात्य—प्राचीन भारत में अमात्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसका महत्व तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी संस्कृत ग्रन्थों में वर्णित सप्त प्रकृतियों में उसे दूसरे स्थान पर रखा गया है।[8]

---

* वरिष्ठ प्रवक्ता (संस्कृत विभाग), पी. सी. बागला पी. जी. कॉलेज, हाथरस, मो. 9411980179

राजा को शासकीय कार्यों में सहायता देने के साथ-साथ राजा की निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी अमात्यों को अनिवार्य माना गया। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को 'सहायसाध्य' (सहायकों से ही साध्य) बताते हुये सचिवों को नियुक्त करने और उनकी सलाह को सुनने का निर्देश राजा को दिया है।

सहायसाध्य राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते।
कुर्वीत सचिवास्तस्मान्तेषां च श्रृणुयान्मतम्।[9]

शासनतन्त्र के कुशल संचालन तथा राजकीय नीति के कार्यान्वीकरण और मित्र तथा शत्रु शक्ति के सामर्थ्य के बारे में विश्वस्त सूचनायें भी कुशल सहायक तथा मंत्रणादाता मंत्रियों की सहायता से ही उपलब्ध हो सकती थीं।

जनपद—आचार्य कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों में जनपद को तीसरा स्थान प्रदान किया। उन्होंने जनता और भूमि दोनों के लिए जनपद का शब्द प्रयोग किया है। कौटिल्य के अनुसार दूसरे देशों से मनुष्यों को बुलाकर या अपने देश की जनसंख्या बढ़ाकर प्राचीन या नवीन जनपदों को स्थापित करना चाहिए। भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्।।[10] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपद के लिए जनता का होना अनिवार्य था। इसी सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि नदी, पर्वत, जंगल, खाई, तालाब, सेमल, शमी और बरगद वृक्षों को लगवाकर गांवों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। नदीशैलवनगृष्टिदरीसेतुबन्धशाल्मलीशमीक्षीर वृक्षानन्तेषु सीम्नां स्थापयेत्।।[11] इस वर्णन से यह विदित होता है कि जनपद में जनसंख्या के साथ-साथ भूमि का होना भी आवश्यक था।

दुर्ग—आचार्य कौटिल्य ने सप्त प्रकृतियों में महत्व की दृष्टि से दुर्ग को चौथा स्थान दिया है।[12] दुर्ग से उनका तात्पर्य था—सुरिक्षत स्थान और व्यवस्थित नगर, जिसमें संकटकाल में राज्य की रक्षा करने में सहायता प्राप्त होती हो। अर्थशास्त्र में दुर्ग-विधान[13] और दुर्गेनिवेशः[14] नामक दो अध्यायों में दुर्ग की विस्तृत चर्चा की गयी है। प्रथम में सुरक्षित स्थानों (किला) और द्वितीय में नगरों की विस्तृत योजना का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने दुर्ग के औदक (जल से घिरा हुआ दुर्ग), पार्वत (पार्वत दुर्ग), धान्वन (मरू दुर्ग) और वन दुर्ग का उल्लेख किया है और बताया है कि दुर्गों के ये विभिन्न प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं।

कोष—आचार्य कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों में कोष को पाँचवां स्थान प्रदान किया है।[15] उनके अनुसार उत्तम कोष उसे कहते हैं जिसमें धर्मपूर्वक पूर्ववर्तियों या अपने द्वारा प्राप्त धन संचित हो, जो सुवर्ण, चांदी, नाना प्रकार के बहुमुल्य रत्न एवं सिक्कों से युक्त हों और जो चिरकाल तक रहने वाली दुर्भिक्ष आदि आपत्ति तथा आय के अभाव को सहने में समर्थ हो। धर्माधिगतः पूर्वः स्वयं वा हेमरूप्यप्रायश्चित्रस्थूलरत्नहिरण्योदीर्घामप्यापदम नायतिं सहेतेति कोशसम्पत्।।[16] कोष का महत्व बताते हुये उन्होंने लिखा है कि चूँकि सभी कार्य कोष पर ही निर्भर हैं अतएव राजा को सर्वप्रथम कोष पर ही ध्यान देना चाहिए।[17] यही नहीं कोष की समृद्धि से शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है और कोष तथा दण्ड से ही इस पृथ्वी को प्राप्त किया जा सकता है।

आकारप्रभवः कोषः कोषाद्दण्डः प्रजायते।
पृथिवी कोषदण्डाभ्याम् प्राप्यते कोषभूषणा।।[18]

दण्ड—अर्थशास्त्र में राज्य की छठवीं प्रकृति के रूप में दण्ड का वर्णन किया गया है।[19] दण्ड से कौटिल्य का तात्पर्य सेना का था।[20] उनके अनुसार राज्य के लिए सेना परम आवश्यक है क्योंकि उसी से आन्तरिक और बाह्य कोषों का दमन किया जाता है।[21] यही नहीं, जिसके पास अच्छी सेना होती है उसके मित्र तो मित्र ही हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दण्डवतो मित्रं मित्रभावे तिष्ठत्यमित्रो वा मित्रभावे।[22] आचार्य कौटिल्य ने सर्वोत्तम सेना के लक्षणों की चर्चा करते हुये लिखा है कि सेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वंशानुगत, स्थायी एवं वश में रहने वाले सैनिक भर्ती हों जिनके स्त्री-पुत्र राजवृत्ति से सन्तुष्ट हों, जो युद्धोपयोगी सामग्री से युक्त, अजेय दुःख को सहने में समर्थ, युद्धकौशल से परिचित, हर प्रकार के युद्ध में निपुण, राजा के लाभ-हानि में सहभागी और क्षत्रियों से युक्त हों।

पितृपैतामहो नित्यो वश्यस्तु भृतपुत्रदारः प्रवासेष्वपि सम्पादितः सर्वत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सर्वयुद्ध प्रहरणविद्याविशारदः सहवृद्धिश्रयिकत्वाददद्वैध्यः क्षत्रप्राय इति दण्डसम्पत्।।[23]

अर्थशास्त्र में सेना के चार अंगों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है—गज, अश्व, रथ और पैदल।[24]

मित्र—आचार्य कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों में मित्र को साँतवां स्थान प्रदान किया है।[25] उन्होंने मित्र के गुणों की चर्चा करते हुये कहा है कि ऐसे मित्र होने चाहिए जो वंशपरंपरागत, नित्यवश में रहने वाले, विरोध न करने वाले तथा छोटे-बड़े सभी कार्यों के सम्पादन में सहायक[26] हों। प्राचीन भारत में राज्य के तत्वों में अन्तिम स्थान प्राप्त करने पर भी मित्र का एक महत्वपूर्ण स्थान था। मित्र ही बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करते हुये राजनीतिक सन्तुलन बनाये रखता है, जिसके फलस्वरूप राज्य का जीवन तथा अस्तित्व सुरक्षित रहता है। यद्यपि आधुनिक युग में राज्य के आवश्यक तत्वों में मित्र का कोई भी स्थान नहीं है तथापि बिना मित्र राज्य की सहायता के किसी भी राज्य का कार्य चलना प्रायः दुष्कर है।

सप्त प्रकृतियों और आधुनिक राज्य के तत्वों की तुलना

राज्य की आधुनिक युगीन परिभाषा के अनुसार उसके चार आवश्यक तत्व हैं—जनसंख्या, भूमि, सरकार और सम्प्रभता।[27] आचार्य कौटिल्य के अनुसार राज्य की सात प्रकृतियां (तत्व) हैं, जो इस प्रकार हैं—स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र[28]। इन दोनों परिस्थितियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इनमें कुछ समानता ओर असमानता दोनों है।

प्रो. अल्तेकर के अनुार सप्त-प्रकृतियों में जनता की गणना नहीं की गयी है।[29] किन्तु सप्तांग के जनपद के 'जन' से आधुनिक जनसंख्या रूपी तत्व का बोध हो जाता है जैसा कि कौटिल्य ने स्पष्टतया लिखा है कि जनता को बुलाकर नये जनपद बसाना चाहिए।[30] यही नहीं उनके अनुसार बिना मनुष्य के जनपद का निर्माण नहीं हो सकता है और बिना जनपद के राज्य का नहीं।[31] अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य की भाषा में जनता का जनपद के 'जन' के रूप में उल्लेख हुआ है।

आधुनिक राज्य के भूमि नामक तत्व की समानता सप्तांग के जनपद, दुर्ग और कोष से की जा सकती है। यद्यपि भूमि के लिए जनपद ही पर्याप्त[32] है, पुनश्च प्राचीन भारतीय राज्यों की रक्षा एवं समृद्धि क्रमशः दुर्ग और कोष पर निर्भर रहती थी। अतएव भूमि नामक तत्व में उन्हें लाया जा सकता है।

आधुनिक राज्य के सरकार नामक तत्व का पूरा-पूरा बोध कौटिल्य के स्वामी और अमात्य नामक प्रकृतियों से हो जाता है। अमात्य कर्मचारी होते थे, जिनका शासन में महत्वपूर्ण भाग होता था। राजा तो शासन का सर्वोच्च अधिकार ही था। इस प्रकार सरकार के अर्थ में स्वामी और अमात्य का रखना अधिक समीचीन है।

सम्प्रुभता नामक आधुनिक राज्य के तत्व की समता कौटिल्य के स्वामी और दण्ड से की जाती है, क्योंकि दण्ड के आधार पर ही राज्य को शक्तिमान कहा जाता था। आन्तरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से दण्ड के माध्यम से राज्य की रक्षा सम्भव थी।[33] कौटिल्य के अनुसार राजा जन कल्याण के निमित्त था। जिसके कार्यों का माध्यम धर्म था। अतः धर्म के आधार पर शासन करना राजा को ही सम्प्रुभता से हीन नहीं बनाता। अतः स्पष्ट है कि राजा में सम्प्रुभता थी जिसे वह दण्ड के माध्यम से चरितार्थ करता था।

आधुनिक राज्यों में कौटिल्य के सप्तांग के 'मित्र' के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य के तत्वों में प्राचीन मित्र की गणना विलक्षण प्रतीत होती है परन्तु आज के इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य का अस्तित्व उपयुक्त मित्र राष्ट्र की सहायता पर ही निर्भर है। 'मित्र' के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, भले ही आधुनिक राज्य के तत्वों में उससे स्थान प्राप्त नहीं है। आधुनिक राजनीतिक जीवन में कोई भी राजय बिना मित्र राज्य के अपना अस्तित्व रखने में प्रायः समर्थ नहीं होता है। अतः व्यावहारिक रूप से मित्र का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक राज्य के तत्वों में कौटिल्य के सप्तांग राज्य के दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र के लिए कोई स्थान नहीं है, जिनके अभाव में राज्य के आधुनिक तत्वों का सिद्धान्त अत्यधिक काल्पनिक प्रतीत होता है। इस प्रकार वह स्थिर है, न कि गतिशील। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्यकृत सप्तांग राज्य का वर्णन आधुनिक राज्य के तत्वों की अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक है।

सन्दर्भ—

1. कामन्दकीय नीतिसार 1/6
2. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6,1/1 स्वाम्यमात्यजनपद दुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः।
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6,1/1 मनुस्मृति 9/294, शुक्रनीति 1/61, कामन्दकीय नीतिसार 1/16
4. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/4
5. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/4
6. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/5
7. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/6
8. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1मनुस्मृति 9/294, महाभारत शान्पिर्व 69/64, शुक्रनीति 1/61, कामन्दकीय नीतिसार 1/16
9. कौटिलीय अर्थशास्त्र 1/7/15
10. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/1/1
11. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/1/3

12. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/1
13. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/3
14. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/4
15. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/1
16. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/10
17. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/8/1-2
18. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/12/49
19. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/1
20. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/11
21. कौटिलीय अर्थशास्त्र 8/2/5
22. कौटिलीय अर्थशास्त्र 8/1/61
23. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/11
24. कौटिलीय अर्थशास्त्र 9/2/52
25. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/1
26. पितृपैतामहं नित्यं वश्यमद्वेध्यं महल्लघुसमुत्थमिति मित्रसम्पत्। कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/12
27. गार्नर-पोलिटिकल साइन्स एण्ड गवर्नमेन्ट, पृ-49
28. कौटिलीय अर्थशास्त्र 6/1/1
29. अल्तेकर-प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ.-37
30. कौटिलीय अर्थशास्त्र 2/1/1
31. कौटिलीय अर्थशास्त्र 13/4/5
32. शर्मा आस्पेक्ट्स आफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इनस्टीट्यूसन्स इन ऐन्सिएन्ट इण्डिया, पृ.-21
33. राज्ञ आभ्यन्तरो बाह्यो वा कोप इति। तस्मात्कोश दण्ड शक्तिमात्मसंस्थां कुर्बीत्। कौटिलीय अर्थशास्त्र 8/2/2,5

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

प्राचीन भारत में संगीत कला का विकास

डॉ. सुधा सोनी

मानव समाज के विकास की व्यष्टिमय तथा समष्टिमय उपलब्धियां ही संस्कृति है। संस्कृति मानव चेतना का एक ऐसा विकास क्रम है, जो उसके अंतरंग एवं बहिरंग को परिष्कृत करके विशेष जीवन पद्धति का सृजन करती है। संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य जाति में उत्तम मानसिक एवं सामाजिक गुण प्रादुर्भूत होते हैं। जिससे मानवता का संस्कार हो ऐसी शिक्षा-दीक्षा, ऐसा रहन-सहन और ऐसी परम्परायें ही संस्कृति के उद्‌भावक हैं। संस्कृतिक एक विरासत है और वह संचय से विकसित होती है।

किसी भी देश या काल की सांस्कृतिक झलक हमें सामाजिक परिवेश, मान्यताओं, साहित्य एवं कला सर्वागों से प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों में नारी के सांस्कृतिक स्वरूप और विकास क्रम के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नारी के सांस्कृतिक जीवन का मूलाधार भी धर्म ही था। समस्त मानव जीवन में धार्मिक व्यवस्था स्थाापित करना धर्म का लक्ष्य था तथा व्यक्ति एवं समाज को अनुशासित करके उन्नति क ओर ले जाना भी उसका एक उद्देश्य है। अतएव भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने मनुष्य के सूक्ष्म विचार से लेकर स्थूल कर्म तक को एक ऐसे स्वर्णिम सूत्र में बांधा है, जिसमें जीवन के सार्वभौम विकास देने वाले सभी मूल्य पिरोये जा सकें।

धर्मशास्त्रों के अनुशीलन से तत्कालीन समाज में नारी की धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक जीवन की जो झलक मिलती है उसके द्वारा नारी के सांस्कृतिक स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। धर्मशास्त्रों में सांस्कृतिक जीवन के चार आधार स्तम्भ माने जाते हैं—आचार, धर्म, नैतिकता और व्यवहार। आचार संहिता में सदाचार, अनुशासन, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दान और उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। धर्म को आत्मिक शुद्धि का आधार माना गया है। नैतिकता को जीवन के विकास की शिक्षा माना गया है, और व्यवहार लोक जीवन जीने के लिए अपनाये योग्य गुणों का समावेश बताता है। नारी के मूलभूत सांस्कृतिक मानदण्डों का व्यवस्थापन धर्मशास्त्रों में किया गया है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पर समान रूप से बल दिया गया है। इसके द्वारा शैशव से ही जीवन को पवित्र बनाने की व्यवस्था है।

व्यक्ति या राष्ट्र के सौन्दर्य बोध की अभिव्यक्ति ही कला है, परन्तु कला का एकमात्र संबंध सौन्दर्य बोध से ही नहीं होता है। कला से सदैव ही सौन्दर्य बोध की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह समग्र रूप से जीवन के यथार्थ, मानवीय चिन्तन, व्यक्ति के सौन्दर्य बोध और राष्ट्र के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति होती है। कला, व्यक्ति और देश की पहचान को मूर्त रूप प्रदान करती है।

अभिराम अंकन चाहे वह बाग्विलास के क्षेत्र में हो, चाहे राग-रेखाओं में, चाहे वास्तु-शिल्प में, वह कला ही है।[1] कला दो प्रकार की होती है—(1) स्थित और (2) गतिशील। स्थित कला के

* प्राध्यापक (इतिहास), शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अन्तर्गत वास्तुकला, मूर्त्तिकला और चित्रकला को रखा जाता है। गतिशील कला के अन्तर्गत काव्य, संगीत एवं नृत्य कला है।[2]

गतिशील कला के अन्तर्गत संगीत एवं काव्य कला को प्रमुख माना गया है। प्राचीनकाल से संगीत के दोनों रूपों शास्त्रीय एवं लोक स्वरूप होते हैं।

1. संगीत— संगीत का ललित कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में संगीत कला की परम्परा वैदिक युग से ही चली आ रही है। सामान्यतया संगीत कला के तीन पक्ष—गायन, वादन और नृत्य— माने गये है। नाट्यकला भी संगीत कला का अभिन्न अंग है।[3]

प्राचीन काल से ही संगीत का संबंध धर्म एवं आध्यात्मिकता के साथ रहा है। यह न केवल मनोरंजन के साधन थे वरन् मानव के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के साधन भी थे। वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त महिलाओं को संस्कृति के अन्य प्रधान उपांगों की भी शिक्षा दी जाती थी। इनमें संगीत एवं नृत्य विशेष महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में गाती हुई स्त्रियों का वर्णन मिलता है।[4] संगीत का नृत्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। अतः निश्चित रूप से दोनों कलाओं की शिक्षा साथ-साथ दी जाती रही होगी। ऋग्वेद से कई स्थानों पर नृत्य कुशल स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है।[5] शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि स्त्रियां संगीतविद् व्यक्ति में सुगमतापूर्वक अनुरक्त हो सकती हैं।[6] एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि समागान स्त्रियों का विशेष कार्य है।[7] इसी प्रकार तैत्तरीय संधि संगीत नृत्याभिरुचि का उल्लेख है।[8] स्त्रियां संगीत में न केवल रुचि ही रखती थी वरन् पुरुषों के साथ प्रतियोगिता में भाग भी लेती थीं।[9]

वैदिक काल में संगीत धार्मिक क्षेत्र तक सीमित रहा। धीरे-धीरे वह इस परिधि से बाहर निकला। गति के साथ-साथ वाद्य का प्रयोग प्रचुरता से होने लगा। नृत्य का विकास हुआ और अंत में नाट्य भी उसमें आ मिला। इस प्रकार वेदों के समान संगीत भी चातुरवयव हो गया।

पतंजलि के अष्टध्यायी में संगीत के चारों अंगों का उल्लेख है। गाई जाने वाली वस्तु को गेय[10], गाने को गीति, गाये जाने वाले को गायक और गायन[11] कहा जाता था। स्त्री गायिकायें, गायिका और गायनी कहलाती थी।[12]

2. नृत्य— नृत्य को संगीत का ही एक अंग माना गया है। 'संगीत' शब्द 'गीत' में 'सम' उपसर्ग लगाकर बना है। जिसका अर्थ है, 'गीत सहित'। अर्थात् नृत्य और वादन के साथ किया गया गीत संगीत कहलाता है। सस्वर शब्दों को ही नाद या संगीत कहते हैं। इस प्रकार यदि संगीत को व्यापक अर्थों में लिया जाये तो नृत्य भी संगीत का ही एक अंग है।

वेदों में ऊषा की तुलना एक नर्तकी से की गयी है। जो नृत्य के मध्य वेश-भूषायें बदलकर अनेक रूप धारण करती है। वेदों में नर्तकों का भी एक स्वतंत्र वर्ग था, जिन्हें बलि प्राणियों की तालिका में समाविष्ट किया गया था। इनके लिए शैलूष संज्ञा भी प्राप्त होती है। संगीत समाज में व्यावसायिक रूप भी प्राप्त कर चुका था। वंशवर्तिन का उल्लेख व्यवसाय के रूप में आया है। अर्थात् बांस पर नृत्य करने वाले नरों का उल्लेख।[13] उत्सवों एवं विभिन्न अवसरों पर सामूहिक नृत्य के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं।[14] सूत्र साहित्य में नृत्य के साथ स्त्रियों के गायन का उल्लेख मिलता है।[15] स्त्रियां जल से भरे घड़ों

को सिर पर रखकर यज्ञस्थल के मार्जलीयक चारों ओर घूमकर नृत्य करती थी।[16] उसे उदंकुभ शीर्ष नृत्य कहा गया है। नृत्य स्त्री-पुरुष दोनों ही करते थे।[17] यज्ञ की समाप्ति पर या कुमारियां नृत्य के साथ गाथा गायन करती थीं।[18]

पुराणों में नृत्य कला का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण पुराण एवं नारद पुराण में इन्हीं विषयों को बाद में जोड़ दिया गया है। महाभारत में कृष्ण के महारास का उल्लेख तो सर्वविदित है। सामान्यतः नृत्य अप्सराओं एवं वेश्याओं के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था।

पतंजलि ने नृत्य के साथ कला का प्रयोग नारी के संबंध में किया है। पतंजलि ने मयूर के नृत्य का उल्लेख किया है और कहा है कि वह प्रिया को लक्ष्य कर नाचता है।[19] भाष्य में पुरुषों के भी भाग लेने का उल्लेख मिलता है।[20] नाचने वाले को नर्तक और नर्तकी कहते थे। नर्तकों की कई श्रेणियाँ होती थी, इसलिए नर्तकिका, नर्तकितरा और नर्तकितमा शब्दों का प्रयोग मिलता है।[21]

नृत्य साहित्य में नृत्यकला को संगीत की भगिनी कहा गया है।[22] नृत्य का सम्बन्ध धर्म से जोड़कर उसे ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन बना दिया गया है। मांगलिक अवसरों पर कन्या की सखियाँ एवं कुशल संगीतज्ञ नृत्य गायन, वादन प्रस्तुत करते थे।[23]

समकालीन साहित्य से विदित होता है कि गीत, नृत्य में निपुण नारियों का एक वर्ग था। वे नारियां अप्सरा कही जाती थीं। नाट्यशास्त्र में भी नाट्य की सफलता के लिए ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं के भेजे जाने का उल्लेख है। कैशिकी वृत्ति का प्रयोग उन्हीं पर निर्भर था। भाष्य के अनुसार उर्वशी इस कलाकार वर्ग में सर्वाधिक सुन्दरी थी।[24] धीरे-धीरे अप्सराओं की स्वतंत्र श्रेणी बन गयी थी। जब नगरों का विकास हुआ और गणों का संगठन हुआ तब नर्तकरी सारे गुण की सम्पत्ति समझी जाने लगी। गण की सम्पत्ति होने के कारण नर्तकी गणिका कही जाने लगी। ईसा सन् के प्रारम्भ में गणिका सुसंस्कृत नारी का प्रतीक समझी जाती थी। यद्यपि मनु ने गणिका और दोनों के घर का भोजन ब्राम्हण के लिए त्याज्य बताया है।[25] पतंजलि के समय में गणिका संस्था प्रभावशालिनी थीं और उनकी संख्या इतनी थी कि उनका संघ बन सके। गणिकाओं के संघ के लिए स्वतंत्र शब्द 'गणिक्य' प्रचलित हो गया था।[26] इन गणिकाओं की यह उन्नति पाणिनी के बाद और पतंजलि युग के कुछ पूर्व हुई जान पड़ती है।[27]

पतंजलि के महाभाष्य में संगीत संगोष्ठी के आयोजनों का उल्लेख भी मिलता है। ये संगीत संगोष्ठियाँ प्रमद या समद कही जाती थीं। ये गोष्ठियाँ सार्वजनिक स्थानों पर होती थी। जहाँ सारी रात नृत्य एवं गीत होते थे।[28] स्मृतियों में नृत्य संबंधी उल्लेख यदा कदा ही प्राप्त होते हैं।

3. वाद्य— गायन हो या नृत्य! दोनों की सुन्दरता वाद्य द्वारा ही सम्पन्न होती है, प्राचीनकाल से ही संगीत कला में वाद्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऋग्वेद में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र क्रमशः तत, अवनद्ध, सुषिर और घन वाद्य का उल्लेख मिलता है।[29] वीणा लोकप्रिय वाद्य था जो आज भी प्रचलित है। वीणा आदि तन्तु वाद्य तत् श्रेणी के थे। तैतिरीय ब्राह्मण में अश्वमेघ में एक ब्राह्मण द्वारा दिन में वीणा बजाने तथा एक क्षत्रिय द्वारा रात्रि में वीणा बजाने का उल्लेख मिलता है।[30]

ऋग्वेद में सोमपान करने के पश्चात् मद से मरूत लोग एक बाणनामक वाद्य बजाते थे। तैतिरीय संहिता में शत तार वाद्य का उल्लेख है। सामवेद में अलाबू, वीणा, वक्रा वीणा, कपिशीर्षी, महावीणा

और शीलवीणा पाँच प्रकार की वीणाओं के उल्लेख मिलते हैं।[31] लाटयायन श्रोत सूत्र से पिच्छौरा और काण्डवीणा का उल्लेख है।[32] धन वाद्यों में झंझ, करताल आदि का प्रचार था। बौधायन ने अग्ष्टिोम में उखल या उखला बजाने का विधान किया है।[33] सुषिर वाद्यों में संख, पावा, सनई आदि का उल्लेख है। ऋग्वेद में यम के घर में नाली नामक वेणु वाद्य बजने का उल्लेख है। तूणच एक अलगुजा सदृश वाद्य था।[34] तैतिरीय ब्राह्मण में शंख की भी चर्चा है। नद्य वाद्य वैदिक काल में प्रचलित थे। बाजपेय यज्ञा में दुन्दुभि (नगाड़ा) वाद्य का नाम भी मिलता है।[35] तैतिरीय अरण्यक में मृदंग का उल्लेख मिलता है।[36] तैतिरीय अरण्यक में मृदंग का उल्लेख मिलता है।[37]

पाणिनी ने अष्टध्यायी में माडडुलिंक, झार्झरिक वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है। पतंजलि के महाभाष्य में मृदंग से मिलते-जुलते वाद्यों में 'गुडडक' 'दुर्दुर' मुरज और तूणव का उल्लेख मिलता है। हर्षोन्नाद या आवेश उत्पन्न करने वाले वाद्यों में वेणु वंश बांस से बनने वाले वाद्य का उल्लेख किया है।[38] तंतु वाद्यों में वीणा प्रमुख थी, पंतजलि में वीणावादक के लिए परिवादक शब्द का प्रयोग किया है।[39] नृत्य के समय वीणा बजवाई जाती थी।[40] पुराणों में वीणा, पर्णव, मृदंग और देवदुन्द इत्यादि वाद्यों का उल्लेख मिलता है।[41]

वीणा परम्परा से चला आ रहा वाद्य यंत्र जो विभिन्न कालों में स्त्रियों के संगीत अभिरुचि का दिग्दर्शन कराता है।[42] जिसे सामगायक बजाता था। महाव्रत तथा अन्य प्रमुख यज्ञों में न केवल वीणागाथी एवं वीणागणनिन ही वरन् यजमानों की पत्नियाँ भी वीणा वादन करती थी।[43]

सूत्र साहित्य में भी वीणा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। वीणा का वादन यज्ञ के अवसर पर होता था। इसे महती वीणा और महावीणा भी कहते थे। वाण नामक वीणा का वादन भी साम गायन सामेत्तर गायन और गाथाओं के साथ होता था। गृह सूत्रों में तूणव गौमुख एवं पिच्छौला जैसे फूंककर बजाये जाने वाले वाद्य का उल्लेख मिलता है।[44]

महाकाव्यों के काल में वाद्य यंत्रों का खूब विकास हुआ। रावण तथा उसकी पत्नी संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश को वीणा वादन की शिक्षा दी गयी थी।[45]

4. गायन— गायन के लिए साहित्य में 'गीत' संज्ञा मिलती है।[46] अर्थात् नृत्य और वादन के साथ किया गया गीत संगीत कहलाता है। सस्वर शब्दों को ही नाद या संगीत कहते हैं। नाद या संगीत को प्राचीन भारत में इतना अधिक महत्व प्राप्त था कि नाद को ब्रह्म कहा गया है। गीत का जन्म मनुष्य की भावभिव्यक्ति के कारण हुआ है।[47] भारतीय संगीत की परम्परा के अन्तर्गत राग-रागनियों का जन्मदाता शंकर भगवान को ही समझा जाता है।[48] कहा जाता है कि आर्यों को संगीत में इतनी रुचि थी कि उन्होंने सामवेद की रचना कर डाली। ऋग्वैदिक काल में यज्ञादि अवसरों पर छन्दोबद्ध गीतों से गायन होता था।[49] साम गायन में दैवी शक्ति का निवास माना जाता रहा है।[50] सामगायक वीणा बजाकर गाता था।[51] महाब्रता अन्य प्रमुख यज्ञों में न केवल वीणा गाथी एवं वीणा गणानिन ही वरन् यज्ञमानों की पत्नियाँ भी वीणावादन के साथ गायन करती थीं।[52]

सूत्र साहित्य में उल्लिखित है विवाह के समय में वधू के प्रवेश करते समय वाम देव्य नामक साम गायन होता था।[53] महाया में श्थन्तर नाम साम का गायन प्रारम्भ से ही होता था।[54] सूत्रकाल में साम

गायन प्रमुख था, क्योंकि कर्मकाण्डों की बहुलता के कारण ऋचाओं का गायन होता था।[55] नामकरण विधि के समय भी गायन होता था।[56] गाथा गायन का भी उल्लेख मिलता था।[57] सामगायन के अतिरिक्त मांगलिक अवसरों पर भी गायन होता था।[58]

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. भगवत शरण उपाध्याय पृ. 5
2. बाशम, अद्‌भुत भारत, पृ. 88
3. गौ. गृ. सू.-4.4.28-30
4. ऋग.-समुत्वा धीमिरस्वरन्हिन्वती सप्तजायमः विप्रमाणा विवस्वतः 9.66.8 हिन्दी भाष्य स्वामी दयानन्द संस्थान दिल्ली 1973 सम्वत् 2032
5. श्रग.-ऋचां त्वं पौषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वो गायति शम्बरीष 10.71.11 हिन्दी भाष्य स्वामी दयानन्द संस्था 1973 सम्वत 2032
6. शत. ब्राह.- तस्माथ एवं नृत्यति यो गायति तस्मित्रेवैता निक्लिष्टतमा इव. 3.2.3.6
7. वही, पत्नीकमैव वे तेऽत्र कुर्वन्ति यदुद्‌गातारः। 14.3.1.15
8. तैति. सं. 6.1.6.5.1 आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली पूना 1926
9. मैत्रा सं. - 3.7.3
10. अष्टा. पतंजलि - 5.1.20. पृ. 311, पतंजलि कालीन भारत, प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पृ. 493 से उद्धृत।
11. वही, 3.4.68 अष्टाध्यायी (आठ भागों में) श्रीशचन्द्र वशु, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद
12. वही 3.4.95
13. वही, 3.1.146-147
14. अथर्व. 3.8.6 पृ. 26, वेदों में नारी से उद्‌धृत। डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्व भारती अनुसंधान परिषद ज्ञानपुर वाराणसी 1988
15. आप. श्रो. सू. - 21.18 चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस 1948
16. का. गृ. सू. 22.1
17. हि. श्री. सू. - 16.6.39, 40, 41
18. पतंजलि, महाभाष्य, मातृवदस्याः कलाः सन्ति न सन्तीति। 7.1.74 पृ. 70 पतंजलि कालीन भारत, डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री प्रकाश. राष्ट्रभाषा परिषद पटना
19. वही, पथा प्रियां प्रत्रिनर्ततीति। 7.3.87 पृ. 212
20. वही. यद्धत्वं न रवर ननृतीषि ह्रष्टः 2.3.67 पृ. 453
21. इण्डिया इन टू नोन, पाणिनी पृ. 167
22. का. गृह. सू. 17.2.3 कलेक्शन आफ ओरियंट वर्मा, एसियाटिक बंगाल चन्द्रकान्त काव्यालंकार भाष्य सहित कलकत्ता डब्ल्यू जोंस 1907
23. पतंजलि, महाभाष्य - 6.3.42 पृ. 329, 1.3.89 पृ. 330
24. वही, उर्वसी वै रूपिण्यप्यप्सरसाम् 5.2.95 पृ. 411
25. कासूत्र अधि. 3, सू. 20-21 अच्युत गंथमाला, विद्याधर शर्मा, काशी 1937

26. नाट्यशास्त्र 24.109-113
27. पतंजलि कालीन भारत, प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पृ. 497
28. वही पृ. 498
29. ऋग. 9.97.8
30. तैति. संहिता 3.9.94
31. ऋग.-1.85.10
32. तै.सं. 7.5.9
33. लाटया. श्रो. सू. 4.2.8
34. तै. सं. सायण का भाष्य, आनन्दाश्रम प्रेम पृ. 47.17
35. ऋग.-10.135.7
36. तै. ब्राह. 3.4.14
37. तै. अरण्यक 1.11.6
38. अ. वे. संहिता सुबोध भाष्य श्री पाद दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल पारडी
39. पाणिनी, अष्टाध्यायी, भाग 1, अंग्रेजी अनुवाद श्री श्रीशचन्द्र।
40. पतंजलि महाभाष्य -4.4.56
41. कामसूत्र, वात्स्यायन 6.1,215 पृ. 239
42. वही, 1.1.75 पृ. 366
43. ए. ब्रा. 5.1.3
44. लाटया श्रौ. सू. त्रिविष्वति शाण्डिल्यश्रुरित्रन्शमध्ययेय ततस्ति 4.13.4
45. लटया श्रौ. सू. 4.13.4
46. आ. श्रौ. सू. 11.17.16 नाणीस्तूणवनिति
47. का. गृ. सूत्र - गोमुख प्रकीयऽन्तु कन्याः 17.23
48. रामा-2.69.4, 6.24.42-43
49. जै. उ. ब्रा. - 1.16.9.10 छा. उ. 8.4.2.8
50. भारत की सांस्कृ. विरासत, डा. पुखराज जैन, पृ. 137
51. ऋग. -19 43.2
52. अथर्व.-10.43.18, 15.68, 11.9.10.2, 10.1
53. ऐ. ब्रा. 5.1.3 पा. वि. ब्रा. 5.8.6
54. गैधा. श्रो. सू. - रथानन्त सामान कर्म माहेन्द्राद गृहात्माहेन्द्राग्रह 16.20
55. आ. श्रो. सू. सामवत्नय उपगायन्ति 21. 17. भद्र शाखा औ. सू. 17.1
56. गो. गृ. सू. वामदेत्यंग गोत्रत्वाऽऽरौहेत् प्राप्तेषु वामदेव्यम् 2.4.4 अदयार लायब्रेरी सिरीज, मद्रास 1948
57. हि. श्रो. सू. 16.5.18
58. प्रशस्ति कात्यां श्रौ.सू. - 33, वसि. ध. सू. 3.19, 28.12-13-14-15
59. काठ. गृ सू. 17.2.3

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

वर्द्धमान महावीर के सिद्धान्त

डॉ. आर.पी. दुबे*
डॉ. संगीता सिंह**

सारांश

जैन धर्म के आदि तीर्थंकर स्वामी ऋषभ देव थे, उनके पश्चात् 23वें तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। बीच के 21 तीर्थंकरों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, मात्र जैन ग्रन्थों में उनकी सूचियाँ उपलब्ध होती हैं। जिससे उनके विशेष कार्यों की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। विस्तृत रूप से स्वामी महावीर ने ही जैन धर्म के सिद्धान्तों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया।

वर्धमान महावीर ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वे ही जैन धर्म के मूल सिद्धान्ता भी हैं। उनके उपदेशों में जैन धर्म के सिद्धान्त निहित हैं। महावीर के सिद्धान्त या जैन धर्म के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

(1) जैन धर्म निवृत्ति का मार्ग :– संसार में मनुष्य अनेक दुःखों से पीड़ित है। मानव जीवन में सुख–शांति नहीं है। समस्त जीवन वासना, तृष्णा और कामनाओं से भरा पड़ा है और ये भी सन्तुष्ट नहीं होती हैं। इसलिए मानव जीवन में निरन्तर दुःख का प्रवाह है। संसार की मूल समस्या दुःख और दुःख का निरोध है। इसलिए संसार को त्यागकर, भिक्षु बनकर, इन्द्रिय निग्रह कर तपस्या द्वारा केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की जाय। इस प्रकार जैन धर्म मूलतः निवृत्ति मार्ग है, भिक्षु धर्म है।

(2) अनीश्वरवादिता और सृष्टि की नित्यता :– महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि सृष्टि का निर्माण और संचालन करने के लिए ईश्वर जैसी किसी महान शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं, जिसे कर्ता, धर्ता और हर्ता माना जा सके। विश्व किसी की कृति नहीं, वह तो अनन्त, असीम और अनादि है। इसलिए जैन धर्म अनीश्वरवादी है।

(3) आत्मवादिता :– महावीर आत्मा के अस्तित्व और उसकी अमरता में विश्वास करते थे। जिसको जड़ कहा जाता है, उसमें भी वे जीव का अस्तित्व मानते थे। जैन धर्म के अनुसार जीवन केवल मनुष्यों और पशु–पक्षियों में ही नहीं, अपितु पेड़–पौधों, पत्थरों और जल में भी है। जीव विश्व के कण–कण में है। विश्व में दो मूल पदार्थ हैं जीव और अजीव। जीव का अर्थ आत्मा है जो मनुष्य में ही नहीं अपितु प्राकृतिक वस्तुओं में भी है। अजीव के अन्तर्गत पांच पदार्थ हैं– पुद्‌गल (पदार्थ), आकाश, धर्म, अधर्म तथा काल या समय। धर्म

* प्राध्यापक (इतिहास), शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
* शोधार्थी (इतिहास), शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

से अभिप्राय है गति की दशा और अधर्म का अर्थ है स्थिरता की दशा। विश्व जीव और अजीव के धात–प्रतिघात से संचालित होता रहता है।

(4) कर्म और पुनर्जन्म :– महावीर के अनुसार आत्मा स्वभावतः निर्मल, सर्व–दृष्टा, ज्ञान सम्पन्न, आनन्दमय और क्रियाशील है। आत्मा शरीर से पृथक होते हुए भी प्रकाश की भाँति अपना अस्तित्व रखती है। परन्तु सांसारिक विषय वासनाओं और तृष्णाओं से मनुष्य जो कर्म करता है, उसकी आत्मा उसके इन कर्मों के बंधनों से बँध जाती है। इस जन्म के कर्मों का ही नहीं अपितु निरन्तर पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन भी आत्मा पर है। सभी मनुष्य अपने कर्मों के कारण संसार में भ्रमण करते हैं, बार–बार जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म ही पुनर्जन्म का मूल कारण है। अतः आत्मा को कर्म के बन्धनों से मुक्त करना चाहिए। आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र की आवश्कयता होती है। आत्मा को क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार आदि वश में करते हैं, प्रतिबन्धित करते हैं। ऐसी क्रियाएँ ''कशाय'' कहलाती हैं। ये आत्मा के बंधन में बन जाते हैं। ये बंधन दो प्रकार के होते हैं, प्रथम भाव बंधन और द्वितीय द्रव्य बंधन। जब मानव बुरे विचारों में फँसा रहता है, तब उसकी आत्मा भाव बंधन में जकड़ जाती है। पर जब वह इन बुरे व दुष्ट विचारों के अनुसार कार्य करता है तब उसकी आत्मा द्रव्य बंधन में फँस जाती है। ये कर्म–बंधन मानव को तोड़ना है और कर्म–बंधन से आत्मा को मुक्त करना है।

(5) निर्वाण :– जब मनुष्य इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहीत नहीं करता है और अपने सत्कर्मों से पूर्व जन्मों के कर्म–फलों का नाश कर लेता है तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्म–फलों से विमुक्ति ही निर्वाण है। कर्म की शक्तियों का नाश जीव की अंतिम मुक्ति है। तप, अनशन, व्रत करने तथा शरीर को कठोर यंत्रणाओं में रखने से नवीन कर्मों का निर्माण नहीं होता है और पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी धीरे–धीरे नष्ट हो जाते हैं। कर्म के इस प्रकार के विनाश से आत्मा जीवन–मरण के चक्कर और भौतिक तत्वों से मुक्त हो जाती है और तब मनुष्य को निर्वाण प्राप्त होता है।

(6) त्रिरत्न :– कर्म के बंधनों के विनाश और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर ने तीन साधनों के अनुकरण का उपदेश दिया। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं–

(i) सम्यक ज्ञान :– इससे सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट होता है तथा सच्चा पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है।

(i) सम्यक दर्शन :– जैन तीर्थकरों में अखण्ड विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना।

(iii) सम्यक चरित्र :– इन्द्रियों और उनके कर्मों पर पूर्ण नियन्त्रण रखना, विषय–वासनाओं से अनासक्त होना और नैतिक सदाचारमय जीवन व्यतीत करना।

(7) पाँ महाव्रत :– महावीर ने गृहस्थियों या श्रावकों तथा जैन भिक्षु–भिक्षुणियों को पाँच महाव्रत का उपदेश दिया। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है।

अस्तेय से तात्पर्य है बिना आज्ञा के किसी की वस्तु या सम्पत्ति नहीं लेना, चोरी नहीं करना आदि। अपरिग्रह से तात्पर्य है सम्पत्ति का संग्रह नहीं करना तथा धन–धान्य, वस्त्राभरण आदि के प्रति अनासक्ति और उदासीनता की भावना रखना।

(8) अहिंसा :–महावीर ने अहिंसा का खूब प्रतिपादन किया। फलतः जैन धर्म में अहिंसा पर खूब बल दिया गया है। उनका विश्वास है कि सभी वस्तुओं–जड़ और चेतन दोनों में जीव है। इन्हें आघात पहुँचाने, छेदने, बाँधने, उन पर अत्यधिक बोझ लादने, उनका भोजन–पानी रोकने आदि से वे कष्ट का अनुभव करते हैं, उनके प्रति हिंसा होती है। अतएव प्राणि–मात्र के प्रति मन, वचन, कर्म से संयमपूर्ण और दया का बर्ताव करना चाहिए। छोटे–से–छोटे जीव या प्राणी के प्रति भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए।

(9) व्रत और तपस्या :– महावीर ने व्रत, उपवास और तपस्या पर अधिक बल दिया। इनके द्वारा केवल्य ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति बतलाई गई है। जैन धर्म में तपस्या के दो रूप बतलाये हैं, (i) बाह्य तपस्या और (ii) अभ्यान्तर तपस्या। प्रथम में व्रत, उपवास, अनशन, भिक्षाचर्या, रसों का परित्याग, शरीर को कष्ट और काया–क्लेश सम्मिलित है तथा दूसरे में प्रायश्चित, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और शरीर–त्याग है।

(10) वेदवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध :– महावीर ने वेदों की प्रामाणिकता और उनकी अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया। यज्ञों को, पाखंड और आडम्बर वाले समस्त कर्मकांडों और ब्राह्मणों की सर्वोपरिता का उन्होंने विरोध किया। हिंसात्मक यज्ञों को वे निरर्थक मानते थे। वर्ग के भेद–भाव और ऊँच–नीच की उन्होंने कटु आलोचना की। हिंसात्मक यज्ञ मनुष्य की अन्तःशुद्धि के लिए किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को भी धार्मिक महत्व से शून्य ठहराया।

(11) जाति–पाँति के भेद का विरोध :– महावीर जात–पाँत के विरुद्ध थे। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। उनके मतानुसार जाति से नहीं अपितु कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। आधुनिक भाषा में वे समाजवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने जैने धर्म और निर्वाण का द्वार मानव–मात्र के लिए खोल दिया था।

(12) नैतिकता और सदाचार का धर्म :– महावीर ने दैनिक जीवन में श्रेष्ठ नैतिक आचरण और सत्कर्म पर खूब बल दिया। उन्होंने वासनाओं के दमन, सर्वोत्तम संयम और सदाचार पर जोर दिया। उनका धर्म सरल, सादे, पावन, नैतिकता के सिद्धांतों से पूर्ण था।

संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास
2. डॉ. बी.एन. लुनिया : भारत का सांस्कृतिक इतिहास
3. डॉ. बिमल चन्द पाण्डेय : प्राचीन भारत का इतिहास
4. डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार : भारत का सांस्कृतिक इतिहास
5. डॉ. दिनेश भारद्वाज : भारतीय संस्कृति
6. डॉ. एस.के. चतुर्वेदी : जैन मीमांसा

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

शिव प्रसाद सिंह के लेखन में आत्मान्वेषण की प्रक्रिया : एक अध्ययन

डॉ अनिल कुमार सिंह*
डॉ सुरेन्द्र बहादुर सिंह**

मन केवल वासना के पुंज का नाम नहीं है, वह अमृत देने वाली, सिद्ध गुटिका भी है। चित्त वह उर्वर भूमि है जिसमें मुनष्य को महान बनाने वाली इच्छाओं के अंकुर उगते हैं।

शिवप्रसाद सिंह

हिन्दी कथा साहित्य के प्रतिष्ठत कथाकार डॉ. शिवप्रसाद सिंह के लेखन का उद्देश्य अपने गुरू पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह मूलतः ग्रामीण जीवन के अन्तर्विरोधों को सामने ले आना रहा है। वे समाज के उपेक्षित तथा निचले तबके के प्रति विशेष रूप से सहानुभूतिशील रहे हैं। साहित्य के किसी भी वाद से काफी ऊपर थे। वे विचार में लोहिया, स्वभाव में कबीर तथा लेखन में प्रेमचन्द्र का समन्वय लिये हुए थे।

प्रायः रचनाकार का वैयक्तिक जीवन उसकी कृतियों में प्रतिफलित होता है, क्योकि व्यक्ति का चिन्तन धारा, उसका व्यक्तित्व उसके आचार विचार उसका जीवन दर्शन उसके मन और मस्तिष्क से पृथक नहीं होता। साहित्य यदि उसके व्यक्तित्व की व्याख्या करने का वाग्जाल होता है तो जीवन व्यक्तित्व का वाहय रूप। ''शिव प्रसाद सिंह को अपने वास्तविक लेखन की प्रेरणा मानवता की हो रही निरीह हत्या से प्राप्त हुई हैं। स्वयं उन्होनें स्वीकार किया है मैंने कलम उठायी ही नहीं होती यदि उन मानवीय चालों क्रियाकलापों यहॉ तक कि सगे खून के रिश्ते को भोथरे हथियारों से रेत–रेत कर कटते हुए न देखता।''1

डॉ. शिव प्रसाद सिंह नयी संवेदना के रचनाकार हैं। उन्होंने अस्तित्ववादी चिन्तन, मार्क्सवादी विचार पद्धति तथा अरविन्द दर्शन के तत्वों के बीच से अपनी संवेदना का विस्तार किया है। श्री सिंह मनुष्य की स्वतंत्रता को उसकी अन्तिम अनिवार्यता मानने वाले श्री अरविन्द के इस वाक्य से उन्हें शक्ति मिली कि कोई भी धारणा न सही होती है न गलत क्योंकि यह सब समय की उपज है और समय के साथ अपना उपयोग खो देती है। इसलियें धारणाओं से ऊपर उठकर समयातीत सत्य को खोजना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उत्तर योगी श्री अरविन्द नामक पुस्तक में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है कि–

* स. प्राध्यापक (अंग्रेजी), शा. महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
** स. प्राध्यापक (हिन्दी), शा. कन्या महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

''श्री अरविन्द दुनिया से हटने या भागने की सलाह नहीं देते। वे जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन का रूपान्तरण चाहते हैं। वे भोजन वस्त्रादि को बहुत गौण मानते थे और किसी भी प्रकार की रूढ़ि को नहीं ढ़ोते थे।''2

मानव जीवन के अवाध प्रवाह का इतिहास 'नीलाचाँद' उपन्यास है। डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने परम्परा के रूढ़ सनातन रूप को अस्वीकार किया है। यद्यपि जीवन में जो परम्पराएँ अस्तित्व लेती है, नियमन करती है, वे ही इतिहास क्रम में रूढ़ होकर टूटतीं है और आधुनिक जीवन में नये कोणों के साथ समाने आती है। नीला चाँद के प्रकाशन के बाद डॉ. शिव प्रसाद ने दस्तावेज के सम्पादक श्री विश्वनाथ तिवारी को उपन्यास और इतिहास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्र में लिखा–''मुझे वाराणसी का ऐसा काल चुनना था जहॉ किसी बहाने में इतिहास और संस्कृति में प्रयोग कर सकता। उपन्यास तो चन्द्रोदर्शन से शुरू होता है और काशी में वही सामप्त हो जाता है।3

नीला चॉद का फलक व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य से जुडा है। अलग–अलग वैतरणी और गली आगे आगे मुड़ती हैं में देश सामज की विषमताओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ गठित किया गया हैं। इसी प्रकार शैलूष में जाति विशेष की सांस्कृतिक जिजीविषा को मुख्य रूप से उभारा है। मंजुशिमा में लेखक का आत्मा संघर्ष मुख्य बन जाता है। शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में सांस्कृतिक भाववाद तथा सांस्कृतिक यथार्थवाद का मिश्रण है।

साहित्यकार की साहित्यिक प्रतिभा जन्मजात होती है। इसके अलावा साहित्यकार का विचार अनुभव और श्रम भी महत्वपूर्ण तत्व है। इस दृष्टि कोण से शिवप्रसाद सिंह मूलतः जीवन दर्शन या चिन्तन के क्षेत्र में अरविन्द दर्शन और अस्तित्ववाद से ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व है जिसके सम्बंध में वे अपना दृष्टि कोण प्रस्तुत किए हैं। वे अपनी औपन्यासिक कृतियों के द्वारा यह बता देना चाहते हैं कि आज से एक हजार वर्ष वाद का भारत किस प्रकार का होगा। इसका उल्लेख गली आगेमुड़ती है में इस प्रकार किया है युवा एक शक्ति है, नयी पीढ़ी के हाथ में ही भविष्य है। भले ही वे हाथ अभी कमजोर हैं।, भले कच्चे और वेडौल हो पर उसमें संदेह नहीं कि भविष्य मोड़ने का कार्य इन्हीं हाथों सम्पन्न होगा।4

अंधविश्वासों रूढ़ियों और कठोर नैतिक वर्जनाओं से जर्जर समाज में न तो उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा हो सकती है न व्यक्ति का मानिसक उन्नयन। इसलिए इनका विरोध करना प्रत्येक विवेकशील विचार और साहित्यकार का कर्तब्य है। श्री सिंह ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से ऐसे संदर्भों का चयन किया है। जिन्हें सामने रखकर सामाजिक अन्याय का विरोध किया जा सकता है 'मंडन मिश्र की डायरी' नामक निबंध में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है ''कर्म मनः शुद्धि के साधन हैं। उन्हें साध्य मानने से हानि होती है। कर्म को इसी चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक बताया था, उन्हें वाह्य आडम्बर में फँसने के लिए नहीं''5

उच्चतर मूल्यों के विकास के द्वारा ही दिव्य मानव और उसकी महायात्रा की कल्पना की जा सकती है। मात्र शरीर धर्म की रक्षा और पालन करने वाला मनुष्य उच्चतर मूल्यों

को चरितार्थ नहीं कर सकता। मात्र ऐश्वर्य की सिद्धि को जीवन का लक्ष्य मानने वाला मनुष्य भी दिव्य मानव के गन्तव्य तक नहीं पहुँच सकता।

भारतीय संस्कृति के प्रवल पक्षधर शिवप्रसाद सिंह ने अपने लेखन के माध्यम से सांस्कृतिक स्थितियों–परिस्थियों विशिष्टताओं परम्पराओं को उद्घटित एवं अतिक्रान्त कर धर्म के विभिन्न रूपों के व्याख्या की कल्पना की है। उन्होंने सड़ी–गली मान्यताओं के विपरीत कल्याणकारी मूल्यों को स्वीकृति दी है। जिससे हमारी प्राचीन मान्यताएँ रूढ़ और जड़ न रहकर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। उनकी मान्यता है कि भारतीय समाज धार्मिक आडम्बरों में भटककर लक्ष्य भ्रष्ट हो स्वार्थी साधनों की कठपुतली बनकर व्यर्थ ही दुख भोगता है। सांसरिक दुख के प्रति सचेत चिन्तन का मार्ग प्रशस्त करने की चेष्टा कुहरे में युद्ध नामक उपन्यास में प्रस्तुत है– ''हमे मध्य कालीन जीर्णशीर्ण व्यवस्था को मसल देने वाले न वौद्धिकों का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने वर्ग शुद्धता की भावुकता को तोड़कर नये से नये ज्ञान और तकनीकों को अंगीकार किया है।''6

लेखक का जन्म, कर्म एवं अन्त काशी से सम्बद्ध रहा है अतः उन्होंने काशी त्रयी–गली आगे मुड़ती है, नीलाचाँद एवं वैश्वानर को उपन्यास का विषय वस्तु बनाया है। डॉ. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है '' काशी यो तो शिव प्रसाद सिंह के साथ सदा सर्वदा रही है, व्यक्तित्व में भी, जीवन में भी और उनके कृतित्व में भी किन्तु उनकी योजना इस ओर विशेष आकर्षित करती है उनके (लेखक) के शब्दों में मेरी काशी त्रयी संस्कृति, आचार, व्यवहार तथा सच्चे वातावरण में डूबकर लिखी गई है। मेरी अपनी अभीप्सा रही है कि सही काशी को अगर देखना है तो तीनों उपन्यासों में तीन ऐसे समय चुनने होगें जो काशी की जनता को समाज को पूरी तरह उथल–पुथल से मथ दे। कि सबसे निचले वर्ग के सर्व वहिष्कृत चाण्डलों और डोमों से लेकर महिमाशाली ब्राह्मण, राजन्य, महाजन और सेठों को नग्न कर दें।''7

प्रायः रचनाकार का वैयक्तिक जीवन उसकी कृतियों में प्रति फलित होता हैं क्योंकि व्यक्ति की चिन्तन धारा उसका व्यक्तित्व, उसके आचार विचार उसका जीवन दर्शन उसके मन और मस्तिष्क से पृथक नहीं होता। इसके उदाहरण नीला चाँद, वैश्वानर, विद्यापति, सूर पूर्वव्रज भाषा एवं उत्तर योगी श्री अरविन्द में दिखाई पड़ते हैं। दर्शन और साहित्य का अटूट सम्बन्ध है। श्रेष्ठ रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से किसी न किसी दर्शन का निर्माण या पुष्ट करता हैं। आधुनिक युग में उपन्यास विधा मुख्य रूप से साहित्य दर्शन की निर्माण विधा बन गई है। इसी माध्यम से लेखक ने जीवन दर्शन को उद्घाटित किया है। डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने इसी क्रम में राष्ट्रीय चेतना के साथ–साथ ग्राम्य जीवन के यथार्थ को प्रामाणिकता से अपनी रचनाओं में उभारा है। डॉ. शिवप्रसाद सिंह की रचना धर्मिता किसका अन्वेषण करती है? किसकी स्थापना करती है? ''इस सम्बन्ध में श्री अरूणेश नीरन ने अपना मत दिया है– ''शिवप्रसाद सिंह अपने भीतर प्रवेश करते है और देखते है कि जीवन एक अविराम असमाप्त युद्ध है, जो निरन्तर लड़ा जा रहा है। नीला चॉद में कीरत

वर्मा लड़ रहा है, कुहरे में युद्ध और दिल्ली दूर है में आनन्द वाशेक लड़ रहा है, अलग–अलग वैतरणी में विपिन लड़ रहा है, मंजुशिमा में शिव प्रसाद जी लड़ रहें है'' ।8

इस प्रकार डॉ शिव प्रसाद सिंह मनुष्य के संघर्ष शील शक्ति पर विश्वास करते हुए अतीत की नैतिक और सौन्दर्य परक अनुभूतियों के आधार पर वर्तमान यथार्थ को उभारकर उच्चतर रूप देने का प्रयास करते हैं। नीला चॉद उपन्यास के कथानक में कीरत वर्मा का संधर्षशील व्यक्तित्व बल्देव उपाध्याय और कन्हैया मिसिर जैसे लोगों को आगाह करता है। स्पष्ट है कि वैषम्य पूर्ण स्थितियों में रचनाकार वर्ग संघर्ष का पक्षधर है। वह कहता है– ''मृत्यु व्यक्ति को प्रामाणित जीवन चयन का परिचय ही नहीं कराती हैं। उसे जीवन में सक्रिय भी करती है। मनुष्य निरंतर इस मृत्यु गंध में रहता है, उसे लगता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस मृत्युगंध से व्यक्ति में आत्मशक्ति का उदय होता है। इस मृत्यु साक्षत्कार के क्षण मे ही व्यक्ति का सत्य से साक्षत्कार होता है। 9

अरविन्द दर्शन से प्रभावित डॉ. शिवप्रसाद सिंह ने उत्तरयोगी श्री अरविन्द की भूमिका में स्पष्ट किया है कि ''आदमी के लिये रोटी का एक टुकड़ा एक एकान्त सत्य है, पर क्या आदमी सिर्फ रोटी ही चाहता है। रोटी का गोल टुकड़ा और नीलाचॉद आदि परस्पर विरोधी मान लिये जाये तो मनुष्य की पूरा मानसिक क्षमता ही गण्डगोल हो जाती है। रोटी और नीले चॉद को मिलाने की असली कोशिश अब तक जितने लोगों ने की उनमें मुझे श्री अरविन्द ने अपनी व्यवहारिकता से सबसे अधिक प्रभावित किया है।'' 10

समग्रतः डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने भारतीय ग्राम्य परिवेश से लेकर विश्व के महान आत्मा का अध्ययन कर मूल्य चेतना के शिखर को पहचाना है तथा उन्हें उजाकर किया है। उन्होंने किसी वाद का या दर्शन विशेष को अपने साहित्य का आवरण नहीं बनने दिया है। बल्कि वैश्विक दर्शन के विधायी तत्वों को अपने लेखन का आधार बनने से नहीं हिचके हैं। वे जबरन लादी गई व्यवस्था के घोर विरोधी हैं। वें दिशाहीन परम्परा को स्वीकार करने को अवांछित तत्वों के स्वीकार करने जैसा मानते हैं, फलतः उनके लिये साहित्य आत्म अन्वेषण की सतत् प्रक्रिया है।

संदर्भ

1. शशिभूषण पाण्डेय शीतांशु, शिवप्रसाद सिंहः स्रष्टा एवं सृष्टि पृ. 471
2. शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविन्दः पृ. 380
3. सम्पादक विश्वनाथ त्रिपाठी, दस्तावेज (गोरखपुर), अंक 80 पृ. 4
4. शिवप्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती हैः पृ. 25
5. शिवप्रसाद सिंह, मानसी गंगा पृ. 97
6. शिवप्रसाद सिंह, कुहरे में युद्ध भूमिका से
7. शशिभूषण पाण्डेय शीतांशु, शिवप्रसाद सिंह : स्रष्टा एवं सृष्टि पृ. 54
8. शशिभूषण पाण्डेय शीतांशु, शिवप्रसाद सिंह : स्रष्टा एवं सृष्टि पृ. 121
9. श्रीराम शर्मा, आधुनिक हिन्दी उपन्यास में दार्शनिक चेतना पृ. 141
10. शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविन्द भूमिका से

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

बुन्देलखण्ड के बुंदेला राज्यों की स्थापत्य कला

डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

कला लालित्य की वह अन्तःभूति है, जो विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त होकर कला का मार्मिक रूप लेती है। आदिकाल से आज तक मनुष्य ने जो अभिव्यक्त किया है, उसकी अनुभूति उन कला रूपों में समाहित हो गयी है। समूचे भारतवर्ष में दुर्ग निर्माण कला बिखरी पड़ी है, उसी प्रकार भारत के एक छोटे से अंग के रूप में बघेलखण्ड क्षेत्र में भी यह कला बिखरी पड़ी है। दुर्भाग्य से कुछ कलाकृतियाँ काल के क्रूर हाथों और आक्रमणकारियों के द्वारा विध्वंस हो गयी है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि कलाएँ 64 हैं। शुक्राचार्य ने लिखा है कि विद्या अनन्त है, और कलाएँ अनगिनत हैं। वाणी द्वारा जो व्यक्त हो, वह विद्या है कि गूंगा भी जिसे व्यक्त कर सके वह कला है। भारतीय कला में जहाँ एक ओर आध्यात्मिकता का पुट है, वहीं दूसरी ओर उसमें ललित सौन्दर्य भी दृष्टव्य है। इस कला ने कभी दुर्ग वास्तु में अपना वितान ताना, कभी यह मूर्ति शिल्प में साकार हुयी, कभी संगीत में मुखरित हुयी और कभी काव्य धारा में फूटी। भारतीय कलाधारा में बुन्देलखण्ड अंचल का योग एक निर्मल सोते के समान, जो इस धारा से प्रस्फुटित हो, भारतीय कला की मूल धारा में ऐसा मिल जाता है, जैसे दूध में पानी। डॉ. द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल ने भारतीय स्थापत्य पृ.18 में लिखा है कि ''वास्तु विद्या कला और विज्ञान दोनों हैं, अतः वास्तुशास्त्र का विषय एक मात्र सिद्धातों का प्रतिपादन ही नहीं वरन् उन सिद्धान्तों के अनुरूप वास्तु कृतियों की रचना भी है और वे रचनाएँ ऐसी होनी चाहिए जिनको देखकर मानव के हृदय में उसी प्रकार स्पन्दन होने लगे जैसा कि काव्य के रसास्वादन से होता है।''

बुन्देलखण्ड के बुंदेला राज्यों में ओरछा राज्य का स्थापत्य सबसे पहले आता है, सन् 1618 ई0 में वीरसिंह देव प्रथम ने अपनी 42 वीं वर्ष गाँठ पर 42 स्थापत्यों की आधारशिला रखी थी। यह स्थापत्य उनकी बुंदेला स्थापत्य शैली की बेजोड़ प्रतीक है। पर्सी ब्राउन ने उन्हें बुंदेला स्थापत्य शैली की जनक कहा है। उन्होंने 7 किले बनवाए जो झाँसी, दिनारा, धामौरी, करैरा, कुड़रा, गढ़मऊ और दतिया में खड़े हैं। महल और हवेलियों की संख्या 15 है, जो दतिया का नरसिंह महल, कुड़ारमहल, वीरसागर पर कोठी, कूचगढ़ी काशी हवेली, कुंज हवेली, मथुरा, गया में धर्मशाला, शिवराजपुर में गंगा किनारे हवेली, सिंध नदी के तट की शिकारगाह, जहाँगीर महल ओरछा, चित्रकोट ओरछा, नौबतखाना ओरछा, हम्माम ओरछा, शहरपनाह ओरछा, शिकारगाह ओरछा नमें स्थित है। उन्होंने 4 तालाब बनवाए थे, जो वीरसागर वीरगढ़ (पृथ्वीपुर के पास), सिंह सागर कुड़ार, देवसागर दिनारा एवं समुद्र सागर नदनवारा में है जो सरोवर स्थापत्य के आदर्श भी हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधा हेतु 7 बावड़ियों को निर्मित कराया था जो स्थान विशेष नाम से प्रसिद्ध है जैसे-उगरा की बावरी, सिरोल की बावरी, कटेरा की बावरी, दतिया की बावरी, बड़ौनी बावरी, चंदेवा बेर दतिया और दिल्ली का चौपरा। उन्होंने मथुरा में विश्रामघाट, कालीदह

प्राध्यापक, इतिहास, शा0 कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

घाट, और इमलाघाट नाम से 3 घाट यमुनापार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बनवाए थे। 4 बगीचों का निर्माण भी उन्होंने कराया था जो फूलबाग ओरछा, बुंदेलाबाग वृंदावन, चतुरायन बगीची वृंदावन और व्यास बगीची वृंदावन थी। फूलबाग में अपने नौ पुत्रों के लिए 9 चौका महल भी बनाया था। वीरसिंह देव ने 12 मंदिर और देवालयों का भी निर्माण कराया था। जो स्थापत्य कला के चमत्कार हैं। चतुर्भुज मंदिर ओरछा, धूपशिवालय ओरछा, लक्ष्मीनारायण मंदिर ओरछा, धामेश्वर मंदिर सिंधनदी, देवी मंदिर भाडैर, विश्वेश्वर मंदिर काशी, केशव मंदिर मथुरा, भानुमकरंद ऐरछ, गणेश मंदिर बैद्यनाथ, लाडली जी मंदिर बरसाना, देवी मंदिर रामगढ़ दतिया और वनखंडी मंदिर उन्होंने बनवाए थे। उनका पराक्रम प्रभाव, साहित्य प्रेम, न्याय, निष्ठा और स्थापत्य वैभव देखकर ही कहा गया है—

बल वोई कीरत जमी, करण करी दो पात।
सींवी विरसिंह देव ने, जब देखी कुमलात।।

महेवा की पहाड़ियों के मध्य की एक पहाड़ी के चारों ओर 7 तालाब तत्पश्चात् पत्थर का नगरकोट (सुरक्षाभित्ति) है, जिसके भीतर शीर्ष भाग पर उदयादित्य के खंडहर महल अभी भी दर्शनीय हैं। कालान्तर में छत्रसाल के पिता चंपतराव पहाड़ी त्याग सुखनई नदी के तट पर आ बसे थे, जिनके भग्न भवनाशेष दृष्टव्य हैं।

जुझार सिंह ने धामौनी का दुर्ग बनवाया धामौनी दुर्ग के तीन ओर खाई और दलदल थी, जिसे शत्रु सेना का दुर्ग में प्रवेश कठिन था। चौरागढ़ का किला गाड़रवारा से 18 कि.मी. दूर पंचमड़ी के पास चौगान ऊजड़ ग्राम में 800 फीट ऊँचे पहाड़ पर दो पहाड़ों के मध्य संग्रामशाह गौड़ ने बनवाया था। पहाड़ों की तराई में कई तालाब एवं खाइयाँ है। किला के दरवाजे पूर्व एवं पश्चिम दिशा में रहे।

महाराजा सुजान सिंह ने अड़जार ग्राम में विशाल ''सुजान सागर'' तालाब बनवाया था, जिसका शिलालेख तालाब के बंधान में निम्न प्रकार है—

''जंबू द्वीप मही ललाम नगरी दिल्ली तदीये शितुबीर श्री अबरंगशाह नृपते सामंत चूड़ामणि री मद्भूपति बीरसिंह तनयः री मत्पहारेश्वरों प्रोद्भूतों सुनृसुजानसिंह नृपति विश्वंभरा शक्तिभिः। लग्ने सोच्य युते सुसौम्य सहते वारेतु माघे सिते पंचम्यां वसुनेत्र सागर निशाना धारन्य संवत्सरे सद्धमैं द्रुम शेच नाभि जगता। जीया तवै सर्वदा तेना कारं सुजानसिंह नृपति ख्यातस्तडागों महान।

सुजानसिंह की माता हीरादेवी ने हीरा नगर (बावरी) कस्बा और उनकी रानी बृजकुमारी ने ''रानीपुर'' ग्राम बसाया था। रानी ने अड़जार तालाब के पीछे लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में सुंदर बगीचा लगवाया था। जिसका परकोटा अभी भी द्रष्टव्य है। शिलालेख में अंकित है कि—

हीरा दे रानी उदर उपजे सिंह सुजान।
तिनकी गृह नारी भाई बृजकुमार शुभ ज्ञान।।
तीरथ व्रत कीने सबें बृजरानी घर ध्यान।
जस प्रकट्यों नभखंड में भक्त दान सम्मान।
नंदन बन अमरावती बाग लगे तह पास।
शरद फूलफला शारिका सज्जन करत विलास।।

इसी कड़ी में पृथ्वी सिंह ने पृथ्वीपुर दुर्ग बनवाया, जिसका स्पष्ट चित्रण क्रुक्स ने अपने ग्रंथ कास्ट्स एवं ट्राइब्ज, वालूम, 4 पृ. 276 पर किया है। 'ए शॉर्ट एकाउन्ट ऑफ बुंदेला राजपूत चीफशिप इन सेंट्रल इंडिया', पृ. 15 पर उल्लेख है कि झाँसी के मराठों के दमन, अराजकता और लूट के कारण महाराज विक्रमाजीत सिंह ने 1773 ई. में ओरछा के स्थान पर टेहरी को राजधानी बनाया था। वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, जिस कारण सन् 1787 ई. में टीकमजी (कृष्ण) के नाम पर टेहरी का टीकमगढ़ नाम रखा था।

महाराजा बिक्रमाजीतसिंह ने पिंडारियों की लूट से सुरक्षा हेतु अस्तौन, बड़ागाँव, बल्देवगढ़, चंदपुरा मजना, पुरुषोत्तमगढ़, बम्हौरी, रामगढ़ में दुर्गो का निर्माण कराकर किलेदार रखे थे जिनके अधीन सुसज्जित सेना भी रहती थी। उन्होंने बाँध में दुर्ग बनाकर दुर्ग के भीतर तालाब पर बल्दाऊजू का मंदिर बनवाकर बाँध का नाम बल्देवगढ़ रखा था। टीकमगढ़ का तोपखाना, बग्घीखाना, गाड़ीखाना, जानकीबाग, नजरबाग और जुगलनिवास उनके ही स्थापत्य है। सन् 1817 में उन्होंने अपने पुत्र धर्मपाल सिंह को राजगद्दी सौंप दी थी।

प्रतापसिंह (1874-1930ई.) को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। उनके स्थापत्यों में प्रतापगढ़ (कलैक्टोरेट), ताल कोठी, जुबली हाल, नईराज कुण्डेश्वर कोठी, कोठी अब्दाबीर, सेंट्रल जेल, सवाई महेन्द्र स्कूल (वर्तमान कन्या हायर सेकेण्ड्री) की इमारत, महेन्द्र कूप, छेलघोड़ा बावरी, महेन्द्र बाग, सरकिट हाउस, पनयारा कोठी, चंदनपुरा कोठी, पुलिस लाइन (वर्तमान कोतवाली) लड़वारी के तालाब, गौशला, ढोगा का सवारी मैदान, महेन्द्र सागर टीकमगढ़ महेन्द्रसागर पर प्रतापेश्वर शिव मंदिर एवं नजरबाग स्थित शिवमूर्त्ति विशेष प्रसिद्ध है। वीरसिंह देव द्वितीय (1930-1956 ई.) ने कोठी चंद्रसेन, कोठी सज्जनसिंह, कोठी रमाशंकर शुक्ला, विनोदकुंज कोठी, बैकुंठी कोठी, डुमरऊ कोठी, सुधा सागर बॉध एवं कोठी, गॉफ कोर्स, गंजीखाना, हॉकी मैदान, बोटल हाउस, शिवमंदिर कुण्डेश्वर और बलाकेशर कोठी बंबई बनवाई थी। 1609 रामशाह ने बाद में रामशाह सागर तालाब बनवाकर समीप की पहाड़ी पर किले की आधारशिला रखी थी। 3 वर्ष में दुर्ग का कुछ निर्माण हो पाया था कि 1612 ई. में उनकी मृत्यु हो गई।

देवीसिंह (1630-63ई.) के समय का एक शिलालेख बल्देवगढ़ के ग्वाल-सागर तालाब के मध्य मढ़िया में लगा हुआ था। सम्राट शाहजहाँ ने उनसे प्रसन्न होकर, उन्हें चंदेरी के दक्षिण पूर्व के गदरौला, खिमला, इटावा, मालथौन, राहतगढ़, बासौदा, बॅसिया एवं तालवेहट में सिंह बाग की स्थापना कराई थी।

मानसिंह (1736-50 ई.) ने गहरौनी कस्बा बसाकर, वहाँ किले का निर्माण कराया था। रामचन्द्र की रानी सीताजू ने सीता सागर तथा उपरानी राधाबाई ने राधासागर एवं रामचन्द्र ने रामसागर तालाब का निर्माण कराया था। इन्द्रजीत सिंह ने इन्द्रगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था।

राजा हिंदूपत ने लौंड़ी में बंबूर देवी का मंदिर, पन्ना में जुगलकिशोर मंदिर, छतरपुर का महल, राजगढ़ किला, महाराजगंज (विजावर) का किला बनवाया था। बैनी हुजूरी ने छतरपुर में बैनीगंजमुहल्ला बसाया था। बखतसिंह के समय अजयगढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष लक्ष्मणदौआ था, जो चेत्र में लूट और

अराजकता के लिए प्रसिद्ध था। अजयगढ़ दुर्ग अजेय रहा है जो केदार पर्वत पर स्थित है। किले में एक शिलालेख के अनुसार इसका नाम जयपुर दुर्ग रहा है। परन्तु यहाँ अजयपाल रहा करता था, जिस कारण इसका नाम अजयगढ़ पड़ गया था। किला केदार पर्वत की चोटी पर 3 गज चौड़ी प्रस्तर दीवार के परकोटे के अंदर है। पहाड़ी सीधी है, जिससे दुर्ग तक कठिनाई से जाया जा सकता है। ऐसे सुरक्षित स्थल में रहकर लक्ष्मणदौआ अपनी मनमानी एवं स्वछंदतापूर्वक लूट किया करता था।

चरखारी नगर का विकास जैतपुर के राजा जगतराज के समय हुआ था। महाराज जगतराज रंजीत पहाड़ी में चरखारों (हिरन जैसा) के शिकर खेलने जाया करते थे। रंजीत पहाड़ी पर घना जंगल था, जिसमें वरखारे भारी संख्या में रहा करते थे। जगतराज इस पहाड़ी को चरखेरी ही करने लगे थे। उन्हें रंजीत पहाड़ी (चरखेरी) बहुत पंसद आई और मंगलवार के दिन चरखेरी पर एक दुर्ग की नींव डाली, जिसका नाम मंगलगढ़ रखा था। मंगलगढ़ के चारों ओर पहाड़ी की मध्य ऊँचाई के पत्थर की विशाल सुरक्षाभित्ति है कि शत्रु का दुर्ग के अंदर पहुँचना कठिन कार्य है।

चरखेरी (रंजीत पहाड़ी) पर मंगलगढ़ दुर्ग बन जाने के बाद नगर का विकास हुआ। मंगलगढ़ किला की आधारशिला जेष्ठ सुदी 10 वि. संवत् 1777 (1720ई.) को जगतराज ने रखी थी। मंगलवार से कार्य प्रारभ होने से इसे मंगलगढ़ नाम दिया गया था। इस तरह बुंदेलखण्ड के बुंदेला राज्यों का स्थापत्य समृद्ध रहा है।

संदर्भ सूची—

1. डॉ. काशी प्रसाद त्रिपाठी—बुंदेलखण्ड का बृहद इतिहास (राजतंत्र से जनतंत्र) समय प्रकाशन नई दिल्ली, 2006
2. मुं. श्यागलाल—तवारीख बुंदेलखण्ड 1884
3. ग्रांड डफ—मराठों का इतिहास।
4. गोरेलाल तिवारी—बुंदेलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास।
5. दीवान प्रतिपाल सिंह—बुंदेलखण्ड का इतिहास।
6. मध्यप्रदेश के देशी नरेश।
7. केशव कवि—वीर सिंह चरित्र।
8. विंन्ध्याचल पत्रिका, छतरपुर।
9. सारस्वत पत्रिका, उरई।
10. इतिहास अनुशीलन—इतिहास अनुशीलन प्रतिष्ठान, भोपाल।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

साहित्यशास्त्र के प्रथम आचार्य एवं उनका सामाजिक चिंतन

डॉ0 अरविन्द कुमार

संस्कृत साहित्य मे विद्वानों द्वारा महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि का गौरव प्रदान किया गया है। संस्कृत साहित्य के इन आदि कवि को केवल कवि ही नहीं उन्हें आप्त्य पुरुष भी माना जाता है। यही कारण है कि, वेद मन्त्रों की हीं भाति आर्य जनमानस उनके द्वारा लिखित प्रत्येक पद्य को मन्त्र की दृष्टि से ही देखता है। उनसे पूर्व, ज्ञान का जो अजस्व श्रोत वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों तथा शिक्षा आदि छः शास्त्रों के रूप मे प्रवाहित हो रहा था वह जनसामान्य के लिए दुरूह होने लगा था। शायद यही कारण था कि महर्षि ने लोक कल्याण की परम पुनीत भावना से प्रेरित होकर उन्हीं ज्ञान के श्रोतों को सरल सरस शब्द माधुरी के द्वारा आम जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

रामायण से पूर्व जितने भी धर्म ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमे नायक का सर्वथा अभाव ही दिखता है। केवल ब्राह्मण ग्रन्थों की छोटी–छोटी आख्यायिकाओं मे नायक और प्रतिनायकों के प्रतीक उपलब्ध होते हैं। किन्तु वे आख्यायिकायें इतनी अधिक लघ्वाकृति हैं कि, उनसे ज्ञान तो पर्याप्त प्राप्त किया जा सकता है किन्तु मनोरंजन का अभाव खटकता है। उसकी भाषा भी कुछ प्रहेलिकात्मक, कुछ सूत्रात्मक, तथा कुछ वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। जबकि किसी काव्य या ग्रन्थ में नायक सामान्य जनों का प्रतिनिधि होता है। सामान्य जन नायक के मुख का प्रेक्षण करते हैं। उसके द्वारा की गई चेष्टाओं को अपने जीवन मे महत्त्व देते हुए आचरण और व्यवहार मे लाते हैं। यही काव्य का काव्यत्व होता है। संहितायें आदिकाल के ऋषियों द्वारा प्रणीत ऐसे ग्रन्थ हैं जो विशिष्ट जनों के द्वारा अध्ययन और उपदेश के योग्य हैं। उनको समझने के लिए निश्चित श्रम और समय की महती आवश्यकता होती है।

महर्षि ने जनमानस की भावनाओं को समझा तथा उसका समादर करते हुए ऐसे काव्य का प्रणयन किया जिसमे नायक–नायिका का उच्चस्तरीय चरित्र सत्य और प्रतिनायक का चरित्र असत्य के प्रतिनिधि बने। सत्य और असत्य के युद्ध मे सत्य की विजय दिखाने वाला सरस भाषा मे निबद्ध प्रथम ग्रन्थ रामायण है; इसलिये वाल्मीकिकृत रामायण आदि काव्य माना जाता है।

---

* सहा.आचार्य (साहित्य विभाग), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), कटवारिया सराय, नई दिल्ली

काव्य का सृजन और उसका उद्गम भी किसी घटना पर ही आधारित होता है। इतिहास प्रसिद्ध कथा है कि तपस्या काल मे जब व्याध के बाण से विधे हुये क्रौन्च के लिये विलाप करने वाली क्रौन्ची का करूण क्रन्दन का शब्द ऋषि ने सुना तो उनके मुंह से अचानक ''मां निषाद प्रतिष्ठां त्व गमः शाश्वती समाः''[1] श्लोक फूट पड़ा। जिसका आशय यह है कि निषाद तुमने काम से मोहित इस क्रौन्च पक्षी को मारा है; अतः तुम सदा के लिये प्रतिष्ठा प्राप्त न करो।

यह वाक्य रामायण आदिकाव्य की प्रस्तावना है। इसमें नर क्रौन्च नायक, मादा क्रौन्च नायिका तथा प्रतिनायक व्याध है। स्वार्थ पारायण व्याध के द्वारा निरपराध क्रौंन्च का वध और उन दोनों के मध्य वियोग जनित क्रौंन्ची का विलाप हीं महर्षि के हृदय में काव्य को उद्गमित करता है।

महर्षि की इस कल्याणवाणी को सुनकर वहाँ स्वयं ब्रम्हा (चारों वेदों के ज्ञाता) उपस्थित हुये और उन्होंने राम चरित्र लिखने के लिये वाल्मीकि जी से कहा।[2] महर्षि उस समय अपने काव्य का नायक बनाने के लिए तात्कालिक एक ऐसे नर का अन्वेषण कर रहे थे जिसे वे पुरुषोत्तम की संज्ञा प्रदान कर सके। तभी उनके समीप देवर्षि नारद का अगमन हुआ और उनके द्वारा अयोध्या के तात्कालिक सम्राट श्री राम को नायक बनाने का उपदेश दिया।[3] वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। क्योंकि, लौकिक संस्कृत में व्यवहृत होने वाले सम अक्षर से युक्त अनुष्टुप का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया। जिसमे लघु गुरू का निवेश नियमबद्ध था। वाल्मीकि रामायण के निर्माण का समय बाहरी तथा भीतरी प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। रामायाण का अनुशीलन उसकी रचना के समय को भली–भांति प्रकट कर रहा है।

सारे रामायण मे केवल दो पद्यों मे ही यवनों का नाम आता है। इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वान डाक्टर वेबर ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि रामायण पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। पर डॉ. याकोबी ने इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। अतः यूनानी आक्रमण के अनन्तर ये पद्य रामायण मे मिला दिये गये होंगे। इन प्रमाणों के आधार पर हम इसी निश्चिंतता पर पहुंचते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले हुई है। अर्थात रामायण को 500 ई0पू0 से पहले की रचना मानना न्याय संगत है। वाल्मीकीय रामायण का महत्व केवल काव्य दृष्टि से ही नहीं है प्रत्युत वह वैष्णव सम्प्रदायों में एक उपास्य धार्मिक ग्रंथ भी है। इसलिये रामायण को आश्रय मानकर अनेक व्याख्या ग्रंथों की रचना भिन्न–भिन्न युगों मे की गई है।

महर्षि ने चिंतन किया कि, चारों आश्रमों का आधार गृहस्थाश्रम ही है। उसमें निवास करने वाले प्राणी यदि परस्पर स्नेह, प्रेम और सौहार्दपूर्वक नहीं रहते तो ऐसी स्थिति में सुख की कल्पना करना केवल अरण्य रोदन करने के समान ही है। अतः उन्होंने रामायण मे ऐसे पात्रों का चयन किया जिनका चरित्र समाज का दर्पण बन सके। महर्षि ने इस विषय में जब नारद जी से जानना चाहा तब उन्होंने अयोध्या निवासी श्री राम तथा उनके परिवार का

विषद वर्णन करने को कहा।[4] जिससे समाज पुनः उस वैदिक सभ्यता की ओर उन्मुख हो जाय जिसमें घर मे ही स्वर्ग की कल्पना की जाती रही है। जैसा कि, वेद में किसी नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा गया है–

इहैव स्तं मा वियुष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्।
क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तभिः मोदमानौ स्वे गृहे।।

(ऋग्वेद 8.3.28.2)

अर्थात् हे नव दम्पति! तुम दोनों इस घर मे रहते हुए अपने जीवन की पूर्ण आयु को सानन्द प्राप्त करो। और इसी में घर में खेलते हुए पुत्रों और पौत्रों को भी देखो।

गृहस्थ मे सुखपूर्वक निवास की इस वैदिक कल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए महर्षि ने अपने युग का अनुपम का रचा। जो भविष्य मे स्वर्णिम इतिहास बन सका। वैदिक कल्पना के उसी आधार पर महर्षि ने सांसारिक संबन्धों को आदर्श बनाने के लिए रामायण जैसे उच्चतम काव्य का प्रणयन किया। जो निम्नानुसार है। यथा–

पिता–पुत्र

महर्षि ने पिता और पुत्र के मध्य किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए तथा पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए आदि का भलीभाँति निरूपण किया है। महर्षि ने कुमार लक्ष्मण को निमित्त बनाकर तात्कालिक उच्छृंखल संतान का प्रतिनिधित्व कराया है किन्तु साथ ही भ्राता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी दिखाया है। इस सम्बन्ध मे उनका चिंतन यही था कि, भाई का यदि भाई से मधुर स्नेह है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आसानी से टल सकती है।

माता–पुत्र

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार ''माता के लिए पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ निधि थी। वह पुत्र के द्वारा प्रणाम करने पर उसका आलिंगन करती थी तथा प्यार से मस्तक सूँघती थी। पुत्र राम के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण ही कौशल्या उनके वनवास के समाचार को सुनकर अचेत हो जाती हैं। अपने पुत्र के हितकामना के लिए माता निरन्तर चिंतित रहा करती थीं।''

वहीं पुत्र के प्रति भी उसी प्रकार समर्पित रहते थे। ''परशुराम ने पिता की आज्ञा का आँख मूँदकर पालन करके अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से काट डाला था।''

भाई–भाई

परिवार में भाई का भाई के प्रति अगाध स्नेह सुख का मुख्य आधार होता है। ''रामायण मे महर्षि वाल्मीकि ने भाइयों के परस्पर सौहार्द व स्नेहपूर्ण संबंधों का स्थान–स्थान पर उल्लेख किया है।'' ''जैसे गाय के खुर अथवा प्रोष्टपद नाम के तारे दो–दो जोड़े मे परस्पर अनुरक्त रहते हैं, वैसे ही चारों भाई राम, लक्ष्मण और भरत,शत्रुघ्न दो–दो जोड़े मे परस्पर

अनुरक्त थे। उनमे कोई स्पर्धा कोई प्रतियोगिता या कलह नहीं थी। राम को अपने सभी भाई प्राणों से प्रिय थे। वे लक्ष्मण को देखे बिना नींद तक प्राप्त नहीं कर पाते थे। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो राम उसमें से लक्ष्मण को दिये बिना नहीं खाते थे। जब राम घोड़े पर चलकर शिकार खेलने के लिए जाते तो लक्ष्मण उस समय धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे–पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे।''

पति–पत्नी

महर्षि वाल्मीकि ने स्थान–स्थान पर स्त्री के लिए पति सेवा का उपदेश दिया है। अयोध्याकाण्ड मे सीता राम से स्वयं भी वन मे साथ चलने का आग्रह करती हुई कहती हैं कि आर्य पुत्र! पिता, माता, भाई पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने–अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन गमन की आज्ञा मिल गई है।

महर्षि वाल्मीकि ने जहाँ पत्नी के लिए पति के प्रति कर्त्तव्य का उपदेश किया है वहीं पति के लिए भी पत्नी के प्रति कर्त्तव्यों की विस्तृत व्याख्या की है। उनका उपदेश एकांगी नहीं है। तभी तो उन्होंने ''गृहिणी सचिवः सखी मिथः आदि'' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन्दुमती की मृत्यु के उपरान्त अज विलाप करते हुए कहते हैं कि, मेरी पत्नी केवल पत्नी ही नहीं थी, वह समय–समय मे मुझे उत्तम मन्त्रणा भी देती थी। वह हमारी मित्र थी, ललित कलाओं को उसने हमसे सीखा था। अतः वह हमारी प्रिय शिष्या भी थी। करुणा रहित यम ने आज हमारी प्रिय पत्नी का हरण कर बताओ क्या नहीं हर लिया? अर्थात् सब कुछ हर लिया। रामायण का यह पत्नी वियोग का गीत सामाजिकों के लिए दर्पण है। जिसमें पुरुष अपनी पत्नी के प्रति सदा अनुरक्त रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उनका चिंतन है कि, जब संसार के सभी रिश्ते नाते अपने अपने कर्तव्यों को भलीभाँति समझने लगेंगे तो सुख को कहीं अलग से लाने की आवश्यकता नहीं होगी वल्कि सुख तो उस घर मे स्वयं उत्पन्न होगा।

महर्षि वाल्मीकि की कविता देश तथा काल की अवधि के द्वारा परिच्छिन्न नहीं की जा सकती। वे उन विश्व कवियों में अग्रणी है जिनकी वाणी एक देश विदेश के प्राणियों का ही मंगल साधन नही करती और न ही किसी काल विशेष के जीवों का मनोरंजन करती है। वाल्मीकि का रामायण महती कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। महर्षि वाल्मीकि का यह महाकाव्य पृथ्वी तल को विदीर्ण कर उगने वाले उस विराट वटवृक्ष की तरह है जो अपनी शीतल छाया से भारत के समस्त मानवों को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाये हुये खड़ा है।

सन्दर्भः—

1. वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर
2. वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर
3. वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर
4. गौतम डॉ0 सूर्यनारायण, वैदिक चिंतन मंजूषा, प्रका0—जी.एच. पब्लिकेशन, इलाहाबाद पृ0 48, 107।
5. गौतम डॉ0 सूर्यनारायण, श्रीमद्रामगीता प्रका0— एजुकेशनल बुक सर्विस, उत्तम नगर नई दिल्ली।
6. गौतम डॉ0 सूर्यनारायण, जीवन के दस सुख एवं उनकी प्राप्ति के वैदिक उपाय, प्रका0—सत्यम पब्लिशिंग हाउस, उत्तम नगर नई दिल्ली।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

महिला विकास एवं शिक्षा

डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव

किसी भी समाज वर्ग का विकास का सबसे पहला पायदान शिक्षा को ही माना जाता है। शिक्षा के बिना ना तो विकास हो सकता है न ही सशक्तिकरण। शिक्षा की परिप्रेक्ष्य में महिला विकास की चर्चा करे तो महिला सबसे बड़े वंचित वर्ग के रूप में नजर आती है। सन् 1951 में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत तक हुई है देखने में विकास का लक्षण प्रतीत होता है। लेकिन यह तथ्य यह है कि पुरूष साक्षरता 80 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 60 प्रतिशत ही है। यदि बल्कि शिक्षा तथा महिलायें तथा महिला साक्षरता 60 प्रतिशत ही है। यदि बल्कि शिक्षा तथा महिलायें जागरूक नहीं है तो फिर महिला विकास एवं सशक्तिकरण की बात बेमानी लगती है। किसी भी देश का वास्तविक विकास तभी सम्भव है जब वहाँ की सम्पूर्ण आबादी का योगदान हो भारत में "आधी आबादी" के हिस्से की शिक्षा पूरी नहीं है तो फिर किस प्रकार से महिलायें देश की उन्नति में हाँथ बंटा सकती है? विकास का आधार ही शिक्षा है। इसलिए महिलाओं की सम्पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि वे साक्षर हों और वास्तविक रूप से शिक्षित हों।

विकास के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है क्योंकि बात हम वैज्ञानिक विकास की करें या सांस्कृतिक विकास की बात चाहे हम राजनैतिक विकास भी करें या सामाजिक विकास की हर प्रकार के विकास के लिये शिक्षा का होना आवश्यक है।

वैदिक काल में शिक्षा के महत्व को समझ लिया गया था इसलिए उस समय शिक्षण ओर शिक्षा को मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया था। इस संदर्भ में आलते कर लिखते है कि वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना या विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्त्तव्यों का पालना, सामाजिक कुशलता, उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति या प्रचार–प्रसार आदि थे। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थें। इसलिए उस समय भी महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मैत्री, गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विख्यात नारियों के नाम जो विभिन्न शस्त्रों का गहन ज्ञान अर्जित कर शास्त्रार्थ कर पुरूषों को चुनौती देती थीं। जैसे कि जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवलक्य को चुनौती दी थी। मदन मिश्र और शंकराचार्य से हुये शास्त्रार्थ में मदन मिश्र की पत्नी भारती ने निर्णायक की भूमिका का निर्वाहन किया था। युधिष्ठिर ने द्रोपदी को दांव पर लगया तो द्रोपदी ने दांव को कानून आधार पर चुनौती दी थी।

---

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाज शास्त्र), शासकीय स्नात्कोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिला शहडोल (म0प्र0)

स्वंत्रत भारत मे महिला शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन तो आये हैं लेकिन उसकी स्थिति में लगातार गिरावाट आती रही है। जिसका कारण पूर्ण रूप से शिक्षा का प्राप्त न होना है। हमारे गांवों में आज भी परम्परा चली आ रही है। जहाँ पुत्री का जन्म लेना अभिशाप समझा जाता है। पराया धन समझकर पुत्री की शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात प्राइमरी स्कूलों तक किसी तरह शिक्षा दी भी जाती है तो अधिकांशत लडकियों पर कामकाज का इतना बोझ लाद दिया जाता है। कि वे प्राइमरी तक भी नहीं पढ़ नहीं पाती है। दूसरी इसकी अलग से बालिकाओं के लिए शौचालय का अभाव भी उनकी गोपनीयता को भंग करता है। इसलिए भी शिक्षा से वंचित ही जाती है।

यूँ तो महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है। लेकिन वास्ताविकता यह है कि महिलाये आगे नही बढ़ पा रही है न ही समाज तथा राजनीति में अपना स्वंतत्र अस्तित्व नही बना पा रही है। महानगरों में महिलाओं की स्थिति को देख कर लगता है कि महिलाएँ काफी विकसित हो गई है। लेकिन यह सच नहीं है। महिलाओं के लिए विकास आज भी दूर की कौड़ी ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की बदहाल स्थिति है जिसका एक मात्र कारण, शिक्षा की कमी एवं जागरूकता की कमी। सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा महिलाओं में शिक्षा एंव जागरूकता की कमी है यदि महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामजिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी। ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना, किसी के लिए संभव नही होगा।

महिला को सशक्त एंव विकास की स्थिति में लाने के लिए महिला शिक्षा को दो भागों में बांटा जाय। प्रारभिंक साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता। प्रारम्भिक साक्षरता में कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को अधिक–से–अधिक जोड़ा जाए तकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। साक्षरता को किसी भी समाज में सामजिक व आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना, तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च्व साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता बेहद आवश्यक है। लेकिन दोनों ही मोर्चो पर भारत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है।

क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की शिक्षा का कम होना जिसका एक विकल्प है ''बालिका शिक्षा'' को अपने आपमें साध्य और अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन समझा जाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के बुद्धि का विकास तथा व्यक्तित्व का निखार सम्भंव है।

आज चारों ओर महिला आरक्षण की छूट है, कोई समर्थन में रोटियाँ सेंक रहा है, तो कोई विरोध में खिचड़ी पका रहा है। आरक्षण की माँग तथा विरोध में यह आवश्यक है कि यह चर्चा की जाये कि इन्हें राजनैतिक रूप से किस तरह जागरूक किया जाए। मात्र आरक्षण से ही महिलायें प्रगति लक्ष्य प्राप्त कर सकती है यह गलत है। बल्कि उन्हें राजनैतिक रूप से जागरूक किया जाए तथा शिक्षित बनाए जाएँ।

भारतीय संविधान ने महिला एवं पुरूषों के बीच लिंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं किया है। लेकिन महिलाएँ अपने अधिकारों का प्रयोग धरातल पर नहीं कर पा रही है तो इसका कारण है राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना की कमी होना भी है और चेतना का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। अगर महिलायें शिक्षित होंगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होगी और जागरूक भी। इस प्रकार महिला शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बालिका शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। समाज में किसी भी वर्ग को सम्मान उसी सीमा तक मिलता है, जिस सीमा तक समाज की उत्पादन प्रक्रिया में उसका योगदान होता है। वास्तव मे आर्थिक आत्म निर्भरता किसी देश का विकास की अवस्था के सूचक के रूप में मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार महिला शक्ति का सम्पूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिला शिक्षित होगी। महान साम्यवाद नेता लेनिन ने भी महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को नारी मुक्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया है। लेनिन का विचार है ''पुरूषों के समान समानता एवं पूर्ण स्वाधीनता के लिए आवश्यक है कि घरेलू क्रियाकालापों का समाजीकरण हो, सामान्य उत्पादन, और श्रम में महिलाओं की भागीदारी हो। ऐसा होने पर भी महिलाये, उन समस्त अधिकारों का उपयोग कर सकेगी, जिनका प्रयोग पुरूष करते है।'' एक शिक्षित महिला ही आर्थिक उत्पादन मे भागीदार बन सकती है।

महिलाओं के बीच अशिक्षा के कारण ही आज समाज में महिलाओं का खिलाफ अपराधों की बाढ़–सी आ गई है। दहेज–उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि का एक प्रमुख कारण अशिक्षा भी है। ज्ञान के प्रकाश से ही दहेज जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है। वैसे आज की पढ़ी–लिखी युवा पीढ़ी इस मामले में काफी जागरूक है। इनके लिए दहेज से अधिक महत्त्वपूर्ण परस्पर समझ और एक–दूसरे का कैरियर होता है। प्रेम विवाह भी आपसी समझ के रिश्ते हैं। जो दहेज जैसी समस्या को दूर करते हैं। अशिक्षा के कारण ही वैवाहिक हिंसा बढ़ी हुई है, अपने वैवाहिक अधिकारों की समझ कम होने से वैवाहिक हिंसा होती है वैसे तो वैवाहिक हिंसा पढ़ी–लिखी महिलाओं के साथ भी होती है लेकिन वे आवाज तो उठा सकती है। सर्वेक्षण बताते हैं कि आशिक्षित महिलायें वैवाहिक हिंसा का शिकार अधिक होती है।

बालिका शिक्षा का एक खतरानाक दुष्प्रभाव वेश्यावृति के रूप में भी आता है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो शायद पृथ्वी पर मानव सभ्यता के जन्म के साथ ही अस्तित्व में आ गई है। तथ्य यह बताते है वेश्यावृति संसार के प्रत्येक हिस्से में सभी देशों में व्याप्त है कितने भी प्रयास किये जाते हैं फिर भी असफलता ही मिलती है। कोई स्त्री क्यों और कैसे वेश्यावृति के धंधे में उतरती है इसके अनेक कारण अपराध शास्त्रियों ने दिये है जिनके सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा और खराब आर्थिक स्थिति है।

तथ्य यह बताते हैं कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार और पश्चिमी बंगाल जैसे गरीब राज्यों में बहुत ही युवतियाँ भुखमरी से बचने के लिए देह व्यापार को अपना पेशा बना लेती हैं। दिल्ली, मुंम्बई, जैस महानगरों में पंचसितारा होटलों में वेश्यावृति ने स्वेच्छा से आने वाली

महज 1.4 फीसदी शिक्षित बालिक–नाबालिक लड़कियों की बात अगर छोड़ दे तो कठोर सच्चाई है। यही है कि वेश्यावृत्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी। अशिक्षा के कारण गरीब और पिछड़े प्रदेशों की युवतियॉ अपने लिए कोई उपयुक्त रोजगार का साधन तलाश नहीं पाती और इस तरह के घृणित कार्य को अपना लेती हैं। यदि बालिकाओं के बीच शिक्षा का उचित प्रचार–प्रसार हो तो वेश्यावृत्ति जैसे अमानवीय कृत्य पर काफी हद तक रोक लागई जा सकती है और उन्हें भी समाज में प्रतिष्ठापूर्वक जीवन–यापन का हक मिल सकता है।

आल्पशिक्षा के कारण ही महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। महिलाओं को कार्यालयों, व्यवसायिक परिसरों और उद्योगों में, खेत में काम करते हुए, शहरों में मजदूरी करते हुए, मंदिरों में सेवा करते हुए भी पुरुषों के यौन उत्पीड़न को झेलना पड़ता है। यौन उत्पीड़न का कहर आर्थिक रूप से मजबूर, विधवा, तलाकशुदा तथा अविवाहित महिलाओं पर अधिक बरसता है। महिलाओं के बीच शिक्षा की कमी के कारण ही देवदासी–जैसी अमानवीय प्रथा आज भी भारत के कुछ राज्यों में ईश्वर की सेवा करने के माध्यम से चल रही है। यह ऐसी सामाजिक बुराई है जिसे धर्म संरक्षण प्राप्त है। जहाँ अपनी मासूम कन्या को "यक्षम्मा देवी" के नाम पर देते हैं और उन कन्याओं का कर्त्तव्य घोषित कर मंदिर के देवी–देवताओं और पुजारियों की सेवा करना होता है। यह मान लिया जाता है कि देवदासी का विवाह ईश्वर से हो गया है और इस प्रथा की आड़ में पुजारियों तथा दबंग पुरुषों द्वारा उसका यौन शोषण किया जाता है और इस प्रकार की दुर्दशा का कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। कानूनन इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा है लेकिन शिक्षा की कमी के कारण सामाजिक रूप से देवदासी प्रथा के नाम पर बच्चियों का शोषण जारी है।

भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए महिला शिक्षा अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही जीवन सुखी एवं सम्पन्न हो सकता है तथा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता तथा आर्थिक उन्नयन भी हो सकता है।

कोठारी आयोग (1996) भारतीय साधनों के सम्पूर्ण विकास के लिए परिवार के सुधार हेतु और शिशु आवस्था के लिए प्रभावशाली वर्षों में बच्चों के चरित्र निर्माण हेतु पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की शिक्षा की विशेष आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परन्तु परिवार में लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा होती है।

माँ की अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी सम्पति उसकी ममता होती है, ममता की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, यह अनुभूति का प्रत्यय है। ममता को यदि शिक्षित किया जाए तो विवेक जागृत होगा। माँ की ममता से बच्चों में मर्यादित आचरणों का विकास किया जाता है बच्चों के आचरणों के विकास में माँ की भूमिका अहम होती है। अतः आवश्यक होता है माँ पढ़–लिखी और शिक्षित होगी तभी अपने ममता के साथ–साथ विवेकशील माँ बच्चों को शिक्षित कर संस्कारवान बना पायेगी।

अशिक्षा के कारण नारी कई सामाजिक, राजैनतिक, आर्थिक कारणों से विकास की मुख्य धारा से कट जाती है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके सहायता से स्त्री का क्रमिक विकास होता है तथा वह समाज मे उचित स्थान प्राप्त करती है। जिस तरह ''पौधे'' का विकास सिंचाई द्वारा होता है, स्त्री का विकास शिक्षा से होता है।''

अतः कह सकते हैं कि विकास तथा शिक्षा के बीच गहरा संबंध है। क्योंकि शिक्षा मान संसाधन विकास का अनिवार्य अंग है। नारी को शिक्षा के प्रति जागृत कर बराबरी के दर्जे में लाकर ही राष्ट्र निमार्ण मे सहयोग प्रदान किया जा सकता है। स्त्री शिक्षा के बिना सम्पूर्ण रूप से विकास प्रक्रिया संभव है ही नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ0 माथुर सावित्री, महिला आरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन।
2. डॉ0 सिंह निशान्त–स्त्री सशक्तिकरण एक मूल्यांकन।
3. प्रो0 त्रिपाठी मधुसूदन– महिला विकास एक मूल्यांकन।
4. सिंह मीनाक्षी निशांत–महिला सशक्तिकरण का सच।
5. तिवारी संजय तथा तिवारी अंशुजा–महिला उद्यमिता।
6. डॉ0 सिंह निशांत–भारतीय महिलायें एक सामाजिक अध्ययन।
7. डॉ0 यादव बीरेन्द्र सिंह–इक्कीसवी सदी का महिला सशक्तीकरण मिथक एवं यथार्थ।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

विधान मण्डल में तथा विधान मण्डल के बाहर विधायकों की भूमिका तथा उनके कार्य (एक आलोचनात्मक अध्ययन)

डॉ. श्रीमती ज्योति शर्मा*
श्रीमती अमिता सक्सेना**
श्रीमती संगीता शर्मा***

(1) प्रस्तावना—"विधान मण्डल में तथा विधान मण्डल के बाहर विधायकों की भूमिका" एक ऐसा विषय है जिसमें बराबर दिलचस्पी ली जाती रहेगी और जिसका प्रतिनिधि संस्था के रूप में विधान मण्डल की साख से बहुत गहरा संबंध है।

विधायक, चाहे विधान मण्डल में हो यह विधान मण्डल के बाहर, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। आम आदमी मदद के लिए उसी के पास दौड़ता है, और वही उनके जीवन की कुछ समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सरकारी अफसरों के साथ उनकी ओर से सम्पर्क स्थापित करता है। किसी विधायक को संतोष देने वाली और कोई बात नहीं हो सकती जितनी कि वह अपने आसपास के समुदाय के कल्याण में रचनात्मक योगदान कर सकता है। परन्तु लोग हर तरह की मांगें लेकर उसके पास आते हैं, चाहे स्कूलों और कालेजों में दाखिला हो या नौकरी या तबादला हो या खाद या पानी की सप्लाई हो या कोई अन्य मसला है। विधायक से कुछ मांगे तो ऐसी की जाती है जो उसे उलझन में डाल देती हैं। लेकिन उसे उनकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करनी होती है तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर ठीक प्रकार से दिलाते रहना होता है। जहाँ वह लोगों की शिकायतों, आशाओं और आकांक्षाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूँ, वहाँ उसके साथ-साथ उसे लोगों की जानकारी देने का माध्यम भी बनना चाहिए तथा लोगों को बराबर बताते रहना चाहिए कि सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम क्या है तथा विधान मण्डल में क्या कुछ हो रहा है।

(2) जनता के बीच प्रतिनिधि की भूमिका—आम जनमा और विधायकों के बीच सतत् सम्पर्क और परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए। लोगों द्वारा ऐसा सोचना बहुत ही बेतुका होगा की विधायकों को निर्वाचित करने के बाद उनका कोई काम बचता ही नहीं है और अब मात्र निठल्ले बैठ

---

* स. प्रध्यापक (राजनीति विज्ञान), राजीव गांधी कालेज, भोपाल (म. प्र.)
** स. प्रध्यापक (विधि), राजीव गांधी कालेज, भोपाल (म. प्र.)
*** स. प्रध्यापक (हिन्दी), राजीव गांधी कालेज, भोपाल (म. प्र.)

कर आलोचना करने के और कुछ रहता ही नहीं ऐसा नहीं है। विधायकों, सांसदों या लोगों के प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों को इस बात से अवगत् कराये कि निर्वाचन और निर्वाचित व्यक्ति के बीच सतत् सम्पर्क बनाये रखना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्र और समुदाय को वास्तविक लाभ पहुँच सकता है। यदि वे घर में चुपचाप बैठ जाते हैं और आलोचना ही करते हैं, तो यह व्यर्थ की आलोचना होगी क्योंकि वास्तविक शासक तो लोग हैं। ऐसी कहावत भी है—''यथा राजा तथा प्रजा।'' किन्तु राजा कौन है? वास्तव में प्रजा ही राजा है, लोग वास्तविक शासक है। उनके प्रति उत्तरदायी है, शासन की बागडोर जनता के हाथ में है। प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि उन्हें दूत कार्यकर्ता के रूप में जाने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी छवि नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि आजकल ताना जा रहा है। निजी स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्रीय हित, सामुदायिक हित को कब प्राथमिकता देनी है, इस बारे में विधायकों को विचार करना होगा। स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं। संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति यह है कि विधायकों को दूत कार्य करने वाले व्यक्ति माना जाता है और उनको तबादला करवाने और प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था करने को कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि से एक अच्छी कार्य-पद्धति, जिसकी एक वास्तविक लोक प्रतिनिधि संस्था से आशा की जाती है, से वंचित रह जाते हैं। अतः वस्तु-स्थिति यह है कि लोगों को इस तथ्य से अवगत् करवाना चाहिए। यह कार्य केवल एक ही दल द्वारा नहीं किया जा सकता है। अपितु इस देश में जो भी दल विद्यमान है उन सभी को यह कार्य करना है। संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए निरन्तर प्रयास करना होगा और लोगों को बताना होगा कि लोकतंत्र से क्या अभिप्रेत है। जन प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचकों से सतत् सम्पर्क बनाए रखना चाहिए जिससे कि संसदीय लोकतंत्र की जड़े मजबूत हो और वह फले-फूले।

यह बहुत मुमकिन है कि अपने काम के दौरान विधायक को महसूस हो कि कुछ मामलों में उसके निर्वाचकों या उसके दल के भी हित उसके विचार में राज्य यह देश के हित से टकराते हैं। ऐसी हालत में उसका फर्ज क्या है। आज से 200 वर्ष पूर्व श्री एडमंड बर्क ने प्रतिनिधि लोकतंत्र में इस बड़ी गुत्थी का बहुत बढ़िया जवाब दिया था, जो इस प्रकार है—

''जन-प्रतिनिधि की खुशी और गरिमा इसी में होनी चाहिए कि वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र से पूरी तरह जुड़ा रहे, उनके साथ उसका पत्र द्वारा बहुत नजदीक का संबंध हो और उनके बीच बेझिझक विचारों का आदान-प्रदान हो। उसे उनकी इच्छाओं को पूरा महत्व देना चाहिए, उनकी राय की पूरी इज्जत करनी चाहिए, और उनके काम को और पूरा ध्यान चाहिए। यह उसका फर्ज है कि वह उनके मुकाबले में अपने आराम, अपनी खुशी और संतोष को कुर्बान कर दे और सबसे बढ़कर हमेशा और तभी मामलों में उनका हित उसके अपने हित से ऊपर रहना चाहिए। लेकिन उसे अपनी निष्पक्ष राय का, अपनी सही समझ-बूझ का, अपनी अन्तरात्मा की आवाज का उनके लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी जन समुदाय के लिए त्याग नहीं करना चाहिए। जनता न केवल अपने प्रतिनिधि की मेहनत को बल्कि उसकी समझ-बूझ की भी अधिकारी है, और यदि वह उसे जनता की राय पर कुर्बान कर देता है, तो वह जनता की सेवा करने के बजाय उसके साथ धोखा करता है।

3. प्रतिनिधियों के उद्देश्य—इस प्रकार विधायक के दिमाग में देश-हित सर्वोपरि होना चाहिए और यदि वह महसूस करता है कि यह बात देश के हित में नहीं है तो उसे जनता के आगे नहीं झुकना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात है कि नेतृत्व की जिम्मेदारी पर बोलते हुए गाँधी जी ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था—

विधायक यदि भीड़शाही से बचना चाहते है और देश की बकायदा तरक्की चाहते हैं, तो जनता के नेता होने का दावा करने वाले लोगों को दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वे उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देंगे, किसी के मत का केवल विरोध करना और जनमत के आगे झुक जाना न केवल अपर्याप्त है बल्कि अधिक महत्वपूर्ण मामलों में नेताओं को जनता की राय के विपरीत काम करना चाहिए यदि वह उनकी तर्क-बुद्धि पर खरी नहीं उतरती है।''

जब प्रतिनिधि संसद अथवा विधान मंडल के लिए निर्वाचित होते हैं तब वे संविधान, देश की अखंडता और प्रभु-सत्ता का सम्मान करने की शपथ लेते हैं। इनके साथ-साथ एक और शपथ ली जानी चाहिए, और वह शपथ समान्यतः निर्वाचकों, जनता, प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, के प्रति होनी चाहिए। इसका पाठ इस प्रकार होना चाहिए—हे ईश्वर! मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे कि मैं निस्वार्थभाव से बिना किसी निजी स्वार्थ के जनता की भलाई के लिए काम कर सकूं। यदि निर्वाचकों को भूल जाते हैं तो लोगों के प्रतिनिधि कहलवाने का अधिकार नहीं रखते और न ही इस योग्य हैं कि लोग उन पर विश्वास रख सकें। दावे के साथ यह कहना चाहिए कि उनको निर्वाचकों का पूर्ण विश्वास प्राप्त है और वे सही अर्थों में उनके प्रतिनिधि हैं।

4. प्रतिनिधियों के कर्तव्य—विधान मण्डल में विधायक की प्रमुख भूमिका, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, निश्चिय ही विधान मण्डल के काम में भाग लेना है। यदि कोई विधायक लोगों और देश की भलाई के लिए कारगर भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे उपलब्ध सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और सभा के विधायी, वित्तीय तथा अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उसे लोक नीति के निर्धारण में अपने विशेष ज्ञान, अनुभव और समझ-बूझ का प्रयोग करते हुए सरकार के कार्य की छानबीन करने और उस पर निगरानी रखने तथा लोगों क शिकायतें दूर करने के लिए अपना योगदान करना चाहिए। केवल शून्य काल में कुछ मुद्दे उठाने के पश्चात् सदन से उठकर नहीं चला जाना चाहिए और न ही ऐसा अवसर देना चाहिए कि सदन में गणपूर्ति न होने के कारण उनको बुलाने के लिए बार-बार घंटी बजानी पड़े। लगन तथा धैर्य से काम करने वाले सदस्य को विधान मण्डल में अपना योगदान करने हेतु वास्तव में बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय संसद में प्रक्रिया संबंधी कई विधियों का भी विकास हुआ है, जिनमें से कुछ परम्परागत हैं और कुछ नई, अर्थात् प्रश्न, आधे घंटे की चर्चाएँ, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान सूचनाएँ, अल्पकालिक चर्चायें, अनियमित दिन वाले प्रस्तावों की सूचनायें, नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाना, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प इत्यादि। इनके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा बजट पर वाद-विवाद के लिए सामान्य अवसर भी मिलते हैं जिनके जरिये सदस्य सदन में मामले उठा सकते हैं।

तथापि, यह स्पष्ट है कि सदस्य को केवल नियमों और प्रक्रियाओं का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है अपितु उसमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही प्रक्रिया चुनने की योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी न होने पर वह किस बात का भी उपयोग नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अति उत्तम हथियार हो तो उसे उस हथियार को चलाने का तरीका भी आना चाहिए। अत्याधुनिक हथियार होने पर तो यह और भी आवश्यक है। नियम भी इतने जटिल बन गये हैं कि व्यक्ति को उनके इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि संसदीय प्रथाओं, प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं द्वारा संसद की कार्यसंचालन शीघ्र और सुव्यवस्थित रूप से होता है और उनका अनुसरण करने से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है तथा सभी पक्षों के सदस्यों को सभा की समस्त कार्यवाही में अपना योगदान करने का अवसर मिलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सदस्य सदन के भीतर सभी नियमों तथा प्रथाओं का पूर्णतः पालन करें और अध्यक्षपीठ के निदेशों तथा विनिर्णयों को मानें। इसके अलावा सदस्य को समय का सदा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि संसद के प्रत्येक मिनट का उपयोग प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए हो सके और इसके लिए उसे अनुशासनबद्ध होना और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा। अनुशासन, सहनशीलता तथा शालीन व्यवहार से संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ती है और उसे शक्ति प्राप्त होती है। विधायकों के लिए एक स्वतंत्र लोकतंत्रीय समाज में सामाजिक नेताओं के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने तथा निभाने के लिए यह उचित समय है। उनके कार्यों से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। जब तक प्रतिनिधि सदन में अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तब तक छात्रों तथा कर्मकारों से अनुशासन की आशा नहीं कर सकते। विधायकों को अन्य लोगों के लिए एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। उर्दू में एक कहावत—

5. प्रभावकारी विधायक कैसे बनें—

1. विधान मण्डल के कार्य में भाग लेना
2. सरकार के कार्य-निष्पादन की छानबीन
3. प्रक्रिया नियमों की जानकारी तथा सदन से अनुशासन की आवश्यकता
4. विकासात्मक कार्यों में भाग लेना
5. जनता की शिकायतें दूर करना
6. परस्पर विरोधी मांगे
7. जनता को शिक्षित करना

1. विधान मण्डल के कार्य में भाग लेना—विधान मण्डल के अन्दर एक विधायक की प्राथमिकता भूमिका निश्चिय ही उसके कार्य में भाग लेना है। यदि उसे जनता तथा देश की भलाई के लिए अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभानी है तो उसे सभी उपलब्ध अवसरों का पूरा उपयोग करना चाहिए और सभा के विधायी वित्तीय तथा अन्य कार्य के सक्रिय भाग लेना चाहिए सरकारी नीति के निर्धारण में अपने विशेष ज्ञान, अनुभव और सूझबूझ का परिचय देना चाहिए और सरकार के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने तथा उसकी छानबीन करने और जनता की शिकायतें दूर करने में अपना

योगदान देना चाहिए। वास्तव में एक विचारशील तथ मेहनती सदस्य को विधानमण्डल में अपना योगदान देने के लिए अनगिनत अवसर प्राप्त हैं। राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर वाद-विवाद के लिए उपलब्ध सामान्य अवसरों के अलावा प्रश्न, आधे घण्टे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सूचना, अल्पकालिक चर्चा, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प, आदि जैसे प्रक्रिया संबंधी अनेक तरीके हैं जिनका उपयोग सदस्य सभा में मामले पटाने के लिए कर सकते है।

समय-समय पर नये कानून बनान पड़ते हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार पुराने कानूनों का संशोधन करना होता है। कानून बनाने के कार्य को रोजमर्रा का सामान्य कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। विधायकों द्वारा विधेयकों की समुचित छानबीन की जानी चाहिए तथा उनका गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उनमें संवैधानिक तथा कानूनी त्रुटियाँ न रहे और उनसे उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके जिसके लिए वे पेश किये जाते हैं। विधान बनाने में कार्य-पालिका के वर्चस्व के बावजूद इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि लोक प्रतिनिधि तथा सामाजिक समस्याओं के अनुसंधाता होने के नाते विधान की रूपरेखा तथा विषय-सूची तैयार करने में विधायकों की ही प्रभावी भूमिका अदा करनी होती है। सार्वभौम मतदान प्रणाली में, जहां लगभग 70 प्रतिशत मतदाता अनपढ़ हैं, यह आशा नहीं कि जा सकती कि लोक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास पर्याप्त कानूनी ज्ञान अथवा शैक्षिक अर्हताएं भी हों। परन्तु विधान मण्डल के सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक विधान का अध्ययन करे और उसके उद्देश्यों तथा प्रभाव के बारे में उसे जानकारी हो। बहुत अधिक पढ़ा-लिखा न होने पर भी, एक विधायक, यदि वह चाहे, अपने आपको इस लायक बना सकता है कि व कानूनी-निर्माता के रूप में कारगर तथा उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभा सके।

2. सरकार के कार्य-निष्पादन की छानबीन—सरकार के कार्य-निष्पादन की छानबीन के संबंध में विधायक की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है। आज कार्य-पालिका को व्यापक प्राधिकार, शक्ति तथा संसाधन प्राप्त है। विधान-मंडल को समय-समय पर यह देखा होता है कि क्या शक्तियों तथा संसाधनों का उचित तथा विवेकपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विधान मण्डल की समितियाँ होती हैं और उनका काम आलोचनात्क जांच करना होता है परन्तु ये समितियाँ भी तब तक कारगर ढंग से कार्य नहीं कर सकतीं जब तक कि सदस्य गहरी रुचि न लें।

अपने आपको प्रभावकारी बानाने के लिए विधायक को अधिकांश वाद-विवादों में भाग लेना चाहिए और तहकीकाती प्रश्न पूछकर तथा लोक महत्व के मामलों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करके सरकार को सदैव सतर्क बनाए रखना चाहिए। प्रभावी योगदान के लिए यह अनिवार्य है कि सदस्य को तथ्यों की पूर्ण जानकारी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुये, उसे सभी सम्भव बातों स्रोतों से सारी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। उनमें से अधिकांशतः बजट, व्याख्यात्मक ज्ञापनों, आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्री का भाषण, योजना परिव्यय आदि का गहरा अध्ययन किया जाना चाहिए। उसे अपने साथियों के विचारों की भी जानकारी होनी चाहिए।

3. प्रक्रिया नियमों की जानकारी तथा सदन में अनुशासन की आवश्यकता—प्रभावी भूमिका के लिए सदस्य को संविधान और सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। केवल यही नहीं, उसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही प्रक्रियात्मक तरीके चुनने के योग्य भी होना चाहिए। आज प्रक्रिया नियम अत्यधिक जटिल तथा सूक्ष्म हो गये हैं और विधायक को उनके प्रयोग की तकनीक की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

संसदीय प्रथाएं, प्रक्रियायें तथा परम्पराएं कार्यवाही को सही तथा शीघ्र पूरा करने और सभा के अन्दर कार्यवाही को दृढ़ता तथा कुशलता से पूरा करने के लिए और प्रत्येक पक्ष के सदस्यों को सदन के समझ कार्यवाही में अपना योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। अतः सदस्यों को प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और पीठासीन अधिकारी के निर्देशों तथा विनिर्णयों का पालन करना चाहिए। सभा की प्रथाओं, शिष्टाचार तथा परम्पराओं का पालन करना चाहिए। सभा की प्रथाओं, शिष्टाचार तथा परम्पराओं का अनुपालन और सभा के अन्दर उचित आचरण एक अच्छे विधायक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्य को समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे सभा के समय के प्रत्येक मिनट का उपयोग अत्यन्त कारगर तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से करना चाहिए। एक प्रभावकारी विधायक की एक अन्य विशेषता यह है कि वह केवल संगत विषय पर ही बोलता है।

4. विकासात्मक कार्यों में भाग लेना—हमारे जैसे विकासशील देश में स्वाभावतः विधायक को निर्वाचन-क्षेत्र स्तर, राज्य-स्तर तथा देश के स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों की ओर काफी ध्यान देना होता है। उसे निष्ठापूर्वक कड़ी मेहनत करनी होती है। जनता अपने प्रतिनिधि से अपेक्षा करती है कि वह उनके लिए कोई स्कूल खुलवाये या सड़क बनवाये या किसी सिंचाई परियोजना आदि की व्यवस्था कराये। किसी भी विकास-परियोजना के बारे में यदि ठीक समय पर अभ्यावेदन न किया जाए तो वांछित परिणाम नहीं निकल सकते।

अतः अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिले की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करना और प्राथमिकता के आधार पर कर्यो की सूची तैयार करना तथा कार्य सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए लड़ना विधायक के लिए अनिवार्य है। इस भूमिका को निभाने के लिए उसे जागरूक रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। श्रम, सहकारिता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों में विधायको की विशेषज्ञता होने पर वे अधिक उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

5. जनता की शिकायतें दूर करना—जनता निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों अथवा ग्रुपों की राजनैतिक मांगों पर विधान मंडल के सदस्य सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हैं तब उन्हें अथवा विधायी संस्थानों को अत्याधिक समर्थन प्राप्त होता है—(1) क्योंकि विधायक अपने मतदाताओं का प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा प्रवक्ता होता है, इसलिए उसे लोगों की शिकायतें दूर करने का माध्यम समझा जाता है। (2) जनसाधारण सहायता के लिए उसके पास आते है और उसे लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लोगों की ओर से सरकारी अधिकारियों से कहना-सुनना पड़ता है। एक विधायक के लिए सन्तुष्टि की इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की

जनता के कल्याण के लिए रचनात्मक योगदान देने में सफल हुआ है। (3) विधायक को जनता की शिकायतों के सवाल उठाने में अपना बहूमुल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विधायक को अधिकांश लोगों तथा उनकी आकांक्षाओं को समझा जाहिए।

6. इस बात की काफी संभावना रहती है कि विधायक के कार्यकरण के दौरान उसके सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब किसी मामले में वह अपने मतदाताओं यहां तक कि अपने दल, परस्पर विरोधी मांगों के हितों की भी राज्य अथवा देश के हितों से भिन्न समझता है। ऐसी परिस्थितियों में उसका क्या कर्तव्य है? एडमंड बर्क ने 200 वर्ष पहले प्रतिनिधिक लोकतंत्र में इन महती समस्या का निम्नलिखित शब्दों में सर्वोपयुक्त उत्तर दिया था—

अपने मतदाताओं के साथ घनिष्ट सम्पर्क और पत्र-व्यवहार रखना तथा उनके साथ बातचीत में स्वतंत्र और निश्छल होना किसी प्रतिनिधि के लिए प्रसन्नता तथा गर्व का विषय है... उसे आपके लिए किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की खातिर अपने विचारों, परिपक्व निर्णय तथा प्रबुद्ध चेतना की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए... आपका प्रतिनिधि आपके लिए केवल कार्य ही करता है, उसका निर्णय भी आपको स्वीकार करना चाहिए और यदि वह आपके विचारों के लिए अपने निर्णय की बलि चढ़ा देता है तो वह आपकी सेवा नहीं करता है अपने पद के प्रति, आपके प्रति विश्वासघात करता है।

जहां एक विधायक को समस्याओं का समाधान खूब सोच-समझकर तथा जितना अधिक वह कर सकता है, करना होता है वहां निजी स्वार्थ के समाप्त होने और राष्ट्रीय अथवा सामुदायिक हित आरंभ होने के बीच एक सीमा रेखा खींचना होता है। विधायक को राष्ट्रीय हित के लिए, संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना होता है, केवल कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। विधायक के मस्तिष्क में देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए और जब वह यह महसूस करे कि अमुक कार्य देश के हित में नहीं है तब उसे जनसाधारण के विचारों में बहने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व के दायित्व के बारे में गाँधीजी ने कहा था—

7. जनता को शिक्षित करना—संभावना किसी विधायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की आखें और कान बन जाना है। उसे लोगों का मित्र, दार्शनिक और मार्गनिर्देशक समझा जाता है। एक किसी निर्वाचन क्षेत्र से उसके निर्वाचित हो जाने पर, चाहे बहुत थोड़े मतों से ही हो, उसे अपने संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि समझा जाना चाहिए। उसे अपने समर्थकों और विरोधियों के बीच कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र की सेवा करने के लिए ही निर्वाचित हुआ है। उसे समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मामलों के बारे में जनता की शिक्षित करना होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ कहीं किसी विधान के परिणामस्वरूप कुछ लोगों को कठिनाई हुई हो वहां विधायक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनता को यह बताये कि अयुक्त विधान देश अथवा राज्य के हित में क्यों और कैसे अनिवार्य था। उसे न केवल अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ही अपितु साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण जैसे मामलों में भी लोगों को शिक्षित करना होता है। क्योंकि विधायक र्प्याप्त प्रभावशाली व्यक्ति होता है और उसका दर्जा ऊँचा होता है इसलिए उसकी बात का आदर किया जाता है परन्तु उसे जनता का विश्वास और सम्मान तभी प्राप्त हो सकता है जब वह सभी

लोगों को साथ लेकर चले, गुटबाजी और ओछी राजनीति में न फँसे। प्रभावकारी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए जानकारी का स्रोत होता है तथा उनका मार्ग-निर्देशक होता है। उसे जनता को शिक्षित करना होता है और करने के लिए/पहले स्वयं को ही शिक्षित करना होता है।

जनता द्वारा, कम-से-कम आंशिक रूप से अपने विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु, निर्वाचित सदस्यों के लिए यह मांग करने का अधिकार है कि उनके संसद संदस्यों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध की जाये, जिनके बिना किसी भी प्रबंधक अथवा व्यवसायिक व्यक्ति से कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती और वे सुविधाएं किसी कृत्रिम राजनीतिक कालावधि के लिए जैसे सत्र, अथवा उस समय के लिए जब कि सदन की बैठक चल रही हो, सीमित नहीं होनी चाहिए। जनता को अपने प्रतिनिधियों की अन्त सत्रावधि में भी उतनी आवश्यकता हो सकती है, जितनी कि सत्र के दौरान, ऐसी न्यूनतम सुविधायें संसद सदस्यों को किए जाने वाले भुगतान का उचित विस्तार मात्र है...

अनुसंधान और सूचना की सुविधा

विधायक के कार्य के लिए व्यापक रूप से संगत महत्त्व की सुविधा अनुसंधान और सूचना की सुविधा है। यह मूल तथ्य इस सुविधा की अनिवार्यता पर बल देता है कि संसदीय लोकतंत्र में वाद-विवाद द्वारा प्रशासन चलाने का प्रावधान होता है।

शिक्षाविद् और सांसद सभी इस बारे मे सहमत हैं कि आधुनिक विधायक द्वारा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन करने में प्रमुख बाधक कारण सूचना संबंधी समस्या है। सूचना जो ऐसे कार्य के लिए सदैव महत्वपूण होती है, लोक प्रशासन के बढ़ते हुए दायरे और दुरूहता के संदर्भ में आजकल और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में सूचना के व्यापक एवं तीव्र प्रसार को ध्यान में रखते हुये, प्रश्न सूचना के अभाव का नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों से अनेक विषयों पर बहुत अधिक सूचना उपलबध है। विधायक के पास समय का बड़ा अभाव रहता है और बड़ी संख्या में उसे भेजे जाने वाले पत्रों को देखने का उसके पास धैर्य नहीं होता। आज का विधायक चाहता है कि उसे ठीक समय पर और निश्चित आकार में केवल संगत अथवा सही किस्त की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक विधायक की अपनी पृथक्-पृथक् सूचना संबंधी आवश्यकतायें हैं इसलिए सूचना संबंधी समस्या केवल सूचना उपलब्ध कराने की समस्या नहीं है, यह चयनात्मक आधार पर सूचना के प्रबंध की समस्या है।

विधायक की सूचना के अनेक स्रोत हैं, परन्तु आधुनिक सरकार का सूचना पर एकमात्र एकाधिकार होने की वजह से अधिकांश विधान मण्डलों और विधायकों को विशेष रूप से विकासशील देशों में अपनी सूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए कार्यशाला के विभागों पर बहुत अधिक आश्रित रहना पड़ता है। यद्यपि इस जानकारी को कुशलतापूर्वक संकलित और परिष्कृत किया जाता है, परन्तु यह जानकारी जाने या अनजाने प्रायः सरकार के लक्ष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण अथवा विकृत हो सकती है और उसे सदैव तथ्यात्मक अथवा निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। जनता धनी, निहित स्वार्थ वाले वर्गी, समर्थकों आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी तो और भी कम तथ्यात्मक

अथवा कम निष्पक्ष होती है। इसलिए विधानमण्डल के लिए अपने स्वयं के संस्थागत सूचना स्रोत, स्वतंत्र सूचना भण्डार और विश्लेषण प्रक्रियाओं का विकास करने की आवश्यकता है। विधान मण्डल ग्रन्थागार और अनुसंधान तथा सूचना सेवाओं के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रस्ताव है, जिनका विधायक सभी संगत तथ्यों के सन्तुलित, निष्पक्ष और सही प्रस्तुतीकरण के लिए आश्रय ले सकते हैं।

विधायी संदर्भ सेवा (एल.आर.एल.) की सूचना प्राप्त करने, विश्लेषण करने, संगठन और प्रसार के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक विधायकों की सूचना समस्या का समाधान करने के अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उन्मुख होना चाहिए। उपलब्ध की गई जानकारी पहले से तैयार होनी चाहिए और यह सुबोध और तत्काल उपयोग में आ सकने योग्य रूप में होनी चाहिए। यह सर्वाधिक महत्व की बात है कि विधायी संदर्भ सेवा जो सामग्री उपलब्ध करे, वह व्यापक वृहद संकलन, दुर्बोध सांख्यिकी विवरण अथवा विद्वतापूर्ण लेखन हो, बल्कि एक अत्यन्त सरल-सुलभ रूप में सारभूत सूचना हो। विरोधी संदर्भ सेवा का उद्देश्य न्यूनतम समय में, न्यनतम मात्रा में और बढ़ी हुई संसदीय कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता के रूप में तत्काल परिणाम प्रदायी क्षमता के साथ सूचना उपलब्ध करना है। विधायी संदर्भ सेवा द्वारा किए जाने वाले सभी अनुसंधान और संदर्भ कार्य के लिए निष्पक्षता, शुद्धता, प्रमाणिकता, यथार्थता और तत्परता पाँच प्रमुख प्रतिमान हैं।

विधायी संदर्भ सेवा, एक बड़ी हद तक प्रत्येक राष्ट्र की विकास और राजनैतिक संस्कृतिक के स्तर, समाजिक आर्थिक संदर्भ द्वारा अवस्थापित होती है। सदस्यों के लिए अन्य सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था की तरह ही, अल्प विकसित और अति विकसित राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थायें संसाधनों, विधायी संदर्भ सेवा के संगठन, दायरे और स्वरूप और सूचना प्राप्ति तथा प्रसार पद्धतियों में अन्तर के माध्यम से अपनी स्वयं की बाधायें बड़ी कर लेती हैं। अति विकसित राष्ट्र के लिए जो चीज पूर्णतः वांछनीय हो सकती है, वह अनेक विकासशील राष्ट्रों के लिए वांछनीय हो सकती है, तथापि, अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में विधायकों की सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उपयुक्त विधायी संदर्भ सेवा उनके लिए एक निश्चित आवश्यकता है। द्रुत सामाजिक परिवर्तन और तीव्रतर आर्थिक विकास की आवश्यकता वैयक्तिक कर्मचारी-वर्ग की सहायता के पूर्ण अभाव अथवा लगभग पूर्ण अभाव और विधान मण्डल सचिवालयों में तथा विकासशील राष्ट्रों की समितियों में प्रशिक्षित व्यावसायिक कर्मचारियों की अपर्याप्तता—इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक विकसित और कुशल विधायी संदर्भ सेवा की वांछनीयता सिद्ध होती है।

कर्मचारियों में विषय आवश्यक विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता का विकास करने की दृष्टि से, विधायी संदर्भ सेवा को प्रमुख विषय प्रभागों में विभारित करना क्रियात्मक दृष्टि से प्रायः सुविधाजनक पाया गया है। इस प्रकार संविधान और विधि अर्थशास्त्र एवं वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के लिए पृथक् प्रभाव अथवा एकक हो सकते है। एक अन्य संभव तंत्रकार्यकारी संगठनों अथवा सरकारी विभागों के ढांचे के अनुरूप हो सकता है। अर्थात् ऐसे विभाग अथवा विभागों के समूह के लिए विधायी संदर्भ सेवा में एक सगंत हो सकता है।

इससे सूचना संगठन, संग्रह, प्राप्ति और प्रसार के लिए विधायी संदर्भ के साधन और सेवाओं का प्रश्न उपस्थित होता है। साधनों का एक समूह वर्तमान ग्रन्थालय संकलन और पुस्तक सूचियाँ और सरकारी विभागों तथा संगठनों से उपलब्ध होने वाली सूचना और साम्रगी है। जबकि दूसरा समूह और अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण समूह-विधायी संदर्भ सेवायें स्वयं हैं। वे बेहतर विधायी संदर्भ सेवाओं के लिए माध्यम तथा विधायी संदर्भ के रूप में स्वयं अथवा विधायी संदर्भ सेवा के अंतिम उत्पादों के रूप में महत्वपूर्ण है। इनमें .... सामग्री और उपकरण, समाचार पत्र, ... के फोल्डर, संदर्भ अथवा विषय संबंधी फाईलें, विशिष्ट जानकारी वाली (पाद टिप्पणी सहित) संदर्भ ग्रन्थ सूचियाँ, सारांश, महत्वपूर्ण पुस्तकों, सांख्यिकीय ज्ञापन, समाचार सार संग्रह, प्रस्तावित विधीन का विश्लेषण, वर्तमान समस्याओं पर लेख और अभिलेखों का अध्ययन, संदर्भ टिप्पणी आदि है।

उपसंहार

''खुद मियां फजीहत, और लोगों को नसीहत।''

गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है—

यद् यदायचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरी जनः स यत्प्रमाणां कुरूते लोकस्त दनुवर्तते।

अर्थात् श्रेष्ठ पुरूष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरूष भी उसके ही अनुसार करते हैं, वह पुरूष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार बर्तते है।

एक और भी लोकोक्ति है—

''महाजनी येनगतः संबंधा''

अर्थात् महापुरूष जिस पथ पर चलते है अन्य लोग भी उसी पथ पर अनुसरण करते है।

विधायकों को यह सिद्ध करना होगा कि ईश्वर ने उनको जो अवसर प्रदान किया है वे उसके योग्य हैं। उनको स्वार्थ-त्याग का उदाहरण पेश करना होगा। उनको यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु सेवा करने के लिए आना चाहिए और सेवा भी पूरी योग्यता, निष्कापटता और ईमानदारी से करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति की कोई दूसरी मंशा हो, उसे कोई अन्य कार्य करने देना चाहिए किन्तु ईश्वर के लिए उसको इस पावन सदन में नहीं आने देना चाहिए। हमें सही चेतना का विकास करना होगा और जिस बात की हमसे अपेक्षा की जा रही है वह बात करनी होगी।

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदस्य सभा में अपना पूरा योगदान न कर सके। संसदीय समितियाँ सदस्यों को अपने संसदीय जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए काफी अवसर प्रदान करती हैं। राजनैतिक दल विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों को उनकी रुचि, अनुभव और विशेष हितों को ध्यान में रखकर नामांकित करके एक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक ही समिति का काफी समय तक सदस्य बने रहने से सदस्यों को विचाराधीन विषयों के बारे में विशेष ज्ञान हो सकता है।)

सब का उद्देश्य ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना है जिससे लोगों के लिए पूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जा सके। हर सदस्य दस लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन सब पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उनकी सफलता उनके निजी ज्ञान, परिश्रम की आदत,

उपलब्ध संसदीय अवसरों का उपयोग करने की क्षमता और लोग सेवा के लिए प्रतिनिधि संस्था में उनकी आस्था पर निर्भर करती है। पर विचार-विमर्श करती है तब वे अधिकारी समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण सहायता देते हैं।

कोई भी संस्थान किस प्रकार कार्य करता है, वह निःसन्देह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिनके अन्तर्गत उसका कार्य किया है। जब तक विधायकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न कराई जाएं, तब तक उनके कार्यकरण की परिस्थितियों को कार्यकुशल नहीं माना जा सकता। तथापि अन्ततोगत्वा किस ीभी विधायक की प्रभावशीलता उस गम्भीरता पर निर्भय करती है, जिससे वह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संभालता और जनता की विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की कठीनाईयों और शिकायतों को किस प्रकार प्रभाव ढंग से अधिकारियों की जानकारी में लाने में समर्थ होता है तथा समस्याओं के प्रति समयानुकूल और रचनात्मक समाधान निकालने के लिए कार्यपालिका को प्रभावित करने तथा सामान्य रूप से जनता के प्रति कार्यपालिका के अपने उत्तरदायित्व को महसूस कराने में समर्थ होता है। विधायकों के अपने कन्धों पर भारी उत्तरदायित्व है। कितनी सफलतापूर्वक वे इसका निर्वहन कर पाते हैं, यह उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात् उनके ज्ञान, कठोर परिश्रम की आदत, उपलब्ध संसदीय अवसरों को उपयोग कर सकने की क्षमता और अन्ततः जनता की सेवा के एक साधन के रूप में प्रतिनिधि संस्था में उनके विश्वास पर निर्भर करता है।

संदर्भ—

1. संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो तथा भारतीय संसदीय ग्रुप द्वारा 28 अगस्त 1981, पर आयोजित विचार गोष्ठी पर आधारित।
2. संसदीय पत्रिका (मध्य प्रदेश) दिसम्बर 1981
3. पीपुल, पार्लियामेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
4. आई. सी. पी. एस. दि स्टेट लेजिस्लेटर विधायकों के लिए पुनश्चर्चा, गोष्ठी पर आधारित
5. ए. शंकर रेड्डी, संसदीय निकायों में वाक्पटुता की कारगरता
6. जीएस.स्वैल, पोजीशन, रोल एण्ड इन्फार्मेशन नीड्स आफ लेजिस्होर्व्स, जनरल आफ पालियर्मेन्टरी इन्फार्मेशन
7. इन्टर पार्लियोमेन्ट्री यूनियन पार्लियामेंट्स आफ वर्ल्ड रू रेफ्रेस कम्पेडियम 1976
8. सुभाष कश्यप, संसद सदस्यों के लिए सूचना संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन पत्रिका
9. जनरल आफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज अप्रैल-जून 1973

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

भगवती चरण वर्मा की कहानी वसीयत व प्रायश्चित में मानव प्रकृति की गहरी परख एवं वर्तमान स्वरूप

उमेश कुमार (निराला)*

हिन्दी साहित्य के सशक्त कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कहानी स्वरूप की सजीवता पाठकों के हृदय को मुग्ध-सा कर देती है। क्योंकि वर्मा जी ने अधिकतर समस्या प्रधान एवं विचार प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। कहानी के पात्रों के चरित्र एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप अपनाये हुए हैं। वर्मा जी की कहानी 'वसीयत' में तो मानव-मन का जो स्वरूप दिखाया है वह अपने आप में एक गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्ति का व्यक्ति से रिश्ता सिर्फ स्वार्थ हेतु है। गर हमारा स्वार्थ अमुक व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति से हम एक दिखावटी प्रेम का नाटक करते हुए उससे जुड़ते हैं। जैसा कि आचार्य चूणामणि मिश्र अपनी मृत्यु से वसीयत को लिखना आवश्यक समझ कर अपनी वसीयत लिखते हैं ताकि उनके मरने के बाद परिवार के सभी सदस्य आपसी झगड़े में न पड़ें। समरसता बनी रहे।

वसीयत का प्रथम अनुच्छेद जब प्रारम्भ होता है उस समय परिवार के सभी सदस्य बहुत ही तल्लीनता से वसीयत के सार को सुनने के लिए आतुर रहते हैं।

प्रथम अनुच्छेद प्रारम्भ होता है—''मैं चूड़ामणि आदेश देता हूँ कि मेरा अन्त्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो। अपने अन्त्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 रुपये अपनी अलमारी में अलग निकाल के रखे हैं जो क्रिया-कर्म का व्यय काटकर मेरा अन्त्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद है कि मेरे दोनों पुत्र नास्तिक एवं अधर्मी हैं।...

मेरा अन्त्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किया हो जिसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने यह शर्त पूरी नहीं की तो नीचे लिखे नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से यज्ञोपवीत और शिखा धारण ही करने वाला मेरा अन्त्येष्टि संस्कार कर सकेगा...।

लालमणि की ओर देखकर जोशी जी बोले—''क्यों चिरंजीव लालमणि तुम्हारे चोटी-बोटी है की नहीं और यज्ञोपवीत पहनते हैं के नहीं?''

लालमणि— चुटइया रखके कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया।

जोशी— तब तो पचास हजार रुपये गये हाथ से।

तुम अन्त्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो।

* एम.ए. संस्कृत, हिन्दी, नेट, जनता इण्टर कालेज, जुनावइ, सम्भल (उ.प्र.)-243722, मोबाइल : 9719922411, 8650431890

जब जर्नादन जोशी ने देखा कि यज्ञोपवीत और शिखा छोटे नीलमणि में भी नहीं है और चचेरे भाईयों में भी यह शर्त पूरी नहीं हो सकती तो बोले—

''लालमणि हमारी सलाह मानो, तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो तो चार या आधी इंच की चोटी निकल ही जायेगी और लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना।''

(लालमणि तीर की तरह बाहर निकला।)

उपर्युक्त कथनों से मानव के अन्तर्मन में निहितार्थ को समझा जा सकता है। स्वार्थपरता एवं धनलोलुपता का स्वरूप लालमणि के मन में प्रकट होता है। 50000 रु. के कारण लालमणि का नाई की दुकान पर जाना और वहाँ से जनेऊ खरीदना वर्मा जी ने मनुष्य के अन्दर निहित भावना का चित्रण किया है।

आज के वर्तमान स्वरूप में भी ऐसी ही धनलोलुपता समाज के सभी वर्गों के मनुष्य में व्याप्त है। पैसे के लिए मानवता को तुच्छ एवं मजाक समझ बैठा है। पैसा देकर बड़े-से-बड़े जघन्य कार्यों को कराया जा रहा है। पिता-पुत्र के प्रेम के बीच में भी कीमत बढ़ जाने से पितृभक्ति जैसे पावन रूप नष्ट हो रहा है।

वसीयत के तीसरे अनुच्छेद में जब लिखा गया कि दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी को छः महीन तक नित्यप्रति प्रातः स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन करायेगी तो लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्रा ने तमक कर कहा—

''जाड़े में प्रातः स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला। बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती।''

किन्तु जब आगे लिखा हुआ था कि ऐसा करने वाली स्त्री को 25000 रु. की रकम मिलेगी तो मधुरिमा मिश्रा और नीरजा मिश्रा दोनों बहुओं में यह शर्त पूरा करने की एक होड़-सी लग गयी और वे दोनों एक-दूसरे पर आक्षेप भी लगाने लग गयी।

लेखक ने मधुरिमा मिश्रा एवं नीरजा मिश्रा के अन्तर्मन के यथार्थ विचारों को स्पष्ट किया है। जो वर्तमान में स्पष्ट दिखाई देता है। वर्तमान समय में परिवार की मुख्य धुरी स्त्री के विचार व्यक्तिगत हित का हो गया है। देवरानी-जेठानी का आपस में मन-मुटाव एवं टकराव का मुख्य कारण धन है, व्यक्तिगत हित है। इससे परिवार का रूप जो कभी संयुक्त होता था वह अब एकाकी होता चला जा रहा है। सांस्कृतिक स्वरूप बदलने में यह प्रमुख कारण है।

वसीयत कहानी में लेखक ने परिवार के एक-एक सदस्यों के स्वार्थपूर्ण विचारों को स्पष्ट ही किया है, साथ-ही-साथ पति-पत्नी, जो एक-दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। इनके बीच में भी धन के भयानक परिणाम को व्याख्यायित किया है कि रुपये ने पति-पत्नी के प्रेम संबंधों को कहीं एक कोने में ठेल दिया है। यथा—अनुच्छेद चार इस प्रकार है—

''मैं चूणामणि मिश्र अपनी पत्नी जशोदा से जीवन भर पेरशान रहा। अत्यन्त आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है वह। मैंने दालभात एवं सत्तू खाकर जीवन बिता दिया लेकिन यह हरामजादी मुझसे छिपाकर प्रायः नित्य ही रबड़ी-मलाई और मिठाई खाती है।''...।

(बीच में ही जशोदा देवी ने चिल्लाया-)

''हाय राम! यह सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबीस आदमी के पल्ले मैं पड़ गयी... इसे नरक में भी जगह न मिलेगी, घर वालों को सता-सताकर धन जमा इकट्ठा करता रहा... नाश हो इसका।''

यह सुनकर लालमणि ने कहा—

''अम्मा! पिता जी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िये।

जोशी जी ने चौथे अनुच्छेद का शेष भाग पढ़ा—

''मेरी मृत्यु के बाद इस राँड़ को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो अपनी जोरूओं के गुलाम हैं। यह मेरी पुत्र-वधुएँ इसे भूखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जशोदा के नाम दो लाख रुपये छोड़ता हूँ। जिसके ब्याज पर यह मजे से जिन्दा रह सकती है।''

इसके बाद तो स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा खड़ा हो गया। जशोदा देवी— हाय लालमन के पिता! कह कर जमीन पर गिर पड़ी, जब बेहोशी के बाद होश आया तो रोने लगी— ''तुम तो स्वर्ग में चले गये लालमन के पिता... हमें इस नरक में छोड़ गये। हमें क्षमा करो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया... हाय लालमन के पिता...!!''

(और खूब चिल्ला-चिल्लाकर अपनी छाती पीटना आरम्भ कर दिया)

लेखक ने उपर्युक्त कथनों में पति-पत्नी में अर्न्तगत में छिपे हुए विचारों को स्पष्ट किया है जो शायद पास-पास रहते हुए भी जीवन-पर्यन्त एक-दूसरे से कुछ खिन्न-सा रहे हैं। दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग विचारों से युक्त जीवन जी रहे हैं। जबकि ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं हो पाता है। कष्टमय हो जाता है। आपस में दूरियाँ बढ़ जाती हैं। वर्तमान में इन पति-पत्नी के विरोधी विचारों का स्वरूप भयानक रूपों में है। आज के ज्यादातर दाम्पत्य जीवन की परिस्थितियाँ विचारों में सामंजस्य न होने से कड़वाहट रूप धारण की हुई हैं। कुछ पत्नी अपने पति को पति देवता नहीं बल्कि पैसा के देवता रूप में मान्यता से जीवन जीना चाहती हैं और पति भी पत्नी पर अविश्वासी होता दिखायी दे रहा है जो कि समाज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण दाम्पत्य जीवन मधुरमय नहीं हो पा रहा है। आज दोनों में समन्वय की आवश्यकता है।

वसीयत कहानी में आचार्य चूणामणि मिश्र के माध्यम से परिवार के सदस्यों में सामजस्य बनाने एवं सदस्यों की मनःस्थिति का ध्यान रखते हुए वसीयत का रूप बनाया गया है।

कहानी लेखक वर्मा जी ने परिवार के सभी सदस्यों के मनःस्थिति को व्यक्त कराने में सक्षम हैं।

सगी पुत्रियाँ एवं दमाद भी पैसे के मोह में आपसी मनमुटाव एवं लड़ने-झगड़ने लगते हैं। परिवार के हर एक सदस्य आन्तरिक भावों की परख को लेखक ने आचार्य चूणामणि मिश्र के माध्यम से चित्रित किया है।

जब छोटी लड़की सौदामिनी के पति ने समझा कि जयनारायण तिवारी (उनके साढू) के द्वारा आचार्य का मन भरे जाने से सौदामिनी को वसीयत से कुछ नहीं मिलने वाला है तो सौदामिनी के पति संजीवन पाण्डेय ने लपककर जयनारायण तिवारी का गला पकड़ कर गाली देने लगा—

''क्यों बे सूअर के बच्चे! हमारे यहाँ आते ही स्कॉच व्हिस्की माँगता और पीछे चुगली करता है।''

(जयनारायण तिवारी गो-गो कर रहे थे)

यहाँ तक कि कथा जब आगे बढ़ी कि—''सौदामिनी को भीख माँगने की नौबत न आये इसलिए उसे डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था करता हूँ...

सौदामिनी किलक उठी—

''धन्य हो पिताजी तुम निश्चिय ही स्वर्ग में जाओगे।''

भतीजे जगपति मिश्र और श्रीपति मिश्र भी पेसे के लिए लालायित रहते हैं। लोकपति मिश्र ने कहा—

''चाचा जी का ओदश शिरोधार्य है लेकिन''

यह रकम बहुत कम है।''

उपर्युक्त विचारों का स्वरूप वर्तमान में भी है। आज का मानव धनलोलुप है। सभी रिश्ते पैसे के ऊपर अस्तित्व बनाये जा रहे हैं। मानवता एवं समरस्ता नष्ट हो रही है। मर्यादा खण्डित है। अतः विश्व में भयावह स्थिति बन गयी है। यथार्थ रूप से कहा जा सकता है।

''पैसे की पहचान यहाँ, इसान की कीमत कुछ भी नहीं।

चल निकल चलें इस दुनियाँ से, करता मोहब्बत कोई नहीं।।''

जबकि परिवार का गरिमामय रूप होता है—

''कुटम्ब वह मणि दीप है, दिखे कान्ति जहँ प्रीति।

मरना-जीना स्वजन हित, लिए कुटुम्ब सुरीति।।''

(वर्तमान समय में इस सुझाव की परम आवश्यकता है।)

प्रायश्चित

कहानी का भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी कहानी में वर्तमानकालीन समाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इस कहानी में मानव स्वभावों का यथार्थ चित्रण किया गया है। एक बिल्ली की मरी हुई छोटी-सी किन्तु मार्मिक घटना को लेखक ने पाठकों को हृदय में सजीवता एवं उत्सुकता का भाव समावेशित किया है। अतः कहा जा सकता है कि उन्होंने ''गागर में सागर भर दिया है।''

मनोवैज्ञानिकता इस कहानी का प्राणतत्व है जो पात्रों के संवादों में प्रकट होता दिखाई देता है। सभी संवाद समय एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं।

प्रायश्चित कहानी में मनोवैज्ञानिकता का एक स्वरूप—''रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोरचाबन्दी हो गयी और दोनों सतर्क।''

(बिल्ली के मर जाने के बाद रामू की बहू अपराधिनी की भाँति सिर झुकाये बातें सुन रही है।)

महरी— ''अरे राम, बिल्ली तो मर गयी, माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गयी यह तो बुरा हुआ।''

मिश्रारानी बोली— ''माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनायेंगी जब तक बहू की सिर हत्या रहेगी।''

सास जी बोली— हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाये, तब तक न कोई पानी पी सकता है और न कोई खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला?

महरी— ''फिर क्या हो, कहो तो पण्डित जी को बुलाया जाये।''

सास की जान में जान आयी, बोली— ''अरे हाँ जल्दी से दौड़कर पण्डित जी का बुला ला।''

उपर्युक्त संवादों में मानव स्वभाव की गहर परख दिखायी पड़ती है। हमारी भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का रूप दिखाई पड़ता है।

इस कथन से यह विदित होता है और बिना शुद्धि कराने से सिर से हत्या नहीं हटती और शुद्धि के लिए किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाया जाता है। यह परम्परा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दिखायी देता आ रहा है।

कहानी में बिल्ली के मरने के समाचार को सुनकर पंडित परमसुख चौबे प्रसन्न मुद्रा में होते हुए बोले— (पत्नी से)

''भोजन न बनाना लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।''

इस उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में ज्योतिषी एवं धर्म के उपदेशक ब्राह्मण पंडित कितने लालची एवं धन लोभी होते थे। शायद धर्मकथा सुनाना, भाग्य रेखा देखना उनका मुख्य व्यवसाय था। वर्तमान समाज में भी ऐसी ही स्वरूप चारों तरफ दिखाई देता तथा हर तरफ विद्यमान है।

कहानी में—''पंडित परमसुख चौबे ने पन्ने पलटे, माथे पर हाथ लगया और कुछ सोचा। नाक सकोड़ी.... अरे राम! हरे कृष्ण! बड़ा बुरा हुआ प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में बिल्ली की हत्या! घोर कुम्भीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ यह तो बड़ा बुरा हुआ।''

यहाँ पर किसी ढ़ग से ज्योतिषी एवं धर्म आचार्य बातें बनाकर अपनी बातें सिद्ध करते हैं और उसका प्रभाव तत्काल जनमानस पर भी पड़ता है, इस मानव स्वभाव का चित्रण लेखक ने बड़ी गहराई से किया है।

ऐसा ही उदाहरण आगे है—

रामू की माँ—''अरे बाप रे इक्कीस तोला सोना! पंडित जी यह तो बहुत है तोलाभर की बिल्ली से काम न चलेगा।''

परमसुख चौबे—''रामू की माँ एक तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया! बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं।''

किसनू की माँ—''पंडित जी ठीक कहते हैं.....

बड़े पाप के लिए खर्च भी चाहिए।

छन्नू की दादी—दान-पुण्य से ही पाप कटते हैं, किफायत ठीक नहीं।

परमसुख चौबे—रामू की माँ, एक तरफ बहू के लिए घोर कुम्भीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा-सा खर्च, सो उससे मुहँ न मोड़ो।

रामू की माँ—अब तो नाच नचाओगे तो नाचना ही पड़ेगा।

(पंडित परमसुख बनावटी पोथी पन्ना पलटते हुए नराज यहाँ पर स्पष्ट है कि धर्मभय के कारण मनुष्य किस तरह ढोंगी महात्माओं के चंगुल में पड़ जाता है। कुछ लोग न चाहते हुए भी ज्योतिषी के जाल में फंस ही जाते हैं। धर्म का इतना भय प्रभाव नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में आये दिन ऐसे ही अनेक खबरें अखबारों में भी छपती हैं। हमारा ज्यादातर जनमानस ऐसे बाबाओं के प्रभाव में पड़कर अपनी सम्यक् उन्नति नहीं कर पा रहा है।

लेखक ने कहानी में परमसुख चौबे के माध्यम से ऐसे मानव स्वभाव वाले ढोंगी बाबा जो जनता को लूट रहे हैं उनका सम्यक् चित्रण किया है—

परमसुख चौबे—''इक्कीस दिन के पाठ के 21 रु0 और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही पड़ेगा। कुछ रूककर.... सो मेरे अकेले भोजन करने से पाँच ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जायेगा।''

मिश्रारानी—(मुस्कराकर) ''बात ठीक है, पंडित जी की तोंद तो देखो।''

अंततः परमसुख चौबे कहते हैं कि रामू की माँ अब ग्यारह तोला सोना निकालो मैं अभी 2 घंटे में बिल्ली सोने की बनाकर लौटा दूंगा और पूजा की सारी व्यवस्था तब तक बनाकर रखो, ठीक उसी समय महरी ने आकर सूचना दी कि ''बिल्ली तो उठकर भाग गयी।'' तो उपस्थित सभी लोग हक्का-बक्का रह जाते हैं।

इस प्रकार से इस कहानी में परमसुख की बनावटी ज्योतिष विद्या का जाल खुल जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।

लेखक ने तत्कालीन समाज की समाज की सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ रूप से चित्रण किया है। मानव स्वभाव के प्रतिबिम्ब को सम्यक् रूप से व्याख्यायित किया है। जिसका रूप वर्तमान भारत ही नहीं पूरे विश्व समाज से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज आवश्यकता स्पष्ट स्वतन्त्र चिंतन की।'' आध्यात्मिक स्वानुभूति की मानसिकता की। ढोंगी महात्माओं एवं बाबाओं के गढ़े जाल से बचने की तभी जाकर समाज का आध्यात्मिक एवं मानसिक सुधार हो सकता है।

अतः प्रख्यात कहानीकार भगवती चरण वर्मा एक यथार्थ कहानीकार के रूप में अपनी पहचान हिंदी साहित्य में बनाकर आलोकित हैं। इनको मानव स्वभाव, विचारों की सम्यक् एवं गहरी परख है। इस चित्रण में पूर्णतः सिद्धहस्त है जो यथार्थ ही है।

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

कालिदास का नदी प्रेम एवं मानव कल्याण

अंजलि जाटवा

आदि काल से ही तपःपूत मनीषियों द्वारा चिन्हित किये गये तीर्थ भारत की सांस्कृतिक एकता के द्योतक हैं। दक्षिण भारत के निवासी प्रयाग, हरिद्वार, काशी, अमरनाथ आदि तीर्थों के दर्शनार्थ उत्तर भारत आते हैं। इसी प्रकार उत्तरी भारत के निवासी रामेश्वरम् आदि तीर्थों के दर्शनार्थ दक्षिण भारत जाते हैं। हिन्दू सम्पूर्ण देश में निवास करते हैं। पवित्र जलों के आवाहन के निमित्त, प्रतिदिन स्नान के समय की जाने वाली प्रार्थना में भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की समस्त प्रमुख नदियों का उल्लेख किया जाता है। जैसे–

"गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।"

प्रत्येक आर्य (हिन्दू) की यह आकांक्षा रहा करती है कि वह उपर्युक्त नदियों में स्नान करे और तीर्थयात्रा करे।

नदियाँ

नदियों के अन्तर्गत महाकवि की रचनाओं में गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, कावेरी, लौहित्य, नर्मदा, गोदावरी, ताम्रपर्णी, कपिशा, सिन्धु, शिप्रा तथा शरावती आदि नदियों का विस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है। यथा–

(1) गंगा–आर्यावर्त की समस्त नदियों मे गंगा नदी को पुनीततम नदी माना गया है। महाकवि कालिदास के काव्यों में गंगा की महत्ता को इस प्रकार प्रतिपादित किया है–

गंगा सबके दुःखों को मिटाने वाली, सीढ़ी बनाकर भक्तों को स्वर्ग पहुँचाने वाली तथा मोक्षदायिनी है। मुक्तिमार्ग की यह देवी बड़े–बड़े पापों को दूर कर, कठिनाइयों का निवारण करने वाली है। यह गंगा शंकर जी की जटाओं में निवास करती है तथा पापों का प्रक्षालन कर विषयी लोगों के वंश को भी मुक्ति दिलाने वाली है। भगवान् विष्णु के चरण धोने के जल से उत्पन्न होकर ब्रह्मलोक से अवतरित होती हुई यह गंगा अपनी तीन धाराओं से तीन लोकों को निरन्तर पवित्र करती रहती है। गंगा सबका कल्याण करने वाली, परम पवित्र तथा त्रिविध तापों और पापों का समन करने वाली है।[1]

इसी गंगाजल के पावन स्पर्श से राजा सगर के साठ हजार पुत्रों ने उद्धार प्राप्त किया और वे सीधे स्वर्ग को चले गये। यथा–

शोध छात्रा, महर्षि पाणिनि वैदिक एवं संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0)

स पूर्वजानां कपिलेन रोषाद्, भस्मावशेषीकृतविग्रहाणाम्।
सुरालयप्राप्ति निमित्तमग्मस्त्रै, स्रोतसं नौलुलितं ववन्दे।।[2]
'शम्भोरम्भोमयी मूर्तिः सैव देवी सुरापगा'[3]

हिमालय भी अपने सिर पर गिरने वाली गंगा की धारा से अपने को पवित्र मानता है।[4] इसी पावन गंगा के तट पर पैर के अँगूठे पर खड़े होकर सूर्य की और नेत्रों से देखते हुए ब्रह्मर्षि जप करते हुए ब्रह्म चिंतन में लगे हुए थे।[5] मुक्तिदायिनी इस गंगा का दर्शन भी सौभाग्य से प्राप्त होता है, अतः राजा कुश ने नावों के चलने से चंचल जल वाली गंगा को श्रद्धा के साथ प्रणाम किया।[6]

रघुवंश में 'प्रतीपगाम्'[7] शब्द के द्वारा गंगा के उत्तर–भाग का कथन किया गया है। गंगा को 'जाह्नवी' भी कहा जाता।[8] जन्हु ऋषि के द्वारा इसका पान कर दाहिने कान से बाहर निकाल दिये जाने के कारण ही इसको जाह्नवी भी कहा जाने लगा।[9] राजा भगीरथ अपने तपोबल से इस गंगा को पृथिवी पर लाये थे। अतः इसको भागीरथी भी कहा जाता है।[10]

(2) यमुना

समूचे आर्यावर्त में गंगा की ही भाँति यमुना नदी को भी मोक्षदायिनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाकवि के काव्यों में यमुना को सूर्य की पूत्री 'कलिन्दकन्या' कहा गया है। यमुना का जल कृष्णवर्णीय है तथापि प्रयाग मे ंगंगा की धारा के मिलने पर यमुना का जल श्वेत मिश्रित नीलवर्ण दिखलाई पड़ता है–

यस्यावरोधस्तनचन्दनानां, प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले।
कलिन्दकन्या मथुरां गताऽपि, गोर्मिसंसक्तजलेव भाति।।[11]

(3) सरस्वती नदी

सरस्वती नदी भी अत्यन्त पवित्र नदी है। जैसा कि आधुनिक काल मे सरस्वती नदी के प्रवाहित होने के कतिपय चिन्ह ही उपलब्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार रघुवंश में भी सरस्वती नदी को अन्तर्जलस्थ कहा गया है।[12] सरस्वती नदी के अन्तर्जलस्थ होने का उल्लेख कवि ने पद्म–पुराण[13] की उस कथा की ओर संकेत किया है जहाँ सरस्वती नदी से वाडवाग्नि को पश्चिम के समुद्र मे ंफेंक देने के लिए कहा गया है। सम्भवतः यह उस ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके परिणामस्वरूप सरस्वती नदी अन्तर्हित हो गयी थी।

(4) सरयू नदी

महाकवि के वर्णनानुसार सरयू नदी इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की राजाधानी अयोध्या के समीप प्रवाहित होती थी। अश्वमेध यज्ञ के अन्त में सूर्यवंशीय राजाओं के द्वारा स्नान किये जाने के कारण सरयू नदी का जल पवित्र हो गया था।[14] अव्यक्त से उत्पन्न बुद्धि तत्त्व की

भाँति यह सरयू नदी मानसरोवर से निकली है (ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्त. मुदाहरन्ति–रघुवंश।[15] सरयू नदी के जल को सारव कहा गया है जो अत्यधिक स्वादिष्ट (मीठा) और पुष्टिकारण है।[16] सरयू नदी की महत्ता तथा पवित्रता का कारण रघुवंश[17] में कवि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है–

''जब भक्त–वत्सल राम विमान पर चढ़कर स्वर्ग चले गये तभी से सरयू को उन्होंने अपने अनुगामियों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया अर्थात् जो सरयू में स्नान करता था, वह तत्काल स्वर्ग चला जाता था।''

सरयू नदी के किनारे प्राणों का परित्याग करने वाला व्यक्ति देवयोनि को प्राप्त करता है, अतः राजा अज ने गंगा और सरयू के पवित्र संगम तीर्थ में अपना शरीर छोड़ा जिससे वे तत्काल देवता बन गये।[18] योगबल को जानने वाले लक्ष्मण ने भी अपने भाई राम की प्रतिज्ञानुसार 'सरयू' नदी के किनारे अपने शरीर का परित्याग किया था।[19] इस प्रकार महाकाव्यों में इस सरयू नदी को अत्यन्त सुन्दर[20] और महत्वपूर्ण तीर्थस्थल कहा गया है।[21]

आगे चलकर इस सरयू को 'गोप्रतर' नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि वहाँ स्नान कराने वालों की वैसी ही भीड़ होती थी, जैसी गौओं को पार कराते समय होती है; अतः इस सरयू का 'गोप्रतर' नाम सार्थक हुआ।

यद् गोप्रतर कल्पोऽभूत्संमर्दस्तत्र मज्जाताम्।
अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भुवि पप्रथे।।[22]

(5) नर्मदा नदी

गंगा के बाद भारत की पवित्र नदियों में नर्मदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। काव्यों में नर्मदा के लिए 'रेवा' शब्द प्रयुक्त हुआ है।[23] इसके दोनों तटों पर करंज के वृक्ष तथा बिसलताएँ पायी जाती थीं।[24] रेवा अर्थात् नर्मदा के तट पर स्थित माहिष्मती नगरी अनूप देश की राजधानी थी।[25] नर्मदा का जल अत्यधिक पवित्र माना जाता था, अतः राजा अज ने उस जल से आचमन किया।[26]

(6) गोदावरी नदी

गोदावरी दक्षिण में पायी जाने वाली एक पुनीत नदी है। रघुवंश में गोदावरी नदी के तट पर सुशोभित बेतों के निकुंज[27] तथा अठखेलियाँ करते हुए सारस[28] पक्षियों के समुदायों का उल्लेख हुआ है।

(7) कावेरी नदी

कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। रघुवंश में राजा रघु की दिग्विजय के प्रसंग में कावेरी नदी का उल्लेख हुआ है–

कावेरी सरितां पत्युः शंकनीयामिवाकरोत्।।[29]

(8) लौहित्य नद

महाभारत में लौहित्य को नद कहा गया है जो हेमश्रृंग पर्वत के चरण में स्थित लौहित झील से निकला है।[30] रघुवंश में भी लौहित्य को नद कहा है। यह लौहित्य नद प्राग्ज्योतिष (आसाम) की पश्चिम सीमा पर स्थित था।[31]

(9) ताम्रपर्णी नदी

ताम्रपर्णी नदी पाण्ड्य देश में मलय से निकलकर समुद्र में गिरती है। रघुवंश में उल्लिखित है कि पाण्ड्य देश के राजाओं ने ताम्रपर्णी नदी से संयुक्त महासागर के उत्तम मोती, अपने संचित यश के समान रघु को उपहार में दिये।[32]

(10) सिन्धु नदी

ऋग्वेद में सिन्धु को उत्तर की ओर बहते हुए बताया गया है।[33] जिस जनपद में यह सिन्धु नदी बहती है उसको सिन्धु जनपद कहा जाता है। रघुवंश में सिन्धु नदी का उल्लेख रघु की दिग्विजय के प्रसंग में प्राप्त होता है।[34]

(11) मुरला नदी

मुरला नदी का उल्लेख रघुवंश में प्राप्त होता है। यह केरल देश में बहने वाली नदी है।[35]

(12) महाकोशी नदी

कुमारसम्भव के अनुसार महाकोशी नदी हिमालय के औषधिप्रस्थ नामक नगर में प्रवाहित होती है। कुमार सम्भव में इस नदी के झरने की चर्चा है।[36]

(13) कपिशा नदी

कपिशा उत्कल अर्थात् उड़ीसा की एक नदी है। रघुवंश में वर्णित है कि राजा रघु ने पुल बँधवा कर सेना सहित कपिशा नदी को पार कर उत्कल देश के राजाओं से मार्ग दिखाये जाते हुए कलिंग की ओर प्रस्थान किया था।[37]

(14) शिप्रा नदी

शिप्रा नदी परियात्र से निकलकर उज्जयिनी में बहती चली जाती है। इस नदी के प्रत्येक मील पर तीर्थ स्थल है।[38] शिप्रा को सिप्रा भी कहा जाता है। रघुवंश में शीतल तरंगों वाली शिप्रा नदी का वर्णन है।[39]

(15) शरावती नदी

शरावती नदी समुद्र में होनावार (उत्तरी कनारा जिले) के पास गिरती थी। रघुवंश के अनुसार शरावती नदी के पास स्थित शरावती नगरी राम के पुत्र लव की राजधानी थी।[40]

इस प्रकार महाकवि ने अपने काव्यों मे स्थान–स्थान पर आर्यावर्त को पावन करने वाली, अपने कलकल निनाद से युक्त प्रवाहित होने वाली परम पवित्र नदियों का उल्लेख कर उन्हें समस्त जीवों के लिए उपयोगी बताते हुए उनका गुणगान किया है। जो सार्वकालिक प्रासांगिक रहेगा। नदियों के इस प्रकार के वर्णन के पीछे महाकवि का उद्देश्य यही था कि, जल है तो जीवन है। मानव यदि जल के रूप में प्रवाहित जीवन के प्रति यदि चिंतक नहीं होगा तो स्वयं उसका जीवन भी खतरे में हो जायेगा। अतः उन्होंने नदियों की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए राजाओं से भी नदी के तट पर जाकर आचमन कराया है। महाकवि ने समस्त प्राणियों के मानस पटल पर यह अंकित करने का सफल प्रयत्न किया है कि, नदियाँ हैं तो मानव का अस्तित्त्व है।

सन्दर्भ

1. कुमारसम्भव 10 / 28–31, 36
2. रघुवंश 16 / 34
3. कुमारसम्भव 10 / 26
4. कुमारसम्भव 6 / 57
5. कुमारसम्भव 10 / 47
6. रघुवंश 16 / 34
7. तीर्थे तदीयेगजसेतुबन्धात् प्रतीपगामुत्तरोऽस्य गंगाम्। रघुवंश। 16 / 33
8. रघुवंश 6 / 85 तथा 10 / 69
9. नारदीय पुराण 2 / 41 / 35–36
10. कुमाारसभंव 1 / 15
11. रघुवंश 6 / 48
12. रघुवंश 3 / 9
13. कुमारसम्भव 10 / 43
14. रघुवंश 13 / 61 तथा 16 / 35
15. उत्तरराम चरितम् 13 / 60
16. रघुवंश 13 / 62
17. रघुवंश 15 / 100
18. रघुवंश 8 / 95
19. रघुवंश 15 / 95
20. रघुवंश 14 / 30
21. रघुवंश 9 / 20
22. रघुवंश 15 / 101
23. रघुवंश 5 / 42, 43 तथा 16 / 31
24. रघुवंश 5 / 42, 43

25. रघुवंश 6/43 पूर्वार्द्ध
26. रघुवंश 5/59
27. रघुवंश 13/35
28. रघुवंश 13/35
29. रघुंवश 4/45
30. महाभारत, वनपर्व 85/2
31. रघुवंश 4/81
32. रघुवंश 4/50
33. ऋग्वेद 2/15/6
34. रघुवंश 4/67
35. रघुवंश 4/55
36. कुमारसम्भव 6/33
37. रघुवंश 4/38
38. मत्स्यपुराण 22/24, 114/24
39. रघुवंश 6/35
40. रघुवंश 15/97

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन

डॉ. आर.पी. दुबे*
निशा तिवारी**

सारांश

छठीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप उदित बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। जाति–पाँति, छुआ–छूत, ऊँच–नीच, अमीर–गरीब आदि की खाँई को मिटाने का काम बौद्धधर्म ने किया साथ ही प्राचीन धार्मिक जटिलताओं एवं कठोर कर्मकाण्डों से इतर जाकर जन–सामान्य के लिए एक सुलभ, सादा एवं सरल धार्मिक मार्ग दिखाया।

भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की अनोखी देन रही हैं। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति की श्री सम्पन्नता में वृद्धि की है। भारतीय जीवन के विविध अंगों को ढालने में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि विभिन्न अंगों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है, उनके विकास को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया है।

सरल, सुबोध, जनप्रिय धर्म का प्रसार :– बौद्ध धर्म की यह एक महान देन है कि भारत में सरल, सुबोध, सीधा–सीदा विशुद्ध आचारवादी लोकप्रिय धर्म का प्रसार हुआ। इस धर्म को साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता था, इसके नियमों का पालन कर सकता और इसे अपना सकता था। इस धर्म से पहले जो वैदिक या ब्राह्मण धर्म था वह जटिल, दुर्बोध और कर्म–कांड के आडम्बरों से पूर्ण था। उसके उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म का विवेचन था जो जनसाधारण के लिए दुरूह था। परन्तु बौद्ध धर्म अति सरल, सुबोध तथा नैतिक आचरण पर बल देने वाला था। इसका लक्ष्य था सभी लोगों के दुःखों का निवारण करना और सभी को निर्वाण उपलब्ध कराना। इससे यह अधिकाधिक लोकप्रिय होता गया।

उच्च, श्रेष्ठ, नैतिक आदर्श :– बौद्ध धर्म ने सदाचार, पवित्र जीवन, नैतिकता, जन–सेवा, स्वार्थ त्याग, मन–वचन कर्म की शुद्धि आदि के श्रेष्ठ, उच्च आदर्शों पर अधिक जोर दिया। इस धर्म ने सत्य भाषण, आत्म–संयम, अहिंसा, गुरुजनों का सम्मान और उनकी आज्ञा–पालन, प्राणि–मात्र के प्रति दया, दान, निंदा का त्याग, जीविकोपार्जन के नैतिक साधन, विशुद्ध विवेक पूर्ण प्रयास, सत्कर्म, इन्द्रिय दमन आदि गुणों को अपनाने पर बल दिया। बौद्ध धर्म के महायान मतावलम्बियों ने बोधिसत्व के रूप में जन–सेवा का श्रेष्ठ आदर्श लोगों के सम्मुख रखा।

---

* प्राध्यापक (इतिहास), शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), शा. ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले वे महान व्यक्ति थे जो अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करते थे, अपितु वे अपना ध्यान और समय दूसरों के दुःखों के निवारण हेतु लगाते थे। इन सबसे समाज में सदाचार और नैतिकता का स्तर बहुत ऊँचा उठा। इन श्रेष्ठ आदर्शों ने भारतीय समाज को स्वस्थ, सौम्य, नैतिक और पवित्र बनाया। मेगस्थनीज, फाह्यान और ह्वेनसांग द्वारा भारतीय समाज के वर्णन इसके उदाहरण हैं।

जातिवाद की उपेक्षा, समानता और सहनशीलता :– बौद्ध धर्म ने समाज में जाति–प्रथा, ऊँच–नीच और छुआ–छूत का विरोध किया, जातिवाद की घोर निंदा की, ब्राह्मणों के प्रभुत्व तथा वर्ग–भेद का तिरस्कार किया और मानव–समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धांतों का प्रसार किया। समाज में न तो जातियों का भेद–भाव और न स्त्री–पुरुष का भेद–भाव है, अपितु सभी समान और स्वतंत्र हैं, सभी को आध्यात्मिक प्रगति करने और निर्वाण प्राप्ति के अधिकार हैं, सभी का कल्याण हो सकता है। इससे समाज में समानता, स्वतन्त्रता, उदारता और सहनशीलता की भावनाएँ प्रसारित हुईं। सामाजिक व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आश्रित करने का प्रयास किया गया।

बौद्धिक स्वतंत्रता :– ब्राह्मण धर्म में वेदों की प्रामाणिकता और अपौरुषेयता तथा पुरोहित वर्ग के एकाधिकार में विश्वास था। इस धर्म में वेदों को ईश्वरीय वाक्य या देव–वाणी माना गया और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। ब्राह्मण ही यज्ञ, कर्म–कांड और वेदों की व्याख्या कर सकते थे। धर्म और समाज में उनकी ही सर्वोपरिता थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत बौद्धिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म की उपरोक्त बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने योग्यता, तर्क, बुद्धि और विवेक का आश्रय लिया तथा इनके आधार पर धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों का निर्णय किया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे उनके आदेशों एवं उपदेशों को गुरु वचन मानकर ग्रहण न करें, अपितु उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसें और यदि वे योग्य और सत्य हों तो उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने बौद्ध संघ के भिक्षु–भिक्षुणियों से कहा था कि वे 'आत्मदीप' हों और अपनी आत्मा को स्वयं अपना पथ–प्रदर्शक बनावें। इस बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि धर्म और समाज पर परम्पराओं, रूढ़ियों और अंध–विश्वासों के बंधन टूट गए और लोग स्वतन्त्रतापूर्वक समस्त समस्याओं पर मनन और चिन्तन करने लगे।

धार्मिक उदारता, सहिष्णुता और जनसेवा की प्रवृत्ति :– महात्मा बुद्ध अपने ध र्म–प्रचार, उपदेश और भाषण में सदेव शांत, सौम्य और विशाल हृदय रखते थे। उनमें कठोरता और कटुता नहीं थी। वे अन्य धर्मों की कभी निंदा नहीं करते थे और न जबरदस्ती लोगों पर अपना धर्म लादते थे। धार्मिक उग्रता या धर्मान्धता उनमें नहीं थी। वे अपने विचारों और सिद्धान्तों के प्रचार में बड़े ही उदार और सहिष्णु थे और बौद्ध संघ ने भी यह प्रवृत्ति अपनाई। फलतः धार्मिक उदारता, विशालता और सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ। समाज में नैतिक आदर्शों का महत्व बढ़ा तथा जनता के सदाचार व नैतिकता का स्तर

अत्यधिक ऊँचा हो गया। जन सेवा की भावना भी दृढ़ हो गयी। बौद्ध धर्म के प्रभाव से अनेक अहिंसा के समर्थक व शाकाहारी बन गए।

दर्शन की नवीन विचारधाराएँ :– बौद्ध विचारकों और दार्शनिकों ने तत्व ज्ञान की विविध समस्याओं पर निस्संदेह स्वतंत्रापूर्वक मनन और चिन्तन किया। फलतः दर्शन–शास्त्र के क्षेत्र में नवीन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा नवीन दार्शनिक सम्प्रदायों का उदय हुआ। नागार्जुन ने शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया। विज्ञानवाद का भी उदय हुआ। शून्यवाद से अभिप्राय है कि परमतत्व को बुद्धि अथवा विचार की सत्ता से नहीं जाना जा सकता, अपितु शून्य दृष्टि से उसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञानवाद का सिद्धान्त है कि चित्त अथवा विज्ञान के अतिरिक्त इस विश्व में अन्य कोई वस्तु सत्य और शाश्वत नहीं है। सभी माया और धोखा है। शून्यवाद विज्ञानवाद के अतिरिक्त प्रतीत्य, समुत्पाद, सर्वास्तिवाद, सौत्रांतिक, अनित्यवाद, योगाचार आदि अन्य दार्शनिक विचारधाराएँ और प्रणालियाँ प्रारम्भ हुईं। नागार्जुन, अश्वघोष, असंग, वसुमित्र, धर्मकीर्ति, दिग्नाग आदि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध दार्शनिक साहित्य का सृजन किया।

मूर्ति पूजा का प्रसार :– विद्वानों का मत है कि भारत में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रसार बौद्ध धर्म ने किया। बौद्ध धर्मावलम्बी महात्मा बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते, चैत्यों और विहारों में सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे और बौद्ध स्तूपों की पूजा करते थे। बौद्धों का अनुकरण कर हिन्दू भी अपने देवी–देवताओं की प्रतिमाएँ बनाकर, उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा, उपासना और अर्चना करने लगे। मूल ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। उसमें वेदियों पर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि करना ही प्रमुख था।

लोक साहित्य का विकास :– लोक साहित्य, सृजन और विकास में बौद्ध धर्म की अपूर्व देन है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश जनसाधारण की बोल–चाल की भाषा में दिये। बौद्ध संघों और विहारों में भी बौद्ध धर्माचार्यों, प्रचारकों और भिक्षु–भिक्षुणियों ने भी प्रवचन और शिक्षा प्रसार के लिए जनता की बोलचाल की पाली भाषा को ही अपनाया। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रन्थ भी इसी पाली भाषा में लिखे गए, ताकि जनता उसका पठन–पाठन सरलता से कर सके और उन्हें सुगमता से समझ सके। पाली भाषा में प्रचुर विशाल बौद्ध साहित्य निर्मित हो गया। पाली भाषा का यह समूचा साहित्य बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव का परिणाम था।

बौद्ध साहित्य की ऐतिहासिक देन :– धार्मिक, साहित्यिक देन के अतिरिक्त बौद्धों ने पाली और संस्कृत में महाकाव्य, जीवन–चरित्र, ऐतिहासिक ग्रन्थ आदि की रचना भी की, जैसे बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण (नाटक), मंजु श्री मूलकल्प, दिव्यावदान, ललित–विस्तार, मिलिंद पन्हों, सद्धर्म पुंडिक आदि। यद्यपि इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का विवेचन और प्रतिपादन तो होता ही है, परन्तु इनमें प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। इससे प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण का दुरूह कार्य सरल हो जाता है।

बौद्ध संघ व्यवस्था :– बौद्ध धर्म की एक बड़ी विशिष्ट मौलिक देन बौद्ध धर्म–संघ–व्यवस्था है। बौद्ध धमविलम्बियों को अनुशासनशील समुदाय में संगठित कर प्रजातन्त्र–प्रणाली पर संघ–व्यवस्था निर्माण करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व ब्राह्मण धर्म के सन्यासी, ऋषि–मुनि और आचार्य वनों में, आश्रमों में रहते थे, वहीं धर्मोपदेश देते थे और आध्यात्मिक चिंतन और मनन करते थे तथा ज्ञान का प्रसार करते थे। उनका जीवन एकाकी होता था। उनमें अपना सुव्यवस्थित संगठन बनाकर कार्य करने की प्रणाली नहीं थी, परन्तु महात्मा बुद्ध ने बौद्ध सन्यासियों और भिक्षुओं को संगठित किया, उनका संघ बनाया, उनहें अनुशासनबद्ध सामूहिक जीवन बिताने का आदेश दिया। उनके संयमी जीवन, अनुशासन और सदाचार के लिए कठोर नियम और निषेध बना दिए। फलतः बौद्ध संघ का नैतिक स्तर श्रेष्ठ और ऊँचा हो गया तथा संघ के बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणी अपने पवित्र जीवन, सेवा, त्याग और धर्मपरायणता से जन–जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर सके। हिन्दू धर्म के रामद्वारे, मठ और सन्यासी सम्प्रदायों के अखाड़े तथा महन्तों के समुदाय बौद्ध संघ ही का प्रभाव है। संघ–व्यवस्था से बौद्ध धर्म ने धर्म प्रचार की एक नवीन प्रणाली प्रारम्भ की। बौद्ध संघ के हेतु निर्मित विहार और मठ–ज्ञान–विज्ञान के केन्द्र थे। नालंदा, विक्रमशीला और उदन्तपुरी के बौद्ध विहार प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गए जहाँ देश–विदेश से सहस्त्रों विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए रहते थे। इस प्रकार भारत में साधारण जनता के लिए संगठित और व्यवस्थित रूप से लौकिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा–प्रसार का प्रथम प्रयास बौद्ध संघ ने किया।

कालान्तर में प्रचार के लिए ब्राह्मण धर्म ने भी बौद्धों की संघ व्यवस्था अपना ली। हिन्दुओं में धर्म प्रचार के लिए संगठित होकर आन्दोलन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी। उन्होंने बौद्ध विहारों के अनुकरण पर हिन्दू मठों का निर्माण किया। देश में विभिन्न तीर्थ स्थानों व नगरों में स्थापित ये मठ हिन्दू धर्म प्रचार के महत्वपूर्ण केन्द्र हो गए।

राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता :– बौद्ध धर्म ने समाज में जातिवाद का विरोध कर, ऊँच–नीच और छुआ–छूत के भावों को नष्ट कर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करने का प्रयत्न किया। धर्मोपदेश में जन–साधारण की बोल–चाल की भाष का प्रयोग करने से यह एकता और दृढ़ हो गयी। बौद्ध धर्म की सादगी, सरलता और बोधगम्यता से यह साधारण जनता का अधिक लोकप्रिय धर्म बन गया और लोग इसे देश का धर्म मानने लगे। फलतः राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। बौद्ध धर्म के प्रसार से विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बड़ा योग दिया।

ब्राह्मण धर्म पर प्रभाव :– बौद्ध धर्म के सिद्धान्त, विचार और नैतिकता की गहरी छाप कालान्तर में ब्राह्मण या हिन्दू धर्म पर पड़ी। अहिंसा के जिस सिद्धांत पर बौद्धों ने खूब जोर दिया, जिसका व्यापक प्रचार उन्होंने किया, उसे ब्राह्मण धर्म में पूर्ण रूप से समविष्ट कर लिया गया। ब्राह्मणों ने भी प्राणी–मात्र पर दया रखने का उपदेश प्रारम्भ किया। बौद्ध धर्म

ने यज्ञों, हवनों और पशु–बलि का घोर विरोध किया। ब्राह्मणों ने इस ओर भी ध्यान दिया। इससे रक्तिम यज्ञों तथा पशु–बलि की प्रधानता कम होने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म पर मानव दयावाद का प्रभाव डाला। कालान्तर में बौद्ध धर्म के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण भागवत धर्म का विकास हुआ जिसमें 'अहिंसा परमोधर्मः' के सिद्धांत को और महायान बौद्धों के भक्ति मार्ग को अपना लिया गया।

भारतीय राजनीति पर प्रभाव :– बौद्ध धर्म ने भारतीय नरेशों की शासन नीति प्रभावित की। अनेक भारतीय नरेशों ने बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ नैतिक आदर्शों का पालन करते हुए उदारता व सहिष्णुता की नीति अपनायी और जन–कल्याण के अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि नरेशों की नीति इसका उदाहरण है।

भारतीय कला का विकास :– बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट अद्वितीय देन कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से वास्तु–कला, भवन–निर्माण–कला, चित्रकला और मूर्ति–कला का खूब विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने इनकी अभिव्यक्ति में बड़ा योग दिया। बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी निवास हेतु विहार, मठ निर्माण किए गए। चट्टानों को काटकर गुफाओं में भी विहार बनाए गए। गुहा–कला का प्रारम्भ बौद्ध धर्म के प्रचार से ही हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्थानों पर विशाल पाषाण स्तम्भ खड़े किए गए। इन पर धार्मिक उपदेश अंकित किए गए। महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों तथा प्रसिद्ध बौद्ध संतों और आचार्यों की स्मृति में विशाल पाषाण के कला पूर्ण स्तूप निर्मित किए गये। बुद्ध और बोधिसत्वों की भव्य सुन्दर सजीव मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। धर्मपरायण बौद्धों ने बुद्ध के समस्त जीवन की कहानी और प्रमुख घटनाएँ पाषाण में अभिव्यक्त की। सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूपों, उनके विशाल प्रवेश द्वारों, अजन्ता, एलोरा और बाध की गुफाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित, जातक कथाओं में वर्णित अनेकानेक दृश्य पाषाण पर अंकित हैं। गुफाओं और मंदिरों की भित्तियाँ सुन्दर चित्रों से अलंकृत की गईं। इनमें भी बुद्ध के जीवन के अनेक दृश्य तथा लौकिक जीवन के विविध दृश्य चित्रित हैं। बौद्ध–विहारों, मंदिरों, स्तूपों, स्तंभों, स्मारकों आदि के निर्माण और कलापूर्ण अलंकरण से स्थापत्य–कला, मूर्ति कला और चित्र–कला की नवीन शैलियों का विकास हुआ। गांधार–कला–शैली इसका उदाहरण है। बौद्ध स्थापत्य–कला के कतिपय नमूने अपने असाधारण कला–सौन्दर्य और सौष्ठव के कारण विश्व में कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। साँची, भरहूत और नागार्जुन कोंडा के स्तूपों, कार्ली, अजन्ता और एलोरा की बौद्ध गुफाओं और अशोक के शिला स्तम्भों की गणना भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में की जाती है। गया का बौद्ध मंदिर, साँची स्तूपों की रेलिंग और प्रवेशद्वारा बौद्ध कला के उत्कृष्ट और ज्वलंत उदाहरण हैं। बौद्धों का अनुकरण करके जैनियों ने भी कला के विभिन्न क्षेत्रों में और बाद में शैवों तथा वैष्णवों ने भी उन्नति की, कलात्मक मन्दिर व स्तम्भ बनवाये।

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार :– भारत के बाहर विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसाद का श्रेय बौद्ध धर्म को ही है। भारत के बौद्ध भिक्षु, आचार्य, संत और

विद्वान विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इन प्रचारकों के साथ–साथ भारतीय संस्कृति अप्रत्यक्ष रूप से मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, खोतान, तिब्बत, नेपाल, ब्रह्मा, लंका, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों में प्रसारित हुई। कालान्तर में इन देशों और भारत के बीच मैत्री पूर्ण घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो गए और परस्पर व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान होने लगा। बौद्ध धर्मावलम्बी अनेक विदेशी भारत में बौद्ध धार्मिक स्थानों की यात्रा हेतु आने लगे, अनेक विदेशी बौद्ध विहारों में विद्याध्ययन और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहने लगे। इससे भारत तथा विदेशियों का गठ–बंधन हुआ और भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्रचार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे मध्य–एशिया और दक्षिणी–पूर्वी एशिया के अनेक रूपों के जीवन पर भारतीय संस्कृति और धर्म की अमिट छाप पड़ी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. जी.सी. पाण्डेय : बौद्ध दर्शन
2. डॉ. राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास
3. डॉ. बी.एन. लुनिया : भारत का सांस्कृतिक इतिहास
4. डॉ. बिमल चन्द पाण्डेय : प्राचीन भारत का इतिहास
5. डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार : भारत का सांस्कृतिक इतिहास
6. डॉ. दिनेश भारद्वाज : भारतीय संस्कृति

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

''मध्याह्न भोजन योजना का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि स्तर पड़ने वाले प्रभाव''

डॉ. अंशू केशरवानी**
ऋतु सिंह परिहार*

भूमिका–

शिक्षा मानव के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है, इसके अभाव में व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन विकासात्मक दृष्टि से अधूरा रह जाता है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के कारण परिवर्तन होता है और वह उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली एक सोद्‌देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का आधार स्तम्भ होता है। समाज एवं देश के उत्थान एवं पतन का दायित्व इसी के कन्धे पर होता है। कहते हैं नींव जितनी गहरी होती है, उसमें भार ग्रहण करने की क्षमता, सुदृढ़ता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए हमारे भारत की शिक्षा की नींव कही जाने वाली प्राथमिक शिक्षा जो कि सम्पूर्ण शिक्षा की आधारशिला भी कही जाती है इसे और सुदृढ़ बनाना होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें शत–प्रतिशत नामांकन हो और नामांकन के बाद विद्यार्थी विद्यालय भी आयें। सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है और इस प्रयास को हमें सफल बनाना होगा।

इसी नींव की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। संविधान में भी शिक्षा की दशा में सुधार के लिए प्रावधान रखा गया है। जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

''सन् 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाओं की व्यवस्थ की जाये ऐसा प्रारूप था। सन् 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए निम्न बातें कहीं गई।

सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना, उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे।''1

''प्राथमिक शिक्षा की सफलता के लिए ही शिक्षा के सार्वभौमिक (यू.ई.ई.) की महत्वाकांक्षी योजना लागू की गयी है। जिसका सन् 2000 तक शत–प्रतिशत नामांकन लक्ष्य रखा गया

अतिथि व्याख्याता (बी.एड.), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
अतिथि व्याख्याता (बी.एड.), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

था। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरल उत्कीर्ण योजना, ऑपरेशन, ब्लैकबोर्ड, पिछड़े नौ राज्यों में चरणबद्ध, क्रियान्वयन तथा विकेन्द्रीकरण एवं पुरस्कार प्रणालियॉ प्रारम्भ की गई। स्कूलों में 'मिड–डे मील' पौष्टिक आहार तथा अन्य भौतिक सुविधाएँ प्रदान करने की चेष्टा की है।''2,

''सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।ख्3,

मध्यान्ह भोजन निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, गणवेश, प्रोत्साहन योजनाओं में से मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन एक अभिनव प्रयोग है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भरत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।4

भारत गॉवों का देश है इसकी अधिकांश जनसंख्या गॉवों में बसती है एवं उनमें भी अधिकांश का जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा एवं बच्चों स्वयं भी स्कूल जाकर पढ़ाई करने की अपेक्षा कुछ पैसे कमाकर अपना एवं अपने परिवार का पेट भरना ज्यादा जरूरी समझता है और ठीक भी तो है, जब कई–कई दिनों तक भोजन न मिले तो शिक्षा, अधिकार, आदर्श एवं जीवन मूल्यों जैसी बड़ी–बड़ी बातें कहा समझ में आती हैं। कहा भी तो गया है –''भूखे भजन न होई गोपाला''।

तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपने एवं अपने बच्चों के पेट भरने की चिंता से मुक्त होगा तब ही वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज पायेगा।

प्रगतिशील देशों में भी स्कूल के बच्चों को खाना देने के कई कानून बनाये गये है।

भारत में भी इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान, समुदाय आधारित शिक्षा व्यवस्था के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से समाज के निर्मल व निम्न तबके के बच्चों तक भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, इसके कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. आयु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. बालक–बालिकाओं के बीच भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं को प्राथमिक स्तर से दूर करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि समस्त बच्चों को संतोष जनक और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो।

सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयास मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक उपलब्धि स्तर असर कारक प्रभाव पड़ रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों के अन्दर नैतिक मूल्यों और सद्भावना की वृत्तियों का विकास हो रहा है, क्योंकि वे एक साथ

बैठकर विद्यालय में भोजन करते हैं। निम्न वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य में भी इस योजना के क्रियान्वयन से काफी प्रभाव पड़ रहा है। वे विद्यालय में नित्य आते हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है। इसी तरह के और कार्यक्रम शिक्षा को और आगे तक ले जने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

1. उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, पृष्ठ–252
2. उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, पृष्ठ–258
3. बाल अधिकार – योजना पत्रिका 2008
4. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की एक पृष्ठभूमि, पृष्ठ संख्या–1

Shodh Chetna (Jul. to Sep., 2015) - 3
ISSN : 2350-0441

पुस्तक समीक्षा

वेदान्तसार का पुनर्व्यवस्थापन

समीक्षक :— **डॉ. सूर्य नारायण गौतम**

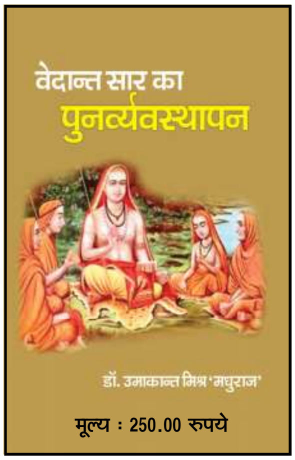

श्रीमद्सदानन्द मुनि सोलहवीं शताब्दी के वेदान्ताचार्य हैं। इनकी ख्यातिलब्ध कृति वेदान्तसार है। यह सम्पूर्ण वेदान्त-सिद्धान्तों का परिचायक ग्रन्थ है। वेदान्त का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ग्रन्थ अत्याधिक उपादेय है।

'वेदान्तसार' नामक पुस्तक मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में एम.ए. संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दर्शन के तत्त्व अत्याधिक गूढ हैं, फिर वेदान्त की तो बात ही निराली है। स्वयं सदानन्द जी ने 'वेदान्तसार' के प्रारम्भ में ही उल्लेख किया है—

''अधिकारी तु विधिवद्.........सम्पन्नः प्रमाता''

अर्थात् वेदान्त का प्रमाता अधिकारी वही हो सकता है— जिसने वेद और वेदाङ्ग का विधिवत् अध्ययन किया हो। जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया हो तथा जिसने नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना कर्मों का अनुष्ठान किया हो एवं जो साधन चतुष्टय अर्थात् नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रार्थफलभोगविराग, षट्कसम्पत्तियाँ तथा मुमुक्षत्व से सम्पन्न हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि, वेदान्तविद्या को सम्यग रूप से समझने के लिए उपर्युक्त गुणों/संस्कारों का होना आवश्यक है।

वेदान्त के ऐसे दुरूह ग्रन्थ 'वेदान्तसार' को समझने के लिए विद्वान् लेखक डा. उमाकान्त मिश्र जी ने विशेष पद्धति एवं वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन पर बल दिया है। एक प्राध्यापक एवं प्रतिभाशाली समीक्षक होने के नाते लेखक ने परीक्षार्थियों और जिज्ञासुओं के लिए सम्पूर्ण वेदान्तसार को पुनर्व्यवस्थापित का यथेष्ट प्रयत्न किया है और इसका नामकरण किया है ''वेदान्तसार का पुनर्व्यवस्थापन''। इस प्रस्तुतीकरण से जहाँ छात्रों को विषयवस्तु समझने से सहजता और याद रखने में सरलता होगी, वहीं जिज्ञासुजनों की जिज्ञासा में अभिवृद्धि का कारण भी बनेगी। इस पुस्तक 'वेदान्तसार'' का पुनर्व्यवस्थापन के दो भाग हैं— पूर्वभाग और उत्तरभाग।

पूर्व भाग में 'वेदान्तसार' के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर और व्याख्येय महत्त्वपूर्ण अंशों की व्याख्या है। महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में ब्रह्मा का स्वरूप, अधिकारी के लक्षण, अज्ञान की प्रकृति-अधिष्ठान, शक्तियाँ, विरोधी उक्तियाँ, सूक्ष्म शरीर, मोक्ष के स्वरूपादि का विवेचन है तो व्याख्येय अंशों में आठ अंशों/उक्तियों की स्पष्ट व्याख्या की गई है, जो छात्रों की परीक्षा के काम आ सकती है। विद्वान् लेखक डॉ.

साहित्यकार, वेदाचार्य, साहित्याचार्य, एम.ए., पी-एच.डी.

मिश्र जी ने इन प्रश्नोत्तरों और व्याख्येय अंशों का विस्तृत, विशद् एवं तर्कसंगत विवेचन किया है। वस्तुतः पूर्वभाग और उत्तरभाग में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि पूर्वभाग की विषय सामग्री को ही उत्तरभाग में रेखांकन द्वारा सूक्ष्मतम रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूर्वभाग के लम्बे वाक्यों को सूत्ररूप में/ सूक्ष्मतम रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए अज्ञान के स्वरूप, भेद, अवस्थाओं और शक्तियों को संक्षेपतः इस रूप में समझाया गया है। यथा—

अज्ञान (स्वरूप)

1. अनिर्वचनीय।
2. त्रिगुणात्मक।
3. ज्ञानविरोधि।
4. भावरूप।
5. यत्किंचित्।

अज्ञान

समष्टि	व्यष्टि
माया– अज्ञान की समष्टि	अविद्या–अज्ञान की व्यष्टि
यथा– वन/जलाशय	यथा– वृक्ष/जलकण
अज्ञान की यह समष्टि	अज्ञान की यह व्यष्टि
उत्कृष्ट उपाधि से उपहित	निकृष्टि उपाधि से उपहित
अतः विशुद्ध सत्त्व प्रधान	अतः मलिन सत्त्व प्रधान
इससे उपहित चैतन्य (ब्रह्म) कहलाता है।	इससे उपहित चैतन्य आत्मा कहलाता है।
ईश्वर/सर्वेश्वर/सर्वज्ञ/सर्वान्तर्यामी	प्राज्ञ/ अल्पज्ञ/ अनीश्वर

अज्ञान की तीन अवस्थाएँ

सुसुप्ति	**स्वप्न**	**जागरण**
ईश्वर–ईश्वर, अव्यक्त अन्तर्यामी, जगत् का कारण	हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ब्रह्मा (प्राण)	विराट्, वैश्वानर
जीव–प्राज्ञ	तैजस्	विश्व
उपाधि–कारण शरीर	कारण शरीर+सूक्ष्म शरीर	कारण+सूक्ष्म+स्थूल शरीर
कोश–आनन्दमय कोश	विज्ञानमय+मनोमय+प्राणमय कोश	अन्नमय कोश

अज्ञान की शक्तियाँ

आवरण	विक्षेप
वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्वारोपः	विक्षेपशक्तिर्लिंगदिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेदिति

वस्तु– सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म।
अज्ञानादि सकलजडसमूहोऽवस्तु।

इस प्रकार सम्पूर्ण वेदान्तसार को रेखाओं द्वारा सूक्ष्मतम रूप से लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो सहजतया दृष्टि पटल पर आते हैं और स्मृतिपटल/ हृदयपटल पर उतर जाते हैं। विज्ञान में कारण और कार्य का सिद्धान्त निर्धारित होता है, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति अधिक स्वीकार्य होती है। दर्शनशास्त्र अथवा वेदान्त तो महाविज्ञान है, जिसे एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने की आवश्यकता है। विद्वद्वरेण्य डॉ. मिश्र जी ने प्रस्तुत पुस्तक 'वेदान्तसार' को व्यवस्थापित कर इसे अधिक उपादेय बना दिया है।

'वेदान्तसार का पुनर्व्यवस्थापन'' कोई मौलिक सृजन नहीं है। छात्रों को उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करना ही मनीषी लेखक का मुख्य लक्ष्य रहा है। वेदान्त जिज्ञासुओं को भी इससे कुछ अवश्य ही प्राप्त हो जायेगा-ऐसी साधिकार धारणा लेखक की नहीं है। तथापि लेखक द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ में जो भी प्रयत्न किया गया है वह अवश्य ही श्लाघनीय है।

ISSN : 2350-0441

हमारे प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

पुस्तक का नाम		लेखक का नाम	मूल्य
1.	स्वदेश रक्षण में रानी दुर्गावती एवं लक्ष्मीबाई का योगदान	डॉ. पूनम तिवारी	280.00
2.	औरंगजेब व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ. पूनम मिश्रा, डॉ. पूनम तिवारी	250.00
3.	देश के प्रधानमंत्री	प्रफुल्ल कुमार गुप्ता 'अंशु'	125.00
4.	हमारा ब्रह्माण्ड	श्रीमती करुणा श्रीवास्तव	150.00
5.	आविष्कारों की कहानी	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	150.00
6.	प्रकृति और विज्ञान	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	150.00
7.	उपनिषदों की प्रेरक कथाएँ	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	300.00
8.	विश्व की महान महिलाएँ	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	250.00
9.	बघेली व्याकरण	सोमदत्त त्रिपाठी	250.00
10.	वीरांगना दुर्गावती (काव्य)	सोमदत्त त्रिपाठी	250.00
11.	सेहत जो खजानो योग जो आइनो (सिन्धी भाषा में)	धर्मवीर मलूकाणी	150.00
12.	विश्व के भारत रत्न	सन्तोष दुबे	400.00
13.	किहिनी, कहनूति, उखान कोश	रविरंजन सिंह	750.00
14.	काँटे (जीवन का सच), भाग-1	सोमदत्त त्रिपाठी	550.00
15.	काँटे (जीवन का सच), भाग-2	सोमदत्त त्रिपाठी	550.00
16.	किस्सन केर पोथन्ना (बघेली/हिन्दी)	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	250.00
17.	विरचितं शतकम् (जनसंख्या निवारणम्)	डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी	100.00
18.	विरचितं शतकम् (एड्स रोग निवारणम्)	डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी	140.00
19.	वैयाकरण भूषणसार विवेचन (संस्कृत)	डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी	300.00
20.	तब और अब रीवा	रविरंजन सिंह	550.00
21.	मेरी आकाशवाणी वार्त्ताओं का संग्रह	डॉ. उमाकान्त मिश्र	350.00
22.	वैदिक चिन्तन मंजूषा	डॉ. सूर्यनारायण गौतम	(प्रेस में)
23.	वेदान्तसार का पुनर्व्यवस्थापन	डॉ. उमाकान्त मिश्रा	(प्रेस में)
24.	संस्कृत गीतमालिका	डॉ. उमाकान्त मिश्र	(प्रेस में)
25.	नाटक संग्रह	उमेश कुमार	(प्रेस में)
26.	श्रीमद्भागवत में मानवीय संवेदना	डॉ. उमाकान्त मिश्र	(प्रेस में)
27.	षोडस संस्कार (संस्कृत)	श्री केदारनाथ द्विवेदी	(प्रेस में)

28.	मेरे शोधपत्रों का संकलन	डॉ. उमाकान्त मिश्र	(प्रेस में)
29.	संस्कृत के ग्रन्थों में राजनीतिक और आर्थिक विकार एवं संस्थाएँ (बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य एवं कामान्दक के संदर्भ में)	डॉ. सन्ध्या कुमारी	(प्रेस में)

पेपर बैक

1.	जल संरक्षण	गौरान्शी कुशवाहा	45.00
2.	मानव अधिकार	गौरान्शी कुशवाहा	60.00
3.	ग्लोबल वार्मिंग	श्रीमती करुणा श्रीवास्तव	50.00
4.	पर्यायवाची एवं मुहावरे	हर्ष कुशवाहा	50.00
5.	भारत के राष्ट्रपति	विजय थावानी	50.00
6.	दादी का आशीर्वाद	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	60.00
7.	विश्व प्रसिद्ध लोककथाएँ	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	60.00
8.	श्रेष्ठ बाल कहानियाँ	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	60.00
9.	भारत रत्न राष्ट्रपति	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	50.00
10.	भारत रत्न प्रधानमंत्री	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	50.00
11.	भारत रत्न महिलाएँ	डॉ. (श्रीमती) विभा श्रीवास्तव	50.00